कमांक	विषय	पेज से – पेज तक
	सामान्य प्रशासन विभाग	
1	न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित किये जाने बावत्।	1–2
2	न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित किये जाने के संबंध में।	3–4
3	रिट अपील दायर करने में होने वाले विलंब रोकने संबंधी निर्देश।	5–6
4	न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित कराये जाने के संबंध में।	7–8
5	विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिरक्षण।	9–10
6	न्यायालय आदेश की अवमानना के प्रकरण।	11–12
7	Writ Petition Civil No. 36/2009, Measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells.	13–20
8	शासन तथा विभिन्न सांविधिक अधिकारियों द्वारा सामान्य स्तर के प्रकरणों पर बढती हुई मुकदमेंबाजी तथा सच्चे एवं जरूरतमंद याचिकाकर्ताओं को तीव्रगति से न्याय उपलब्ध कराने के संबंध में।	21–23
9	न्यायालयीन निर्णयों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के बीच समुचित समन्वय।	24–25
10	सिविल अपील कमांक 506/2007 खाजिया मोहम्मद मुजमिल विरूद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित निर्णय का पालन बावत्।	26–27
11	सिविल अपील कमांक 596/2007 खाजिया मोहम्मद मुजमिल विरूद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित निर्णय बावत्।	28–31
12	न्यायालयीन प्रकरणों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पेशी पर उपस्थित होने के संबंध में।	32–33
13	माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश/निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाना।	34
14	माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के पालन बावत्।	35
15	न्यायालयीन प्रकरणों में प्रकरण के महत्व के अनुसार प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति।	36–37
16	रिट पिटीशन कमांक 12748/2009 विवेक कुमार लखेरा विरूद्ध शासन एवं अन्य में पारित निर्णय का पालन–अनियमित नियुक्ति के मामलों में त्वरित कार्यवाही।	38–43
17	अवमानना याचिकाओं में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति।	44–45
18	न्यायालयीन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही।	46–48
19	अवमानना याचिकाओं के त्वरित निराकरण के लिए कार्यवाही।	49–50

20	संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालय का स्थापना आदेश।	51–60
21	याचिका कमांक सी.सी.–8879/2007 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन बावत्।	61–62
22	सेवा मामलों में न्यायालय के निर्णय के अंतिम हो जाने पर सभी संबंधित कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाना।	63–70
23	प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की प्रति संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालयों को भेजने के संबंध में।	71–73
24	उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रभारी अधिकारी की जानकारी दर्ज करने संबंधी।	74–75
25	अवमानना प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	76–78
26	डब्ल्यू.पी. कमांक 20876/2016 द्वारा श्रीमती सुशीला देवी चौधरी, संविदा शाला शिक्षक, जिला शहडोल विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य, में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/01/2017 के परिपालन बावत्।	79–80
27	द्वितीय अपील कमांक–ए–0117/2016 – श्री राजकुमार टेकाम विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी, बालाघाट, उत्पादन, उपवन मंडल बालाघाट म.प्र.।	81–82
28	रिट पिटीशन कमांक 1353/2011 श्री रामसेवक मिश्रा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.07.2017 के संबंध में।	83–113
29	न्यायालयीन प्रकरणों में समय–सीमा में कार्यवाही करने के संबंध में।	114–115
30	प्रत्येक प्रशासकीय/अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्पीकिंग आदेश पारित किये जाने के संबंध में ।	116–144
31	माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे सिविल अपील कमांक 974/2012 – एमपीआरआरडीए विरूद्ध श्री एल.जी. चौधरी–सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रदेश के समस्त कार्य विभागों में मध्यस्थम (Arbitration) की प्रकिया पर व्यापक प्रभाव के संबंध में।	145–161
32	अवमानना प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।	162–164
33	महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति।	165–166
34	माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सीधे पत्राचार न करने के संबंध में।	167–168
35	विभिन्न न्यायालयों के निर्देश पर राज्य शासन के अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध मे।	169–170
36	आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने पर शासकीय सेवक को सुनवाई का अवसर– मा.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 16549/2016 में पारित आदेश दि.15.05.2019	171–187
37	न्यायालीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा–निर्देश।	188–191

38	मान.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक एस. 3419/2020 अनिल भारद्वाज विरूद्ध म.प्र.शासन में सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश बावत्।	192–215
39	माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरणों में नोटिस प्राप्त करने के संबंध में।	216–217
40	रिट अपील प्रकरणों की समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने बावत्।	218–219
41	न्यायालीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों संबंधी निर्देश।	220–222
42	न्यायालीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से करने हेतु संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में।	223–224
43	न्यायालीन प्रकरणों मे जवाबदावा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने में सतर्कता के संबंध में।	225–226
44	न्यायालीन प्रकरणों/आदेशों का त्वरित गति से निराकरण	227–228
45	अवमानना प्रकरण दायर नहीं होने देने हेतु न्यायालीन आदेशों पर कार्यवाही।	229–230
	मुख्य सचिव	
46	माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत्। (नोटशीट दिनांक 14.01.2015)	231–233
47	उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में संसूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में।	234
48	माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विलंब से एस.एल.पी. दायर करने के संबंध में।	235
49	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में अविलंब/ विधिक – समयावधि में विशेष अनुमति याचिका/अपील आदि प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।	236–238
50	मंत्रि–परिषद के बैठक दिनांक 11 जून 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश। (नोटशीट दिनांक 21.06.2024)	239–240
51	माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत्। (नोटशीट दिनांक 12.11.2024)	241–253
	वित्त विभाग	
52	न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय।	254–256
53	कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम, 1979 में न्यायालयीन प्रकरणों के कारण पुनर्विचार।	257
54	न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन।	258
55	वित्तीय बिन्दुओं से संबधित न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पक्ष समर्थन।	259–260

56	शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में।	261—265
57	माननीय न्यायालय निर्णय के अनुपालन में ब्याज राशि के भुगतान की प्रकिया का निर्धारण ।	266—267
	विधि विभाग	
58	माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन करने हेतु राज्य के स्थायी अधिवक्ता / राज्य के विधि अधिकारियों से अन्यथा अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश एवं समिति का गठन।	268
59	"मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018"	269—289
60	Ensuring implementation of M.P. State Litigation Policy, 2018	290—292
61	माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन करने हेतु राज्य के स्थायी अधिवक्ता / राज्य के विधि अधिकारियों से अन्यथा अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने के संबंध में।	293
	लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग	
62	श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी (कार्यपालन यंत्री) की नियुक्ति हेतु ।	294
63	माननीय सर्वाच्च न्यायालय नई दिल्ली में सिविल अपील कमांक 974 / 2012 एमपीआरआरडीए विरूद्ध श्री एल.जी. चौधरी—सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय का प्रदेश के समस्त कार्य विभागों में माध्यस्थम की प्रकिया पर व्यापक प्रभाव के संबंध में।	295—296

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 5-8/2003/1/8 भोपाल, दिनांक 10-7-2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित किये जाने बावत ।

****

न्यायालयीन वादों/याचिकाओं में राज्य शासन को संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा कलेक्टर के माध्यम से पक्षकार बनाया जाना चाहिए, परन्तु अनेक प्रकरणों में यह देखा गया है कि राज्य शासन को मुख्य सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाकर राज्य शासन के विरुद्ध वाद / याचिकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं । न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव एक पक्षकार के रूप में होने से अनावश्यक रूप से अवमानना के प्रकरण निर्मित होते हैं ।

2/ अतः जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति का आदेश जारी करते समय आदेश में ही पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराने हेतु प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाए ।

(सुनीता त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

....निरन्तर...

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5-8/2003/1/8, भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2003

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव के उप सचिव,
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
3. उपर सचिव/अतिरिक्त सचिव/समस्त उप सचिव/ अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
5. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश , जबलपुर,
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(2) (3)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5–7/2006/1/8 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषयः न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5–8/2003/1/8 दिनांक 10.7.2003 ।

--00--

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र व्दारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन न्यायालयीन वादों/याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी करते समय आदेश में ही पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित करने हेतु प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए जाएं। परन्तु पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों के अवमानना के ऐसे कई प्रकरण शासन के ध्यान में आए हैं जिनमें मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है।

2/ मुख्य सचिव किसी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव नहीं होते। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अथवा कलेक्टर व्दारा ही यह देखा जाना चाहिए कि जिन प्रकरणों में राज्य शासन को मुख्य सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाकर राज्य शासन के विरूद्ध वाद अथवा याचिका प्रस्तुत की जाती है, उनमें मुख्य सचिव के नाम को विलोपित करने की कार्यवाही यथासमय तत्काल की जाए ताकि मुख्य सचिव को अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उनमें मुख्य सचिव का नाम पक्षकार के रूप में विलोपित करने की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी व्दारा तत्काल की जाए। यदि भविष्य में किन्हीं प्रकरणों में मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस प्राप्त होगा तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

(खुशीराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Rajesh/letter

(4)

पृ. क. एफ 5-67/2006/1/8 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर /जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(5)

(3)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 11–39/07/1/9 भोपाल,दिनांक 4.1.2008

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,मंत्रालय,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– रिट अपील दायर करने में होने वाले विलंब रोकने संबंधी निर्देश ।

शासन के ध्यान यह तथ्य लाया गया है कि,माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्व रिट अपीलें प्रस्तुत करने में विभागो द्वारा अत्याधिक विलंब किया जाता है । निर्धारित अवधि में अथवा विलंब से जो प्रस्ताव विधि विभाग को प्राप्त होते है,वे भी अस्पष्ट होते है,जिसके कारण अनावश्यक विलंब होता है ।

2/ वस्तुतः गुणदोष के आधार पर यदि रिट अपील दायर करनें का निर्णय लिया जाता है,तो विभागो को अनुमति देने संबंधी औपचारिकताऐं पूरी करने की त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिये । इस संबंध में आपका ध्यान विधि विभाग की नियमावली के नियम 169 की और आकर्षित किया जाता है,जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि शासन के विरूद्व पारित निर्णय मे प्रभारी अधिकारी को तत्काल आदेश/निर्णय का परीक्षण करके संबधित अधिवक्ता/लोक अभियोजक से परामर्श करना चाहिये । यदि अपील दायर करने का परामर्श प्राप्त होता है,तो अपील पेश करने के आधार बताते हुए विभागाध्यक्ष को इस संबंध मे तत्काल प्रतिवेदन भेजना चाहिये । उक्त प्रस्ताव के साथ पारित निर्णय की प्रति,शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित अपील का प्रारूप भी संलग्न किया जाना चाहिये । उक्त कार्यवाही आदेश पारित होने के 15 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक है ।

(6)

3/ विधि विभाग की नियमावली के नियम-171 के अनुसार जिस आदेश/निर्णय पर अपील की जाना है,विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के मार्फत उससे संबधित विषयवस्तु एवं प्रस्ताव समयावधि मे विधि विभाग को भेजा जाना चाहिये । यदि समयावधि गुजरने के बाद कोई प्रस्ताव भेजा जाता है,तो विलंब के लिए अत्याधिक ठोस आधार उपलब्ध कराना होगें,तभी न्यायालय में विलंब की माफी मिलने की संभावना होगी,अन्यथा नही ।

4/ समयावधि बाह्य होनें पर एवं अनावश्यक विलंब होने की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा अपील ग्राह्य नही किये जाने से शासन को होने वाली क्षति के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावें ।

5/ शासन द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायालयीन प्रकरणों में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाए ।

सही/-
(एस.डी.अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्र०एफ 11-39/07/1/9 भोपाल दिनांक 4.1.2008

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,विधि एवं विधायी कार्य विभाग
2. महाधिवक्ता,उच्च न्यायालय,जबलपुर मध्यप्रदेश
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता,इंदौर,ग्वालियर,जबलपुर की और सूचनार्थ

सही/-
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(7)

(4)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–8/2008/1/8 भोपाल,दिनांक 19-2-2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय– न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित कराये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ– इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–8/2003/1/8 दिनांक 10/07/2003 एवं एफ 5–7/2006/1/8 दिनांक–23/08/2006

इस विभाग के सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन न्यायालयीन वादों/ याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी करते समय आदेश में ही पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराने हेतु प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाय।

2/ अतः पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जिन विधिक प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उनमें मुख्य सचिव का नाम पक्षकार के रूप में विलोपित कराने हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन करने की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा तत्काल की जाए। कृपया शासन के उक्त निर्देशों से समस्त अधीनस्थों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(एस.डी.अग्रवाल) 18/2/08
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. / 3066 / 2007 / 1 / 8, भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपिः—

1/ रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2/ सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
3/ सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4/ महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
5/ राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7 प्रमुख सचिव / सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
8/ मंत्री / राज्यमंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक म.प्र. भोपाल
9/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10/ सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11/ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
12/ महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर / अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / इन्दौर
13/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
14/ प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव सा.प्र.वि. मंत्रालय,भोपाल
15/ उपसचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश मंत्रालय,भोपाल।
16/ मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17/ आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
18/ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19/ अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(जे.एस.राय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-10/2006/1/8 भोपाल,दिनांक 11-4-2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिरक्षण।

महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश द्वारा शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि किसी विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में शासन के विभिन्न प्रत्यर्थियों की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रकरण में अलग-अलग आधार पर प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शासन उक्त रिट याचिकाओं में सक्षमता से बचाव नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में विधि को अवैध, असंवैधानिक एवं अधिकार बाह्य घोषित कर दिया जाता है।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विधि की वैधता, संवैधानिकता एवं अधिकारिता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में मध्यप्रदेश शासन के उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को ही प्रभावी पक्ष समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए। यदि ऐसी रिट याचिका में एक से अधिक विभागों को प्रत्यर्थी बनाया जाता है तब ऐसी स्थिति में नियुक्त प्रभारी अधिकारी सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करें। प्रत्यावर्तन का पूर्व अनुमोदन उस प्रत्यर्थी विभाग प्रमुख से लिया जाना आवश्यक है जिसकी ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

..............2

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एस.डी.अग्रवाल) 11-5-08
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 5–10/2006/1/8 भोपाल,दिनांक
प्रतिलिपि–

1/ रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2/ सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
3/ सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4/ महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
5/ राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
8/ मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र. भोपाल
9/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10/ सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11/ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
12/ महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर
13/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ उप सचिव सा.प्र.वि. मंत्रालय,भोपाल
15/ उपसचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश मंत्रालय,भोपाल।
16/ सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
17/ आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
18/ अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19/ अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एस.सी.पाराशर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(11)

(6)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–5–12/2009/1/8 भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–न्यायालय आदेश की अवमानना के प्रकरण।

संदर्भः–(1) क्र. एफ 5–8/2003/1/8, दिनांक 10.07.2003,
(2) क्र. एफ 5–7/2006/1/8, दिनांक 23.08.2006,
(3) क्र. एफ 5–8/2008/1/8, दिनांक 19.02.2008

शासन के समक्ष कई ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें शासकीय सेवक ने उनके सेवा संबंधी मामलों के संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की है और संबंधित विभाग के साथ–साथ मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भी पक्षकार बनाया गया है। ऐसी याचिका और याचिका पर पारित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता और संबंधित विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं दी जाती हैं। न्यायालय आदेश का पालन न होने की स्थिति में दायर अवमानना याचिका सीधे मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होती है। अवमानना याचिका प्राप्त होने पर संबंधित विभाग से न्यायालय आदेश प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाता है और वकालतनामा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

2/ संदर्भित ज्ञापनों द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं कि जिन याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है उन सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश में ही पक्षकार के रूप में उल्लेखित मुख्य सचिव का नाम विलोपित कराने के निर्देश प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को दिये जायें ताकि मुख्य सचिव के विरुद्ध अनावश्यक रूप से अवमानना प्रकरण निर्मित न हो। यदि भविष्य में किसी प्रकरण में मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस प्राप्त होगा तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा

3/ जिन प्रकरणों में न्यायालय आदेश पारित हो चुके हैं उनमें आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसके लिये प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख द्वारा न्यायालय प्रकरणों की पाक्षिक समीक्षा की व्यवस्था की जाये। यदि न्यायालय आदेश के पालन में कठिनाई हो तो अपील की कार्यवाही यथासमय पर की जाये ताकि न्यायालय आदेश की अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

निरंतर ...2

12

4/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किसी निर्देश को यदि याचिका में चुनौती दी गई हो तो ऐसे प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग के ध्यान में लाये जायें ताकि उस पर यथासमय कार्यवाही की जा सके। यदि विभाग द्वारा निर्देशों का पालन न करते हुये अनियमित कार्यवाही की गई हो और ऐसी याचिकाओं में यदि प्रमुख सचिव/सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पक्षकार बनाया गया हो तो प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का नाम विलोपित कराने हेतु निर्देशित किया जाये और विभाग की ओर से प्रत्यावर्तन की कार्यवाही तत्काल की जाये।

5/ न्यायालय आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

6/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

Sudesh

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ–5–12/2009/1/8 भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र.मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

उपसचिव
म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक 591 /431/2010/1/6 भोपाल दिनांक 18-3-2010

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/
नगरीय प्रशासन एवं विकास/
जल संसाधन/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

2 समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- Writ Petition Civil No.36/09, Measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells

---

उपरोक्त विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/02/2010 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(डी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

412648 WP(C) 36/2009

ITEM NO.11 COURT NO.1 SECTION PIL

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

WRIT PETITION (CIVIL) NO(s). 36 OF 2009

IN RE: MEASURES FOR PREVENTION OF FATAL ACCIDENTS OF SMALL CHILDREN DUE TO THEIR FALLING INTO ABANDONED BORE WELLS AND TUBE WELLS Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

(With office report)

Date: 11/02/2010 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE DR. JUSTICE B.S. CHAUHAN
HON'BLE MR. JUSTICE C.K. PRASAD

Mr. Paramjit Singh Patwalia, Sr. Adv. (A.C.)

For Petitioner(s)

For Respondent(s) Ms. Indira JaiSing, ASG
Mr. Ashok Bhan, Adv.
Ms. Sadhna Sandhu, Adv.
Mr. C.K. Sharma, Adv.
Mr. D.S. Mahra, Adv.

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
..........................2008
Supreme Court of India

For State of Haryana Mr. Manjit Singh, AAG for Haryana
Mr. Kamal Mohan Gupta, Adv.
Ms.Reeta Chaudhary, Adv.
Mr. Gaurav Teotia,Adv.

For State of Punjab Mrs. Jayshree Anand, AAG for Punjab
Mr. K.K. Mahalik, Adv.
Mrs. Noor Jahan, Adv.
Mr. Kuldip Singh, Adv.

For State of Raj. Dr. Manish Singhvi, AAG for Rajasthan
Mr. Devanshu Kumar Devesh, Adv.
Mr. Milind Kumar, Adv.

Mr. T. Harish Kumar, Adv.

For State of U.P. Mr. Shail Kumar Dwivedi, AAG for U.P.
Mr. Manoj Kr. Dwivedi, adv.
Ms. Vandana Mishra, Adv.
Mr. Ashutosh Kr. Sharma, Adv.
Mr. Gunnam Venkateswara Rao, Adv.

For State of T.N. Ms. Promila, adv.
Mr. S. Thananjayan, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following

O R D E R

Certain safety measures/guidelines have been given in the signed order which are to be observed by all the States. The guidelines given in the signed order shall be given wide publicity through the national television channels. A copy of this order be sent to the Chief-Secretaries of all the States/Union Territories who shall forward the same to the District Collectors of all Districts of their respective State.

For further directions post this matter after 12 weeks.

(Ajay Kr. Jain)
Court Master

(Veera Verma)
Court Master

(Signed order is placed on the file)

16

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (C) NO. 36 OF 2009

In Re: Measures for Prevention of Fatal Accidents of Small Children Due to Their Falling Into Abandoned Bore Wells and Tube Wells .... Petitioner

Versus

Union of India & Ors. .... Respondents

O R D E R

Heard the learned Amicus Curiae and the learned Addl. Solicitor General appearing for the Union of India.

It has been brought to the notice of this Court that in a number of cases children had been trapped and fallen into bore wells and tube wells or abandoned wells. These reports have been coming from various States. Accordingly, we took suo motu initiative and issued notice to the various States to take immediate measures to prevent such kind of incidents.

The Union of India has filed its counter affidavit giving certain guidelines to be followed by the States.

We have perused the affidavit and the guidelines suggested by the Union of India.

Having regard to the number of incidents that have taken place during the recent past and immediate need for

preventing such incidents in future, we direct that the following safety measures/guidelines are to be observed by all the States :-

(i) "The owner of the land/premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well must inform in writing at least 15 days in advance to the concerned authorities in the area, i.e., District Collector/ District Magistrate/Sarpanch of the Gram Panchayat/ concerned officers of the Department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation, as the case may be, about the construction of bore well/tube well.

(ii) Registration of all the drilling agencies, viz., Govt./Semi Govt./Private etc. should be mandatory with the district administration.

(iii) Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details :-

(a) Complete address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well.

(b) Complete address of the user agency/ owner of the well.

(iv) Erection of barbed wire fencing or any other

suitable barrier around the well during construction.

(v) Construction of cement/concrete platform measuring 0.50 x 0.50x 0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.

(vi) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.

(vii) In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.

(viii) Filling of mud pits and channels after completion of works.

(ix) Filling up abandoned borewells by clay/sand / boulders/pebbles/drill cuttings etc. from bottom to ground level.

(x) On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

(xi) District Collector should be empowered to verify that the above guidelines are being followed and proper monitoring check about the status of boreholes/tubewells are being taken care through the concerned

State/Central Government agencies.

(xii) District/Block/Village wise status of bore wells/tubewells drilled viz. No. of wells in use, No. of abandoned bore wells/tube wells found open, No. of abandoned borewells/tubewells properly filled up to ground level and balance number of abandoned borewells/tubewells to be filled up to ground level is to be maintained at District Level.

In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department.

In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Department of Ground Water/Public Health/ Municipal Corporation etc.

(xiii) If a borewell/tubewell is 'Abandoned' at any stage, a certificate from the concerned department of Ground Water/Public health/Municipal Corporation/Private contractor etc. must be obtained by the aforesaid agencies that the 'Abandoned' borewell/tubewell is properly filled upto the

ground level. Random inspection of the abandoned wells is also to be done by the Executive of the concern agency/department. Information on all such data on the above are to be maintained in the District Collector/ Block Development Office of the State.

The guidelines abovementioned shall be given wide publicity through the national television channels. A copy of this order be sent to the Chief Secretaries of all the States/Union Territories who shall forward the same to the District Collectors of all Districts of their respective State.

For further directions post this matter after 12 weeks.

....................CJI.

....................J.
(Dr. B.S. CHAUHAN)

....................J.
(C.K. PRASAD)

NEW DELHI;
FEBRUARY 11, 2010

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5–5/2010/1/8 भोपाल, दिनांक 18-5 2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः शासन तथा विभिन्न सांविधिक अधिकारियों द्वारा सामान्य स्तर के प्रकरणों पर बढ़ती हुई मुकदमेबाजी तथा सच्चे एवं जरूरतमंद याचिकाकर्ताओं को तीव्र गति से न्याय उपलब्ध कराने के संबंध में।

--- 0 ---

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में SLP(c) क्रमांक 29852/09 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2009 में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि शासन तथा विधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय न लेने के कारण छोटी–छोटी बातों पर मुकदमेबाजी के मामलों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है जिससे जरूरतमंद लोगों को न्याय देने में विलंब होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का तत्संबंधी सारगर्भित भाग निम्नानुसार है :–

"...... it is a matter of concern that such frivolous and unjust litigation by governments and statutory authorities are on the increase. Statutory Authorities exist to discharge statutory functions in public interest. They should be responsible litigants. They cannot raise frivolous and unjust objections, nor act in a callous and highhanded manner. They can not behave like some private litigants with profiteering motives. Nor can they resort to unjust enrichment. They are expected to show remorse or regret when their officers act negligently or in an overbearing manner. When glaring wrong acts by their officers is brought to their notice, for which there is no explanation or excuse, the least that is expected is restitution/restoration to the extent possible with appropriate compensation. Their harsh attitude in regard to genuine grievances of the public and their indulgence in unwarranted litigation requires to be corrected ......

.......The reluctance to take decisions, or tendency to challenge all orders against them, is not the policy of the governments or statutory authorities, but is attributable to some officers who are responsible for taking decisions and/ or officers in charge of litigation. Their reluctance arises from an instinctive tendency to protect themselves against any future accusations of wrong decision making, or worse, of improper motives for any decision making. Unless their insecurity and fear is addressed, officers will continue to pass on the responsibility of decision making to courts and Tribunals. The Central Government is not attempting to deal with this issue by formulating realistic and practical norms for defending cases filed against the government and for filling appeals and revisions against adverse decision, thereby, eliminating unnecessary litigation. But, it is not sufficient if the Central Government alone undertakes such an exercise........... **Vexatious and unnecessary litigation have been clogging the wheels of justice, for too long making it difficult for courts and Tribunals to provide easy and speedy access to justi to bonafide and needy litigants."**

2/ अतः अनुरोध है कि :-

(1) निर्णय लेने में सक्षम सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्वयं पूरी सक्षमता एवं दक्षता से निर्णय लें तथा किसी संभावित गलत निर्णय के भय से अथवा भविष्य में किन्ही काल्पनिक अथवा संभावित आरोपों से बचने के उद्देश्य से ऐसी प्रवृत्ति न डालें कि वे स्वयं निर्णय ही न ले सकें और परिणामतः मामलों में निर्णय का दायित्व न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अंतरित हो जाए। अपने विरूद्ध हुए सभी आदेशों का न्यायोचित दृष्टि से परीक्षण करें और सभी आदेशों को चुनौती मानने की प्रवृत्ति से बचा जाए। सही और उचित निर्णय लेने मे आनाकानी करने से भी बचा जाए।

(2) आम लोगों की सच्ची समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया जाए न कि अकारण ही सख्त दृष्टिकोण रखा जाए।

23

(3) शासन के सभी अधिकारी जिम्मेदार वादी बनें। यदि मामले ऐसे हैं कि पक्षकार को किसी फोरम पर न्याय मिल रहा है तो उसे मात्र इसलिये अपील दर अपील नहीं खींचा जाना चाहिये कि निर्णय शासन के विरुद्ध है, बल्कि वास्तविक एवं व्यावहारिक मापदण्डों पर ऐसे प्रकरण का परीक्षण कर अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के बारे में उचित निर्णय लिया जाना चाहिये ताकि अकारण मुदकमेबाजी पर रोक लग सके।

3/ सभी विभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदाय करें।

(बी. आर. विश्वकर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्र. एफ 5-5/2010/1/8 भोपाल, दिनांक 18-5-2010

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(बी. आर. विश्वकर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

(24)

(9)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–6/2010/1/8 भोपाल,दिनांक 18–5–2010
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन निर्णयों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के बीच समुचित समन्वय।

राज्य शासन के ध्यान में हाल ही में ऐसा प्रकरण आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (अपील) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विलंब के आधार पर निरस्त कर दी गई और यह टिप्पणी की गई कि मामले में राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निष्क्रियता एवं लापरवाही बरती गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को समन्वित करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएँ।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में न्यायालयीन प्रकरणों में, जहाँ आवश्यक हो, विधिक राय लिया जाकर माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका/अपील दायर करने के बारे में परीक्षण कर, तत्संबंधी प्रशासकीय निर्णय प्राथमिकता पर लिया जाए तथा समय सीमा में विशेष अनुमति याचिका/अपील दायर की जाए। यदि किन्हीं कारणों से अपील दायर करने में विलम्ब हो जाय तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष Condonation of Delay के आवेदन में विलम्ब के ठोस कारण दर्शाये जायें ताकि अपील ग्राह्य करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त आधार उपलब्ध हों।

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–6/2010/1/9 भोपाल,दिनांक 18-5-2010
प्रतिलिपि–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
3 सचिव, लोकायुक्त/ उप लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश ,भोपाल
4 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
5 अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
6 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
7 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
8 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
9 मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र. भोपाल
10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
12 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
14 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
15 अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
16 मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
17 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर
18 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(11) (26)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1369 /1774/2010/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर,2010

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य पदेश ।

विषयः– सिविल अपील कमांक 506/2007 खाजिया मोहम्मद मुजमिल विरूद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित निर्णय का पालन बाबत्

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 506/2007 खाजिया मोहम्मद मुजमिल विरूद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 8 जुलाई, 2007 (प्रति संलग्न) में निम्नानुसार निर्देश दिये हैं :–

"किसी भी कर्मचारी के परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर सेवा नियमो के अनुसार परिवीक्षा अवधि समाप्त करने, परिवीक्षा अवधि में वृद्धि करने अथवा सेवा समाप्त करने के संबंध में जैसी भी स्थिति हो त्वरित कार्यवाही की जाए एवं इसमें अनावश्यक विलम्ब न हो।"

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि।

27/9/2010
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

....................2

पृ.क्रमांक 1378/1774/2010/3/एक भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर,2010

प्रतिलिपिः—

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5 राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19 अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20 अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।
21 श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी.कम्प्यूटर कक्ष बल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आर.बी.वैष्णव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(28)

(12)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1568 / 2223 / 2010 / 3 / एक   भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:– सिविल अपील कमांक 596 / 2007–खाजिया मोहमीद मुजमिल विरूद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य में पारित निर्णय बावत्।

संदर्भ:– सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक 1369 / 1774 / 2010 / 1 / 3 दिनांक 27.9.2010.

विषयांकित संबंध में विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक–596 / 2007 में दिनांक 8–7–2010 को पारित निर्णय की प्रति संलग्न कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हेतु प्रेषित किया गया था। इसी अनुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 21 / 30.9.2010 के अनुलग्नक शुद्धिपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – यथोपरि।

8/11

(आर.बी.वैष्णव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(29)

2188/2010
13-10-2010

All communication should be addressed to the Registrar, Supreme Court by designation, NOT by name.
Telegraphic address:- "SUPREMECO"

SUPREME COURT
INDIA
NEW DELHI

D. NO. 5949/10/IV-A
Dated: 21.9.2010

From: The Assistant Registrar,
Supreme Court of India,
New Delhi.

To,

23. The Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal. Bhopal.

CIVIL APPEAL NO. 596 OF 2007
(Ref: High Court of Karnataka at Bangalore in Writ Petition No. 11965 of 2000 (S-RES))

Khazia Mohameed Muzammil .. Appellant

Versus

State of Karnataka & Anr. .. Respondents

Sir,

In continuation of this Registry's letter of even number dated 15/22.7.2010, I am directed to forward herewith a certified copy of corrigendum dated 18.9.2010 in Judgment dated 8.7.2010 for your information and necessary action.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

ASSISTANT REGISTRAR

30

REPORTABLE- 390/2010 532363 SECTION-~~XVI~~ IVA

SUPREME COURT OF INDIA

No. F. 3/Ed. B. J./10/2010
New Delhi.
Dated: 18.09.2010

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
30.9.2010
Supreme Court of India

CORRIGENDUM
IN
CIVIL APPEAL NO. 596 of 2007
(Judgment dated July 8, 2010)

Khazia Mohammed Muzammil ....Appellant(s)

Versus

The State of Karnataka ....Respondent(s)

PAGE NO.	PARA NO.	LINE NO.	FOR	READ
2	1 (contd)	10-6 from bottom	It appear that in October 1999, the Registrar General of the High Court addressed a communication in the Chief Secretary of the State seeking the discharge of the appellant in terms of Rule 6(1) Kerala Civil Service (Probation) Rules, 1977…	It **appears** that in October 1999, the Registrar General of the High Court addressed a communication in the Chief Secretary of the State seeking the discharge of the appellant in terms of Rule 6(1) **Karnataka** Civil Service (Probation) Rules, 1977

23	12-	6 (from top)	...satisfactorily competed his period or pass an order extending the ...	......satisfactorily competed his **probation** period or pass an order extending the.....
23	12	3 from bottom	... satisfactorily completed or has not passed the speial examinations.....	...satisfactorily completed or **the probationer** has not passed the special examinations.....

18/5

BRANCH OFFICER
EDITORIAL BRANCH

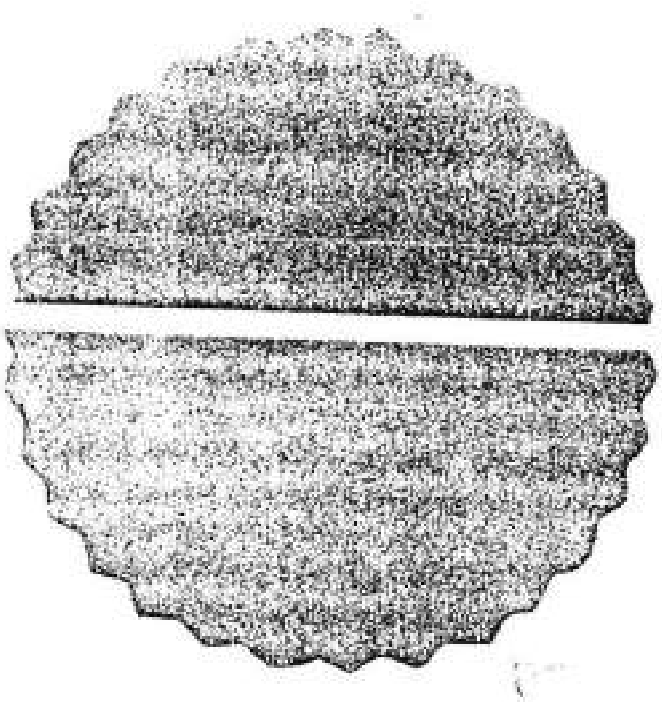

(13) (32)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–3/2011/1/8 भोपाल, दिनांक 04/08/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.,ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:– न्यायालयीन प्रकरणों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को पेशी पर उपस्थित होने के संबंध में।

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कई न्यायालयीन प्रकरण जिनमें शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियो को पेशी पर बुलाया जाता है उनमें संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तब तक पेशी पर उपस्थित नहीं होते हैं जब तक कि उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हो जाता है।

2/ शासकीय सेवकों की इस प्रवृत्ति से न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है जो उचित नहीं है।

3/ अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त शासकीय सेवकों को जब भी किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी न्यायालय द्वारा पेशी पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाय तो संबंधित शासकीय सेवक पेशी के लिए नियत अगली तिथि पर अनिवार्य रूप से उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, अथवा उन कारणों का हवाला देते हुए न्यायालय से समय मांगे जिनसे वह नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हो पा रहे।

(अरुण तिवारी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5-3/2011/1/8 भोपाल, दिनांक 04/08/2011

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
15. मुख्य सचिव के सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल
16. उप सचिव/अवर सचिव स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल

(राजेश कौल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशान विभाग

14

(34)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–4/2011/1/8 भोपाल, दिनांक 16/08/2011
प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश शासन।

विषयः– माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश/निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाना।

समय–समय पर महाधिवक्ता कार्यालय एवं अन्य स्त्रोतो से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे तथ्य शासन के संज्ञान में आए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अन्तिम हो जाने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया। यह स्थिति किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। किसी भी निर्णय, चाहे वह श्रम न्यायालय का हो, अपीलीय प्राधिकरण का ही क्यों न हो, के द्वारा पारित किए गए आदेश के विरूद्ध यदि सक्षम स्तर से अपील/ रिविजन आदि नही किए जाने का निर्णय लिया जाता है या अन्यथा किन्ही विधिक प्रावधानों के प्रभाव से माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश अन्तिम हो जाता है तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

2/ माननीय न्यायालयों मे प्रचलित प्रकरण में शासन की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि माननीय न्यायालय से पारित होने वाले अन्तरिम/अन्तिम आदेश से तत्काल ही सक्षम अधिकारी को अवगत कराए। प्रभारी अधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्णय जिनके विरूद्ध अपील/रिविजन नहीं किए जाने का सक्षम स्तर से निर्णय किया जा चुका है अथवा विधि के प्रावधान अनुसार आदेश अन्तिम हो चुका है तो उसका पालन किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को स्थिति से अवगत कराते हुए पालन हेतु निवेदन करे। यदि प्रभारी अधिकारी इन कार्यवाहियों में चूक करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

इन निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

(अरुण तिवारी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-6/2011/1/8 भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर, 2011

प्रति,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी,
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,

विषय:-माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों के पालन बाबत्।

—0—

22 OCT 2011

"माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा अवमानना प्रकरण 203/2010, में अप्रसन्नता व्यक्त की गई है कि न्यायालयों के आदेशों के पालन से बचने के लिए आदेशों के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में या तो अपील/याचिका वास्तव में प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया जाता है और बिना स्थगन प्राप्त किए मूल आदेशों का वर्षों तक क्रियान्वयन नहीं होता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,-

"The facts of this case disclose a disturbing state of affairs, where the State functionaries seem to have devised a novel method to avoid compliance of court orders by either proposing to or by actually filing appeals/petitions before the higher courts without obtaining any stay order, leading to the original order remaining non complied for number of years. This pendancy of appeal/petition before the higher court is then used as an excuse for non compliance of the order in a contempt petition."

माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाना, सभी का कर्तव्य है। समय समय पर इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य की मुकदमा नीति, 2011 (State Litigation Policy, 2011) तैयार कर पालनार्थ सभी को भेजी जा चुकी है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राज्य मुकदमा नीति, 2011 के पालन के साथ-साथ यह सुनिश्चित करें कि न्यायालयों के आदेशों का समय पर पालन हो।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

(16) (36)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5– 7/2011/1/8 भोपाल,दिनांक 23/11/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों मे प्रकरण के महत्व के अनुसार प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति।

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कई विभागों द्वारा महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में पक्ष समर्थन हेतु कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण इन प्रकरणों में शासन की ओर से प्रभावी ढंग से प्रतिरक्षण नहीं हो पाता है।

2/ किसी न्यायालयीन प्रकरण में शासन का पक्ष पूर्ण सजगता एवं प्रभावी ढग से न्यायालय के समक्ष रखने हेतु यह आवश्यक है कि नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी को मामले की पूरी जानकारी होने के साथ ही, वह शासकीय अधिवक्ता को मामले के विभिन्न बिन्दुओं से सूक्ष्मतापूर्वक अवगत करा सकने में समर्थ भी हो।

3/ अतः भविष्य मे इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी न्यायालयीन प्रकरण की विषय वस्तु तथा उसके महत्व के अनुसार ही उपयुक्त स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा महत्वपूर्ण प्रकरणो में कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त न किया जाए।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमाक एफ 5–7/2011/1/8 भोपाल,दिनाक 23/11/2011

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
3 सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
10. मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र. भोपाल
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
13. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(38)

(17)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

9-1-2012

क्र. सी–6– 6/2011–3–एक. भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर, 2011~~

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः–रिट पिटीशन क्र. 12748/2009–विवेक कुमार लखेरा वि.शासन एवं अन्य में पारित निर्णय का पालन–अनियमित नियुक्ति के मामलों मे त्वरित कार्यवाही।

रिट पिटीशन क्र. 12748/2009–विवेक कुमार लखेरा विरूद्व शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दि 23.08.2011 की प्रति संलग्न है। न्यायालय आदेश मे, ऐसे प्रकरण जिनमें नियमों की अवहेलना करते हुऐ नियुक्ति/संविलियन/पदोन्नति आदि दी गयी है, में निम्नानुसार आदेश पारित किया हैः–

"Whether an appointment is alleged to be illegal or contrary to the rules or dehors the rules, a mere show cause notice is issued to justify such appointment , and the reply is considered for examining whether the appointment was in accordance with or was in violation of the service rules. We may also point out here that if against any such employee, there are allegations of misconduct also in addition to the above irregularity in appointment , the same should not be mixed up as it might cause avoidable delay. Prompt action with regard to the appointments is desirable, if they are irregular. Delay would mean that such employee undesrvedly continues in public employment."

4– कृपया मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(वीणा घाणेकर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

–पेज़ी है पं. क्रम है–

19-1-12

पृ.क्र. सी-6- 6 / 2011-3-एक, भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर, 2011~~

प्रतिलिपि,

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव / अवर सचिव,स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19. अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

9-1-12

(कमला अजीतवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Copy of order sheet

Form No. 8
(Chapter X, Rule 27)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

WRIT PETITION NO. 12745 OF 2009 (P.I.L.)

PETITIONER : Vivek Kumar Lakhera, Aged about 27 years, S/o Shri Vijay Kumar Lakhera, Occupation- Advocate, R/o H.No. 824, Hanumantal, Jabalpur (M.P.).

VERSUS

RESPONDENTS : 1. State of Madhya Pradesh, Through the Chief Secretary, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal (M.P.).

2. Vidhan Sabha Secretariat, through its Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.)

3. Shri Anand Kumar Pyasi, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

4. Smt. Arti Sharma, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.)

5. Shri Vinod Kumar Chaturvedi, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

6. Shri Abdul Hamid, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

7. Shri Laxman Prasad Mishra, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.)

NOTARY

- 8 NOV 2009

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

8. Shri Ajay Tiwari, Lower Division Clerk, , Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

9. Shri Vanspati Sharma, Assistant Marshall, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

10. Shri Vinod Kumar Mishra, Security Guard, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

11. Shri Satya Naryaan Sharma, Deputy Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

12. Shri Ramshankar, Deputy Secretary/Personal Secretary to the Hon'ble Speaker, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

13. Shri Kamlakant Sharma, Anubhag Adhikari, Madhya Pradesh, Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

8 NOV 2009

(Regular Public Interest Litigation Petition)

1. **Particulars of the cause/order against which the petition is made:**

Subject-matter in brief. The petition is not made against any particular order but for issuance of appropriate writ, order and/or direction to take appropriate action against the respondent Nos. 3-13 who have been illegally appointed in service without having requisite qualification and without following the procedure for recruitment. The petition is also for the appropriate order to direct the respondents to enquire into the matter and to take necessary steps against the responsible persons.

(4

42

5

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE No. .... 201..............

.... Vs. ....

DATE OF THE ORDER	ORDER
	W.P. No.12748/2009 23/8/2011 We have heard Shri Arvind Shrivastava, learned counsel for the petitioner, Shri Kumaresh Pathak, learned Deputy Advocate General for the respondent No.1 and 2 and Shri R.N. Singh, learned senior counsel with Shri V. John, Advocate, for the respondent No.3 It has alleged by the learned counsel for the *Vidhan Sabha* that the respondent No. 3 has already retired, and some other employees against whom the allegations of absorption/appointment/promotion in violation of the rules have been made, have also ceased to be in employment. However, it is conceded that some of such employees are still continuing in employment It has been brought to our notice that charge-sheets for departmental inquiry have been issued to some of such employees. We have not been shown the justification for such action on the part of the *Vidhan Sabha* because normally such departmental charge-sheets are issued in cases of misconduct where charges are required to be proved by evidence in the departmental inquiry. Whether an appointment is alleged to be illegal or contrary to the rules or *dehors* the rules, a mere show cause notice is issued to justify such appointment, and the reply is considered for examining whether the appointment was in accordance with or was in violation of the service rules. We may also point out here that if against any such employee there are allegations of misconduct also in addition to the above irregularity in appointment, the same should not be

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE No. .... 201 ....

.... Vs. ....

DATE OF THE ORDER	ORDER
YS/	mixed up as it might cause avoidable delay. Prompt action with regard to the appointments is desirable, if they are irregular. Delay would mean that such employee undeservedly continues in public employment. Accordingly, as prayed by the learned counsel for the *Vidhan Sabha*, the matter be listed again immediately after four weeks to enable the *Vidhan Sabha* to examine the law on the point and to either justify the action by way of charge-sheets or initiate such proper action as may be called for. C.C. as per rules. (Sushil Harkauli) Acting Chief Justice (K.K. Trivedi) Judge TRUE COPY Head Copyist, High Court of Madhya Pradesh JABALPUR

44

18

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-3 /2012/1/8 भोपाल, दिनांक 17/08/2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-अवमानना याचिकाओं में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति।

अतिरिक्त महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा अवमानना याचिकाओं में नियुक्त किए जा रहे संपर्क अधिकारियों को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु भी अधिकृत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ विभागों द्वारा अवमानना याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।

2/ स्पष्ट किया जाता है कि अवमानना याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान नहीं है। संपर्क अधिकारी की नियुक्ति अवमानना प्रकरणों में की जा सकती है जो महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क कर उनके परामर्श अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा/करवाएगा। अवमानना याचिका में जवाबदावा व शपथपत्र संपर्क अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगा बल्कि प्रतिवादी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होगा।

25/08/2012

(शिवानंद दुबे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5– 3/2012/1/8 भोपाल,दिनांक 27/08/2012

प्रतिलिपि:–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
3 सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
10. मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र. भोपाल
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
13. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
15 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

46

स्थानेर

19

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5– 4/2012/1/8 भोपाल दिनांक 27/03/2012

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:– न्यायालयीन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही।

न्यायालयीन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु निम्नानुसार समेकित निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

(क) नीतिगत एवं महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में सामान्यतया राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ख) न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी उसी विभाग का होना चाहिए जिस प्रशासकीय विभाग का मामला है।

(ग) प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे मामले का पूर्ण अध्ययन करके ही संबंधित अभिलेख एवं तथ्यों के साथ विधि अधिकारी से सम्पर्क करें।

(घ) सेवा संबंधी मामलों में प्रभारी अधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता कर्मचारी को साथ में न ले जाए और शासन के हितों का समर्थन प्रभावी ढंग से हो। इसलिए सम्पूर्ण तथ्य विधि अधिकारी के सामने रखे तथा प्रभारी अधिकारी के

निरन्तर 2

आचरण से यह प्रकट नहीं होना चाहिए कि वह शासन की ओर से नहीं बल्कि याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी हेतु गए हैं।

(च) न्यायालयीन प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करने हेतु कई विभागों द्वारा पूर्व में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर, तीनों स्थानों के लिए यदि नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो अब तत्काल की जाए।

(छ) नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे संबंधित महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों के साथ ही अपने विभाग और प्रभारी अधिकारियों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग करते रहें।

(ज) सभी प्रशासकीय विभाग अपने नोडल अधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रत्येक माह प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय एवं भोपाल स्थित प्रशासकीय विभागों की जो वीडियो कान्फेन्सिंग आयोजित की जाती है, उसके पूर्व ही नोडल अधिकारी महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क करें तथा नोडल अधिकारी भी वीडियो कान्फेन्सिंग में उपस्थित रहें।

2. उपर्युक्त निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों/ कार्यालयों एवं अन्य संबंधितों को अवगत कराया जाए। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों के पालन के संबंध में निरन्तर समीक्षा की जाए और जहाँ निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो या कोई लापरवाही बरती जा रही हो तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

27/09/2011

(शिवानन्द दुबे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(3)

क्रमांक एफ 5- 4/2012/1/8 भोपाल,दिनांक 24/05/2012

प्रतिलिपि:-

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / इन्दौर
3 सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल
4 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
5 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश भोपाल
6 अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
7 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9 प्रमुख सचिव / सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
10. मंत्री / राज्यमंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक म.प्र. भोपाल
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
13. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
15. सचिव मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर / अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / इन्दौर।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

20

49

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल–462004

कमांक एफ 5– 3/2013/1/8 भोपाल,दिनांक 30/5/13

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
भोपाल।

विषयः– अवमानना याचिकाओ के त्वरित निराकरण के लिए कार्यवाही।

वित्त विभाग द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि कई प्रकरणों मे नियमों के उचित निर्वचन के अभाव में अवमानना याचिकाएँ शासन के विरूद्ध लगाई जाती हैं। इन अवमानना याचिकाओं में कतिपय प्रकरणों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रथम पक्ष एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त को पक्षकार बनाया जाता है।

2/ अवमानना याचिका दायर किये जाने की स्थिति सामान्यतः संबंधित विभाग द्वारा न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का समय पर पालन नहीं हो पाना ही होता है। कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि न्यायालयों के निर्णयों में यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि संबंधित विभाग स्पष्ट एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी करे, परन्तु ऐसा करने में पूर्ण सावधानी नहीं बरतने के फलस्वरूप अवमानना की स्थिति निर्मित होती है।

3/ अवमानना की स्थिति निर्मित होने पर ऐसे कई मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने की स्थिति बनती है, विशेष रूप से नियमों से जुडे मामलों में उक्त का दीर्घकालीन प्रभाव विभाग एवं शासन व्यापी हो सकता है। इनके फलस्वरूप शासन पर अप्रत्याशित वित्तीय प्रभाव भी पड़ सकता है। इस तरह का निर्णय लेने से भविष्य में विवादों की स्थिति पैदा होने की संभावना रहती है, जो उचित नहीं है।

निरंतर........2

4/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृपया अपने विभाग की विषय सूची संबंधित प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की शीघ्र समीक्षा कर लें। जिन मामलों में स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है, उनमें तत्काल ऐसे आदेश जारी कर न्यायालय एवं याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाये जिससे अवमानना की स्थिति से बचा जा सके।

5/ ऐसी किसी भी अवस्था से बचने के लिए अपने न्यायालयीन प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने तथा इन प्रकरणों से संबंधित की मॉनिटरिंग की व्यवस्था कायम कर उसे कारगर रूप से लागू करें। इस संबंध में विभागाध्यक्षों को भी विस्तृत निर्देश जारी करें।

(आर.परशुराम)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक एफ 5– 3/2013/1/8 भोपाल,दिनांक 30/5/13

प्रतिलिपिः–

समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(21) (51)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2013

कमांक : एफ 5–2/2013/1/8 :: राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में शासन से समन्वय एवं सतत सम्पर्क में रहने, दिन–प्रतिदिन दायर होने वाले प्रकरणों की प्रतियॉं प्राप्त करने, सुनवाई के दौरान प्राप्त निर्देशों/होने वाली कार्यवाहियों, न्यायालयीन आदेश के पालन की व्यवस्था की मॉनीटरिंग, प्रभारी अधिकारी द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत करने इत्यादि की दिन–प्रतिदिन मॉनीटरिंग हेतु हेतु उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर ; केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर तथा सर्किट सिटिंग ग्वालियर एवं इन्दौर हेतु **संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय)** के कार्यालय की स्थापना/गठन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :–

1/ उक्त संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालयों हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से 04 संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) तथा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा (राजस्व विभाग) संवर्ग से 03 सहायक आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ उक्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) संबंधित महाधिवक्ता कार्यालय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, शासन के संबंधित विभागों के साथ सतत सम्पर्क में रहेंगे तथा न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी समस्त संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3/ **आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय)**–प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के कार्यालयों हेतु **पदेन आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय)** घोषित किया जाता है।

4/ कार्य के व्यापक स्वरूप को देखते हुये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसके लिये एक सॉफ्टवेयर का विकास किया जायेगा, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित एवं दर्ज होने वाले न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को ई–मेल तथा एस.एम.एस. के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।

5/ **आवश्यक संसाधन**– उक्त संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालयों हेतु महत्वपूर्ण संसाधन यथा फैक्स, कम्पयूटर, लेपटॉप, हेवी ड्यूटी प्रिंटर मय स्केनर, हेवी ड्यूटी फोटोकॉपियर, ब्राडबैंड / इन्टरनेट, डेटाकार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, टेलीफोन आदि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अधिकारी को शासकीय कार्य संपादित करने हेतु किराये पर वाहन, मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति आदि प्रदान किये जायेंगे।

6/ **कार्यालय का स्थान**– प्रारंभ में उक्त संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालय का संचालन महाधिवक्ता कार्यालय में किया जायेगा तथा बाद में उच्च न्यायालय के समीप स्थित किसी भवन में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर किराये पर लिया जाकर संचालित किया जायेगा।

7/ **पदेन उप सचिव**– उक्त संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) को शासन द्वारा पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, घोषित किया जायेगा।

8/ **कार्य एवं दायित्व**– उक्त संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के कार्य एवं दायित्वों का विवरण **परिशिष्ट–1** अनुसार प्रस्तावित है।

9/ कार्यालयीन सेटअप– उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर, सर्किट सिटिंग इन्दौर/ग्वालियर हेतु संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के कार्यालय हेतु निम्नानुसार सेटअप स्वीकृत किया जाता है:–

क्र.	पदनाम	अधिकारी का वर्ग/वेतनमान	पद/संसाधन विवरण			
			जबलपुर	इन्दौर	ग्वालियर	कुल योग
1	संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से	अपर कलेक्टर /संयुक्त कलेक्टर 15600–39100 + 7600/6600	1	1	1	3
2	उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से	संयुक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर 15600–39100 + 6600/5400	1	–	–	1
3	सहायक आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) तथा पदेन आहरण एवं संवितरण अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संवर्ग से	तहसीलदार 9300–34600+ 4200	1	1	1	3
4	शीघ्र लेखक (1 हिन्दी + 1 अंग्रेजी)	9300–34600+ 3600	2	2	2	6
5	लेखापाल	5200–20200+ 2800	1	1	1	3
6	प्रोग्रामर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा	9300–34600+ 4200	1	1	1	3
7	डाटा एंट्री ऑपरेटर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा	5200–20200+ 1900	4	4	4	12
8	भृत्य	4440–7440+ 1800	3	3	3	9

10/ संरचना

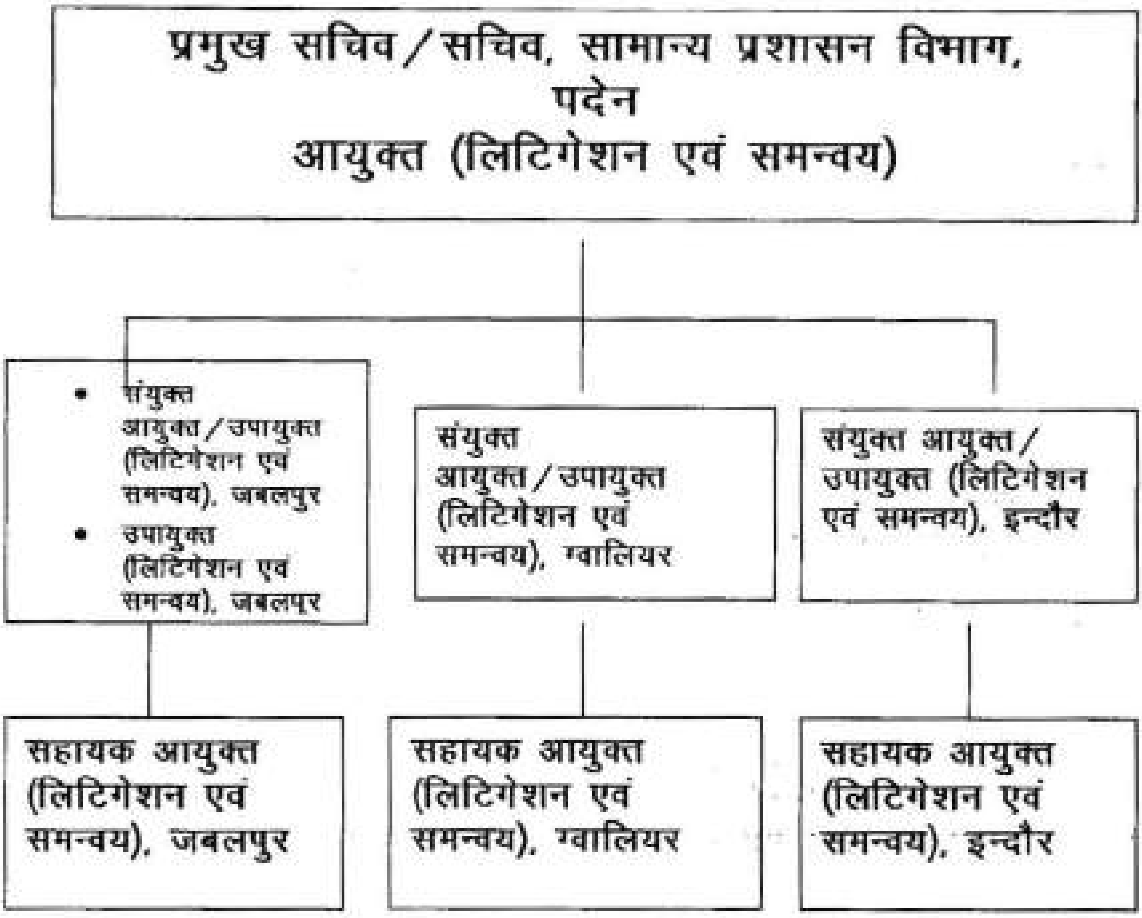

12/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी– उक्त संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के कार्यालयों हेतु कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा (राजस्व विभाग) संवर्ग से सहायक आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

13/कार्यालय प्रमुख– उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर, सर्किट सिटिंग इन्दौर/ग्वालियर हेतु राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालय के कार्यालय प्रमुख रहेंगे।

14/समन्वय – संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर द्वारा ग्वालियर एवं इन्दौर के कार्यालयों से समन्वय कर आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक जानकारी प्रदाय की जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग से नियुक्त राज्य

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की वरिष्ठता के आधार पर संयुक्त आयुक्त (लिटीगेशन एवं समन्वय) एवं उपायुक्त (लिटीगेशन एवं समन्वय) का निर्धारण किया जायेगा।

15/ विभागाध्यक्ष – प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पदेन आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) रहेंगे जो उक्त तीनों कार्यालयों हेतु विभागाध्यक्ष रहेंगे। उक्त तीनों कार्यालयों पर सम्पूर्ण नियंत्रण प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का रहेगा।

16/बजट प्रावधान–उपरोक्तानुसार नवीन कार्यालय की स्थापना पर अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि, कार्यालय व्यय (यथा वाहन, टेलीफोन, ब्राडबेंड, डेटाकार्ड, डिजीटल सिग्नेचर, लेपटॉप, कम्प्यूटर, फैक्स, हैवीड्यूटी प्रिन्टर/फोटोकॉपियर/स्केनर, फर्नीचर आदि) पर हेतु कुल रुपये 1,74,18,000 (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख अट्ठारह हजार, जिसमें रुपये 38,70,000 अनावर्ती तथा रुपये 1,35,48,000 आवर्ती व्यय होगा)की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु वित्त विभाग द्वारा आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालय के नाम से सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत आवश्यक बजट प्रावधान किया जायेगा।

17/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अमले की व्यवस्था – सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के कम्प्यूटराइजेशन हेतु परियोजना कार्य के लिये एक सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की जायेगी और तकनीकी मानव संसाधन की व्यवस्था भी प्रारंभिक वर्षों में सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा ही की जायेगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहमति अनुसार उक्त कार्यालयों हेतु तीन प्रोग्रामर तथा 12 डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों की पूर्ति सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से की जायेगी तथा इसके लिये आवश्यक बजट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(56)

18/ सॉफ्टवेयर का विकास – न्यायालयीन निर्णयों की त्वरित सूचना राज्य शासन के संबंधित विभाग को प्राप्त हो सके इसके लिए उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, महाधिवक्ता/स्टेण्डिंग काउंसिल तथा राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों के मध्य ऑनलाइन कम्युनिकेशन की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास किया जायेगा।

19/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक अ.प्रौ.सु.8341/1088/व-8/चार/13 दिनांक 19/08/13 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

संलग्न :– परिशिष्ट–1

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क0 : एफ 5–2/2013/1/8 भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मंत्री/राज्य मंत्रीगण (समस्त) के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

9. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।

11. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।

12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

13. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

16. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।

17. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

18. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

19. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल।

20. सचिव "कार्मिक", सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।

21. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल।

22. शासन के समस्त विभाग ।

23. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

24. समस्त संभागायुक्त।

25. समस्त जिलाध्यक्ष।

26. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।

(संजय कुमार मिश्र)
उप सचिव एवं
राज्य शिष्टाचार अधिकारी
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की मॉनीटरिंग एवं शासन से समन्वय एवं सतत सम्पर्क में रहने हेतु – संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के कार्य एवं दायित्व

- न्यायालयीन प्रकरणों के दर्ज होने, प्रभारी अधिकारी द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत करने, सुनवाई की अद्यतन स्थिति, अवमानना याचिका प्रचलित होने, शासन के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित होने की संभावना, इत्यादि की सतत् मॉनीटरिंग करना।

- समस्त दर्ज प्रकरणों से संबंधित फाइलें, दस्तावेज, नियम, सूचनायें एवं आदेश एकत्रित करना एवं पीडीएफ में स्केन करना।

- दर्ज प्रकरणों के अभिलेख महाधिवक्ता कार्यालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर उन्हें संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव को पीडीएफ स्केन कर तत्काल प्रेषित करना।

- प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित डाटाबेस अपडेट करना तथा प्रकरण की दैनिक स्थिति के संबंध में प्रभारी अधिकारी एवं विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को दूरभाष/ई—मेल/ एस.एम.एस. के माध्यम से अवगत कराना।

- प्रकरण के प्रभारी शासकीय अधिवक्ता से सतत सम्पर्क में रहना एवं उनके चाहे अनुसार अभिलेख /वादोत्तर शासन से उपलब्ध कराना।

- शासन के विरूद्ध पारित आदेश / एकपक्षीय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं संबंधित न्यायालय से उसी दिन प्राप्त करना तथा विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव / प्रभारी अधिकारी को तत्काल पीडीएफ स्केन कर ई—मेल से उपलब्ध कराना।

59

- न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन की समय – सीमा के संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों को एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा सूचित करना।

- शासन के विरूद्ध पारित आदेशों में अपील प्रस्तुत करने, शासकीय अधिवक्ता की राय प्राप्त करने इत्यादि के संबंध में तत्काल कार्यवाही करना।

- प्रभारी अधिकारी के स्थानांतरण / परिवर्तन पर नवीन प्रभारी अधिकारी का डाटाबेस अद्यतन करना।

- विभागवार प्रत्येक प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी यथा पक्षकार, विषयवाद, प्रभारी अधिकारी, विभागीय प्रमुख सचिव, उनके ई–मेल / मोबाइल आदि की जानकारी अद्यतन रखना।

- शासन के अधिकारियों के विरूद्ध दायर प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त होने तक शासन की ओर से वकालतनामा / अन्तरिम उत्तर शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से तैयार कर प्रस्तुत करना।

- प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में वादोत्तर / वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष /ई–मेल / एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करना।

- शासन के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों / अवमानना याचिका / याचिका /अपील आदि का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करना तथा उसे प्रतिदिन अपडेट करना।

- ऑनलाइन डाटाबेस के आधार पर प्रकरणों के संबंध में प्रभारी अधिकारी एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष /ई–मेल / एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करना।

60

- शासन के उप सचिव की हैसियत से न्यायालय में सुनवाई के दौरान आवश्यकतानुसार उपस्थित रहकर कार्यवाही करना।

- उच्च न्यायालय एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रजिस्ट्रार तथा शासन के महाधिवक्ता के सतत सम्पर्क में रहना तथा प्रकरणों के बारे में अद्यतन जानकारी रखना।

- विधि और विधायी कार्य विभाग की नियमावली के अध्याय 7 में वर्णित प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी रखना।

- विधि अधिकारियों की फीस आदि के भुगतान करने की प्रक्रिया की सतत् निगरानी रखना।

- राज्य की मुकदमा नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं ज्ञापनों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- प्रकरण के प्रभारी अधिकारी तथा शासकीय अधिवक्ता द्वारा कर्तव्य निर्वहन में चूक के मामलों को संबंधित विभाग प्रमुख की जानकारी में तत्काल लाना।

<u>नोट–</u> इन सभी कार्यों को सुगमता से संचालित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा, जिससे उच्च न्यायालय के सेंट्रल रजिस्ट्री कार्यालय/ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ महाधिवक्ता कार्यालय/ राज्य सरकार के समस्त प्रमुख सचिव के कार्यालय जुड़े रहेंगे।

(संजय कुमार मिश्र)
उप सचिव एवं
राज्य शिष्टाचार अधिकारी
मध्यप्रदेश

(22)

(61)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्र0 एफ–7–18/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–याचिका कमांक सी.सी.–8879/2007 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन बाबत।

---00---

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP No. 351/2002 श्री रामप्रकाश पहारिया विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 22.02.2007 के विरूद्ध मीना समाज सेवा संगठन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे याचिका कमांक सी. सी.–8879/2007 दायर की गई है। उक्त याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2011 को निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं :–

"The inquiry shall go on but no final order shall be passed without the permission of this court."

2/ अतः मीना जाति के जो अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज सब–डिवीजन से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति पाकर सेवारत हैं, उनके विरूद्ध यदि जाति प्रमाण पत्र से संबधित जॉच प्रचलित है तो वह निरंतर रखी जाए, किन्तु ऐसे किसी भी प्रकरण में अंतिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ही जारी किये जाये।

3/ कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाए।

4/ यह भी अवगत कराया जाता है कि भारत सरकार की अधिसूचना (राजपत्र संख्या–10) दिनांक 08.01.2003 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची के कमांक–32 पर अंकित "मीना" जाति को सूची से विलोपित किया जा चुका है। अतः इस जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के नवीन जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जावे।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 7-18/2013/आप्र/एक. भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
12. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
13. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद-500082।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
15. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
16. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
18. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
20. आयुक्त/संचालक, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश शासन।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 2585/1580/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- सेवा मामलों में न्यायालय के निर्णय के अंतिम हो जाने पर सभी संबंधित कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाना।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री सुनील जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 7686 दिनांक 01.07.2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :-उपरोक्तानसुार।

(घनश्याम एम. मूलानी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एच. एम. अहिरवार

Jain
Advocate General
High Court of M.P.

Office of the Advocate General
High Court of M.P. Bench INDORE
Ph. : (O) 2510139, 2524755, 2524756
Fax : 0731-2528847
Mob. : 98264-20424
E-mail : addlagind@nic.in
sunlljain307@gmail.com

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/GEN/4876/2015
दिनांक 20-7-15

D.O. No. 7686 Date 10.07.2015

To,
1/ The Chief Secretary,
Government of M.P.,
Vallabh Bhawan, Bhopal

No. 412 Dated 21/7/15

1 8 JUL 2015

2/ The Director General of Police,
Police Head Quarter, M.P.
Bhopal.

Sub: Regarding problems faced by our office in respect of the Court cases.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष - 8)
क्र. 1308/2015/1/8
दिनांक 08-08-2015

After joining as the Additional Advocate General in the office of the Advocate General, High Court of M.P. Bench at Indore, I am facing so many issues, which I deem it fit to bring to your notice, are as under:-

A/ That after filing of cases, the Hon'ble High Court in appropriate cases direct for issuance of notices to the respondents. Thereafter our Government Advocates used to send letters to the officer of the concerning Departments and inform them to contact this office alongwith entire record of the case for providing instructions, for preparation of reply and also request for appointment of Officer in charge of the case.

B/ Invariably I have observed that in most of the cases despite repeated letters and reminders neither the Officer in charge of the case is appointed in the case nor any other officer concerned contacts the Advocate General office for giving instructions in the matter, which creates very embarrassing situation for our Government Advocates before the Hon'ble High Court.

C/ During the pendency of the matter before the Hon'ble High Court, in the event of filing of rejoinder, interim application or in the event of passing of interim direction, our Government Advocates require some further instructions from the Officer in charge of the case and for that purpose, they are informed by our Government Advocates or by the officials of the Advocate General Office but it has been observed that despite receiving intimations from our office the officer in charge of the case or the officers concerned do not trouble themselves to contact this office for assisting and giving instructions to the Government Advocates, due to which our Government Advocates have to face annoyance of the Court and opponent counsel.

D/ That after appointment of the Officer in charge of the case it has also been observed that the Officer in charge of the case instead of contacting the Advocate General Office himself merely sends their clerks/subordinates to give instructions in the matter, who is not much conversant with the facts of the case and some times are not in a position to give appropriate instructions in the matter. It is expected that after appointment of the Officer in charge of the case, they should directly and immediately contact our office for giving instructions in the matter for preparation of reply or for further compliance in the matter.

E/ That, after hearing of the case, it is expected from the Officer in charge of the case to keep track about the out come of the case, to obtain certified copy of the order and to obtain opinion of the Government Advocate (if require) and see to it that the order passed by the Hon'ble High Court be complied with immediately if further appeal is not required.

F/ That, in case, if the Government authorities are not satisfied with the orders passed by the Trial or appellate Courts, they should take immediate steps to challenge the

said order of lower Court before the higher Courts by way of filing First appeals, Second Appeals, in Civil matters and Criminal Appeals and revision against the judgments and the orders of the Sessions Court and Magistrate Court. But for the same immediate steps should be taken so that the same can be done within limitation, prescribed under the Law. Similarly immediate steps are expected for filing Writ Appeal and S.L.P.

G/ That in many cases for challenging the orders of the lower Court before the High Court the officers from the Departments concerned comes only with the certified copy of judgment which they want to challenge but no relevant record of the same is being brought by them, in that situation it is not possible for the Government Advocates to take further steps immediately and it is very difficult to assail the order of the lower Court in proper manner. It is expected that when ever the Government decides to file appeal against the judgment and decree or against the order of acquittal the officer in charge of the case should come with all the relevant documents like written statements, statements of plaintiff and

defendants and all other necessary record pertaining to the matter. Similarly in criminal cases they should come with all the statements and Exhibits to facilitate the Government Advocate to draft the appeal properly in time.

H/ In bail matters it has been observed that case diaries are not being sent immediately. It is also expected from the Police Station concerned that alongwith case diary they should send the criminal antecedents (if any) of the accused person(s) so that the same may not be required to be called on at later stage under the the directions of the Hon'ble Court, therefore, same be made a part of the case diary.

I/ We have also observed that in service matters if one issue is decided by the Hon'ble High Court and Supreme Court, the other employees are required to file petitions before the Hon'ble High Court for the similar relief, which has conclusively decided by the Courts. This unnecessarily increasing the volume of litigation against the State. In this

regard my suggestion is that on a particular issue if Courts have given its verdict, which has attained finality then in that event by a general order similar benefit should be extended to all similarly situated persons, so that they may not required to approach the Court for claiming similar relief.

J/ It is also seen that in many cases the Hon'ble Court directs the Government Authority to pass a reasoned, speaking and detailed order while deciding the representation of the petitioner, but despite such specific directions the government authorities are in a habit to normally decide the representation by mentioning that "विचारोपरांत आपका अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है" But no reasons of rejection are being mentioned in the order while rejecting the representation, it is least expected from every authority that while deciding representations/cases proper reasons should be assigned, so that application of mind may appear in the order.

K/ In the back drop of aforesaid issues it is expected, you will issue proper orders/circulars for every Authority/Officers of all departments, which will facilitate the day to day working of Advocate General's Office in respect of Court cases.

70

The issues raised in this letter are very important issues. Please personally look into the matter and take immediate steps.

(SUNIL JAIN)
ADDL. ADVOCATE GENERAL,
INDORE.

No. /AG/2015 Indore, dated

Copy to:

The Advocate General, Madhya Pradesh, High Court Premises, Jabalpur for information and necessary action.

(SUNIL JAIN)
ADDL. ADVOCATE GENERAL,
INDORE.

(24)

(71)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–4/2016/1/8 भोपाल,दिनांक 17/6/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की प्रति संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) कार्यालयों को भेजने के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में शासन से समन्वय एवं सतत–सम्पर्क में रहने, दिन–प्रतिदिन दायर होने वाले प्रकरणों की प्रतियाँ प्राप्त करने, सुनवाई के दौरान प्राप्त निर्देशों/होने वाली कार्यवाहियों, न्यायालयीन आदेश के पालन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग, प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने इत्यादि की मॉनिटरिंग हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर तथा सर्किट सिटिंग ग्वालियर एवं इन्दौर हेतु संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के कार्यालय की स्थापना इस विभाग के आदेश दिनांक 19 अगस्त 2013 द्वारा की गई है।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर तथा सर्किट सिटिंग ग्वालियर एवं इन्दौर में दायर होने वाले आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किए जाने संबंधी आदेश की प्रति संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के उस क्षेत्र से संबंधित कार्यालय जबलपुर, ग्वालियर अथवा इन्दौर को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

3/ संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के तीनों कार्यालयों के पते संलग्न हैं। कृपया कंडिका–2 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एम.के.वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5-4/2016/1/8 भोपाल,दिनांक 17/6/2016

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
8. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।
14. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल।
15. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर ।

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

73

<u>संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) के तीनों कार्यालयों के पते</u>

1. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय)
   संभागीय आयुक्त, जबलपुर संभाग परिसर,
   जबलपुर।

2. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय)
   नवीन कलेक्ट्रेट भवन,
   ग्वालियर।

3. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय)
   राजानी भवन, प्रथम तल,
   उच्च न्यायालय के सामने,
   इन्दौर।

C-20

(74)

(35)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक 2447 /2884/2016/1/8 भोपाल,दिनांक 12/09/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रभारी अधिकारी की जानकारी दर्ज करने संबंधी।

विषयान्तर्गत उच्च न्यायालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट में, न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों की जानकारी भरने की सुविधा प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला विभागों के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं एवं तत्संबंध में उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

2/ अतः अनुरोध है कि इस सुविधा का उपयोग करते हुए, आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी की जानकारी उच्च न्यायालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से दर्ज की जाए। इस विषय पर किसी अन्य जानकारी के लिए उच्च न्यायालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सम्पर्क किया जाए।

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक २५५8 /2884/2016/1/8 भोपाल,दिनांक 12/09/2016

प्रतिलिपि:—

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर ।
3. रजिस्ट्रार (आई.टी.), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके पत्र दिनांक 12 अगस्त 2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4 सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ;भोपाल
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12.. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15 संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।
16. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल।
17 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर, ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(76)

(26)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–6 /2016/1/8 भोपाल,दिनांक 05-11-2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अवमानना प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा, सभी प्रकार के न्यायालयीन प्रकरणों में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने के संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बावजूद देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों/द्वारा कई न्यायालयीन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है।

2/ हाल ही में एक अवमानना प्रकरण सामने आया है, जिसमें दो वर्ष बीतने पर भी संबंधित अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है।

3/ ऐसी स्थिति निर्मित होना उचित नहीं है। प्रथमतः तो अवमानना प्रकरण दायर होने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, फिर भी यदि कुछ मामलों में राज्य शासन के किसी अधिकारी के विरूद्ध अवमानना प्रकरण दायर होता है तो उस अधिकारी का दायित्व है कि वह, माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करे।

निरन्तर.......2

4/ अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राज्य शासन के किसी भी अधिकारी के विरूद्ध अवमानना प्रकरण दायर होने पर, तत्काल ही सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाए एवं महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर उनके परामर्श के अनुसार समुचित कार्यवाही करने के लिए सम्पर्क अधिकारी को निर्देशित किया जाए।

5/ अवमानना प्रकरण में जवाब/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अतः प्रतिवादी अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसे किसी प्रतिकूल परिणाम का सामना न करना पड़े।

6/ कृपया इन निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए, कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(एम.के.वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

78

क्रमांक एफ 5– 6 /2016/1/8 भोपाल,दिनांक 05-11-2016

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।

2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर ।

3. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल

4. ~~सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।~~

5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।

7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।

8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।

9. ~~प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।~~

10 प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

11 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

12 ~~सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।~~

13 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।

14 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

15 संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।

16 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर. ।

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-3-4//2017/3/एक भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:- डब्ल्यू.पी.क्र. 20876/2016 द्वारा श्रीमती सुशीला देवी चौधरी, संविदा शाला शिक्षक, जिला शहडोल विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य, में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/01/2017 के परिपालन बाबत्।

विषयांकित न्यायालयीन प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा इस बात को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है कि पूर्व के समरूप उदाहरण/न्यायालयीन निर्णय होने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदकों/याचिकाकर्ताओं को नियमोचित वांछित लाभ नहीं दिया जाता है अथवा अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण नहीं किया जाता है जिससे कर्मचारीगण न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश होते हैं जिससे उन पर तो आर्थिक भार पड़ता ही है, साथ ही, न्यायालय में भी प्रकरणों की अनावश्यक बढ़ोतरी होती है। अत: मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं:-

(1) जैसे ही शासकीय कर्मचारी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय के प्रकाश में समरूप लाभ बाबत् अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जावे।

(2) शासकीय कर्मचारी से भी अपेक्षा है कि यदि पूर्व में पारित निर्णय के प्रकाश में समरूप लाभ बाबत् उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त न्यायालयीन निर्णय में निर्धारित समय सीमा के पश्चात् ही न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। जिन न्यायालयीन निर्णयों में समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे प्रकरणों में समय सीमा चार सप्ताह मानी जानी चाहिए।

2/ अत: अपेक्षा है कि कृपया मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। अभ्यावेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण स्पीकिंग आर्डर के जरिए निर्धारित समय में किया जावे। मूल निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण समय सीमा में न होने से अवमानना प्रकरण दायर होता है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे।

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. सी-3-4//2017/3/एक भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर
15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(81)

(28)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1–581/लोसूअ/2017/1640 भोपाल दिनांक 21/07/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— द्वितीय अपील क्रमांक–ए–0117/2016— श्री राजकुमार टेकाम विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी, बालाघाट, उत्पादन, उपवन मंडल बालाघाट म0प्र0।

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 16 जून, 2017 को पारित आदेश में शासन के समक्ष यह तथ्य लाया गया है कि शासकीय योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों विशेषकर आरक्षित वर्ग का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, स्थानीय/मूल निवासी प्रमाण–पत्र एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की जानकारी वेवसाईट पर उपलब्ध नहीं होने से नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बार–बार जानकारी मांगी जाती है । अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ावर्ग कल्याण का लाभ लेकर भर्ती होने वाले कर्मचारियों के जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र सभी के स्थानीय/मूल निवासी/विकलांगता प्रमाण–पत्र की जानकारी विभाग की वेवसाईट पर प्रदर्शित करवायें जिससे नागरिकों/शासकीय कार्यालय सीधे ही वेवसाईट से उक्त जानकारी का सत्यापन कर सके तथा फर्जी ढंग से गलत प्रमांण–पत्र बनाने की कार्यवाही पर भी रोक लगे सके।

2/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का नियमानुसार पालन करें। लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी ध्यानाकर्षित कराया जाए।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
एवं लोक सूचना अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक 1–581/लोसूअ/2017/1641 भोपाल दिनांक 21/07/2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।
2. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।

निरन्तर.....2

3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म0प्र0, भोपाल।
5. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण),मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0, भोपाल।
10. सचिव, म0प्र0 राज्य निर्वाचन, भोपाल।
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
13. सचिव, म0प्र0 राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
14. सचिव, म0प्र0 मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, 35–बी, सूचना भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर उनकी पृ.टीप कमांक/ए–0117/बालाघाट/2016/3378, दिनांक 28.06.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
एवं लोक सूचना अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(83)

(29)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र सी–6–2–2017–3–एक, भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2017

प्रति,

अपर मुख्य सचित/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
म.प्र. मंत्रालय

विषयः–रिट पिटीशन क्र 1353/2011 श्री रामसेवक मिश्रा वि. म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.07.2017 के सम्बन्ध में।

रिट पिटीशन क्र 1353/2011 श्री रामसेवक मिश्रा वि. म.प्र. शासन एवं अन्य में दिनांक 18.07.2017 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 8(1), 8(2) एवं 8(3) की व्याख्या करते हुऐ अवधारित किया है कि आपराधिक मामले में सेवानिवृत्त पेंशनभोगी के दोषी पाये जाने पर उसकी पेंशन रोकने की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में आदेश जारी किये जाने के पूर्व पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा पेंशनभोगी को कारण बताओ सूचना पत्र एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त निर्णय न्यायपीठ ने बहुमत के आधार पर पारित किया गया है।

2– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2017 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सी.बी.पडवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्र सी–6–2–2017–3–एक, भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, समन्वय, (मुख्यसचिव कार्यालय) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR
(Full Bench)

Writ Petition No.1353/2011

Ram Sewak Mishra ....Petitioner

Vs.

The State of M.P. and another .... Respondents

CORAM:-

Hon'ble Shri Justice Hemant Gupta, Chief Justice,
Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul, J.
Hon'ble Shri Justice Subodh Abhyankar, J.

Shri K. C. Ghildiyal, and Shri Jai Shukla, Advocates for the petitioner.

Shri P. K. Kaurav, Advocate General with Shri Amit Seth, Govt. Advocate for the respondents/State.

Whether approved for reporting ? Yes

Law laid down :- A relationship between employer and employee before superannuation is governed by service Rules. If the Rules do not permit giving of an opportunity of hearing, the same can be dispensed with but so far as pension is concerned, it not a bounty. Pension is a benefit earned by him by serving State for many years. The deprivation of such pension, a means of survival, for whole life, affects civil rights of the pensioner. Though sub-rule (2) of Rule 8 of the Pension Rules is silent about opportunity of hearing, but neither dispensing with an opportunity of hearing is urgent nor is any other purpose expected to be achieved by denying the benefit of opportunity of hearing. Therefore, in case of a pensioner, the rule of natural justice would warrant an opportunity of hearing, at least of serving a show cause and elucidating the reply of the pensioner.

The view expressed by this Court in **Dau Ram Maheshwar Vs. State of M.P. and another** reported as **2017(1) MPLJ 640** is affirmed.

Significant Paragraphs – 14 and 15

ORDER

(Delivered on this 18th day of July, 2017)

Per Hon'ble the Chief Justice

The matter has been placed before this Bench in view of the reference made by the learned Single Judge of this Court doubting the

correctness of an order passed by Single Bench of this Court in the case of **Dau Ram Maheshwar Vs. State of M.P. and another** reported as **2017(1) MPLJ 640.** The learned Single Bench has framed the following questions:-

> "(I) Whether a show cause notice/opportunity of hearing is required to be given to the Retired Government Servant who is convicted of a serious crime by the Court of law?
>
> (II) Whether the view taken in **Dau Ram Maheshwar**'s case (supra) is correct in view of Rule 8 of the Pension Rules?

02. The facts as are necessary for examining the question posed are that the Petitioner was convicted in a criminal case under Section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988. The petitioner filed an appeal against his conviction which is pending before this Court, wherein there is order of suspension of sentence. The petitioner attained the age of superannuation on 31.12.2004 and was granted anticipatory pension on 31.3.2005 by the Collector. The entire pension has been withheld under Rule 8 of the Civil Services (Pension) Rules, 1976 (hereinafter referred to as the "Pension Rules" for short) in view of the conviction of the Petitioner in the criminal case without giving any notice and opportunity of hearing. The impugned order of stoppage of pension has been passed on 15.3.2010. The ground of challenge in the writ petition is that pension could not be stopped without giving notice or opportunity of hearing.

03. On behalf of the State it is stated that the pension has been stopped after consultation of the Public Service Commission and the

approval from the Council of Ministers. It is denied that there is any violation of principles of natural justice as the pension has been stopped in terms of Rule 8 (1) of the Pension Rules, 1976. Rule 8 of the said Rules reads as under:-

> "**8. Pension subject to future good conduct.** - (1) (a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules.
>
> (b) The pension sanctioning authority may, by order in writing withhold or withdraw a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct:
>
> Provided that no such order shall be passed by an authority subordinate to the authority competent at the time of retirement of the pensioner, to make an appointment to the post held by him immediately before his retirement from service:
>
> Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum pension as determined by the Government from time to time.
>
> (2) Where a pensioner is convicted of a serious crime by a court of law, action under clause (b) of sub-rule (1) shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction.
>
> (3) In a case not falling under sub-rule (2), if the authority referred to in sub-rule (1) considers that the pensioner is *prima facie* guilty of grave misconduct, it shall before passing an order under sub-rule (1) :-
>
> > (a) serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time not

(87)

exceeding fifteen days as may be allowed by the pension sanctioning authority, such representation as he may with to make against the proposal; and

(b) take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under clause (a).

(4) where the authority competent to pass an order under sub-rule (1) is the Governor, the State Public Service Commission shall be consulted before the order is passed.

(5) An appeal against an order under sub-rule (1), passed by any authority other than the Governor, shall lie to the Governor and the Governor shall in consultation with the State Public Commission pass such order on the appeal as he deems fit.

Explanation. - In this rule, -

(a) the expression "serious crime" includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act, 1923 (No.19 of 1923);

(b) the expression "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or pass word or any sketch, plan, model, article, note, document or information such as is mentioned in section 5 of the Official Secrets Act, while holding office under the Government so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the country.

[**Note.** - The Provisions of this rule shall also be applicable to family pension payable under rule 47 and 48. The authority competent to make an appointment to the post held by the deceased Government servant/pensioner immediately before the death or retirement from the service, as the case may be, shall be the competent authority to withhold or withdraw any part of family pension.]"

04. The learned counsel for the petitioner contends that even a convicted employee is entitled to notice and opportunity of hearing as

(88)

part of rule of natural justice. The argument is based upon a principle that pension is not a bounty, but a right; therefore, any order which affects the vested civil right of a citizen can only be passed after compliance of principle of natural justice. Reliance is placed on the judgments of Supreme Court in the cases reported as **AIR 1967 SC 1269 (State Of Orissa Vs. Dr. (Miss) Binapani Dei & Ors), (1971) 2 SCC 330 (Deoki Nandan Prasad Vs. State Of Bihar & Ors), (1973) 1 SCC 120 (State of Punjab Vs. K. R. Erry), (1976) 2 SCC 1 (State of Punjab and another Vs. Iqbal Singh), (1987) 2 SCC 179 (State of Uttar Pradesh Vs. Brahm Datt Sharma and another)** and **(2007) 2 SCC 181 (Rajesh Kumar and others Vs. Dy. CIT and others).**

05. On the other hand, learned Advocate General refers to Supreme Court judgment in the case of **Dr. Umrao Singh Choudhary Vs. State of M.P. and another** reported as **(1994) 4 SCC 328**, to contend that principles of natural justice can be excluded which stands impliedly excluded which is apparent from bare reading of Rule 8. It is contended that sub-rule (3) of Rule 8 contemplates issuing of a prior show cause notice that is in respect of cases of grave misconduct. Since the finding of misconduct is to be recorded for the first time, the opportunity of hearing is contemplated in sub-rule (3) of Rule 8 of the Pension Rules. But sub-rule (2) does not contemplate any opportunity of hearing as the order of stoppage of pension is based upon a judgment of a competent Court. Therefore, the opportunity of hearing stands

excluded by implication when there is prior finding recorded by the competent Court, whereas when an action is being taken for the first time opportunity of hearing is provided for.

06. We have heard learned counsel for the parties and find that to answer the first question, it is necessary to examine as to whether the principle of natural justice stands excluded by implication, when action is taken under sub-rule (2) of Rule 8 of the Pension Rules, 1976.

07. **Dr. Umrao Singh Choudhary**'s case (supra), to which the learned Advocate General has put a strong reliance, deals with the situation of removal of Vice Chancellor of the University. The term of Vice Chancellor can be reduced by a notification issued by the Governor under Section 14 of the M.P. Vishwavidyala Adhiniyam, 1973 (for short "1973 Act"). Section 14 of the Act engrafts an elaborate procedure to conduct an enquiry after giving reasonable opportunity against the Vice Chancellor for his removal. Section 52 of 1973 Act is an exception to Section 14 of the said Act. To exercise the jurisdiction under Section 52, the condition precedent is that the State Government should be satisfied that the administration of University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act. It was held that application of principle of natural justice may be excluded either expressly or by necessary implication. It was held that the principle of natural justice does not supplant but supplement the law. The relevant extract from the judgment reads as under:-

> "4.................. Section 14 engrafts an elaborate procedure to conduct an enquiry against the Vice-Chancellor and after giving reasonable opportunity, to take action thereon for his removal from the office. Section 52 engrafts an exception thereto. The condition precedent, however, is that the State Government should be satisfied, obviously on objective consideration of the material relevant to the issue, as on record, that the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interest of the University, and that it is expedient in the interest of the University and for proper administration thereof, to apply in a modified form, excluding the application of Sections 13 and 14, etc. and to issue the notification under Section 52(1). By necessary implication, the application of the principle of natural justice has been excluded. In view of this statutory animation the contention that the petitioner is entitled to the notice and an opportunity before taking action under Section 52(1) would be self-defeating. The principle of natural justice does not supplant the law, but supplements the law. Its application may be excluded, either expressly or by necessary implication Section 52 in juxtaposition to Section 14, when considered, the obvious inference would be that the principle of natural justice stands excluded."

After recording such finding, the Court examined the record to find out the satisfaction recorded by the Governor in exercise of the powers conferred under Section 52 of the Act. It was found that the action under Section 52 is a statutory action, but subject to judicial review. The said judgment deals with the exercise of the powers by the Governor and that Section 52 of the said Act is an exception to Section

14 of the Act. The said judgment leads to one conclusion that the principles of natural justice can be excluded by implication as well.

08. The Full Bench of this Court in the case of **Laxmi Narayan Hayaran Vs. State of M.P. and another** reported as **2004 (4) MPLJ 555**, which was also referred by the learned Advocate General, deals with dismissal of employee from service without holding an enquiry on the basis of his conviction in bribery case. The Court excluded the principles of natural justice in respect of termination of an convicted employee in view of the Supreme Court judgment in the case of **Union of India Vs. Tulsiram Patel** reported as **(1985) 3 SCC 398**. The Full Bench held as the follows:-

> "10. Rule 19 of the State CCA Rules is similar to Rule 14 of Railway Rules considered in *Challappan* (supra) and unamended Rule 19 of Central CCA Rules considered in *Tulsiram Patel*, which did not provide for any opportunity of hearing in regard to the penalty to be imposed. In *Tulsiram Patel* (supra), the Supreme Court has categorically held that no opportunity need be given to the employee concerned, but the disciplinary authority, on consideration .of the facts and circumstances (in the manner set out in Challappan and Tulsiram Patel) may impose the penalty. It was also clarified that if the penalty imposed was whimsical or disproportionately excessive, the same was open to correction in judicial review. The subsequent decision of the Supreme Court in *Sunil Kumar Sarkar* (supra) dealt with the amended Rule 19 of the Central CCA Rules which provided for a hearing. Therefore, the principle laid down in *Sunil Kumar Sarkar* (supra) can not be of any assistance in interpreting Rule 19 of the State CCA Rules in the absence of an amendment in the State CCA Rules corresponding to the amendment made in

> the Central CCA Rules. As the State CCA Rules stand today, the law applicable is as laid down in *Tulsiram Patel* (supra) and not as laid down in Sunil Kumar Sarkar."

09. Learned Advocate General argued that the judgment in the cases of **Deokinandan Prasad** (supra), **K. R. Erry** (supra), **Iqbal Singh** (supra), **Brahmdatt Sharma** (supra), all pertain to reduction or withholding of pension based upon the misconduct and not based upon conviction in a criminal trial. The case of **Rajesh Kumar** (supra) is said to be distinguishable for the reason that it deals with an administrative action entailing civil consequences, which requires an opportunity of hearing.

10. The rule of natural justice was found to be not necessary in the matter of compulsory retirement of the Government employees on attaining age of 50 years as provided in Fundamental Rule 56(i) in **Union of India v. Col. J.N. Sinha, (1970) 2 SCC 458.** But it was held, the exclusion of the principles of natural justice depends upon the express words of the provision conferring the power, the nature of the power conferred, the purpose for which it is conferred and the effect of the exercise of that power. The Court held as follows:-

> "8. Fundamental Rule 56(i) in terms does not require that any opportunity should be given to the concerned government servant to show cause against his compulsory retirement. A government servant serving under the Union of India holds his office at the pleasure of the President as provided in Article 310 of the Constitution. But this "pleasure" doctrine is subject to the rules or law made under Article 309 as well as to the

> conditions prescribed under Article 311. Rules of natural justice are not embodied rules nor can they be elevated to the position of fundamental rights. As observed by this Court in *A.K. Kraipak* v. *Union of India* "the aim of rules of natural justice is to secure justice or to put it negatively to prevent miscarriage of justice. These rules can operate only in areas not covered by any law validly made. In other words they do not supplant the law but supplement it". It is true that if a statutory provision can be read consistently with the principles of natural justice, the courts should do so because it must be presumed that the Legislatures and the statutory authorities intend to act in accordance with the principles of natural justice. But if on the other hand a statutory provision either specifically or by necessary implication excludes the application of any or all the principles of natural justice then the court cannot ignore the mandate of the Legislature or the statutory authority and read into the concerned provision the principles of natural justice. Whether the exercise of a power conferred should be made in accordance with any of the principles of natural justice or not depends upon the express words of the provision conferring the power, the nature of the power conferred, the purpose for which it is conferred and the effect of the exercise of that power."

11. The Constitution Bench in **Mohinder Singh Gill Vs. Chief Election Commr., (1978) 1 SCC 405,** held that natural justice is now a brooding omnipresence concept although varying in its play and that the "exceptions" to the rules of natural justice are a misnomer or rather are but a shorthand form of expressing the idea that in those exclusionary cases nothing unfair can be inferred by not affording an opportunity to present or meet a case. The rule of *audi alteram partem* is the justice of the law, without, of course, making law lifeless, absurd, stultifying, self-

defeating or plainly contrary to the common sense of the situation. The Court held as under:-

> "47. It is fair to hold that subject to certain necessary limitations natural justice is now a brooding omnipresence although varying in its play.
>
> 48. Once we understand the soul of the rule as fairplay in action — and it is so — we must hold that it extends to both the fields. After all, administrative power in a democratic setup is not allergic to fairness in action and discretionary executive justice cannot degenerate into unilateral injustice. Nor is there ground to be frightened of delay, inconvenience and expense, if natural justice gains access. For fairness itself is a flexible, pragmatic and relative concept, not a rigid, ritualistic or sophisticated abstraction. It is not a bull in a china shop, nor a bee in one's bonnet. Its essence is good conscience in a given situation: nothing more — but nothing less. The "exceptions" to the rules of natural justice are a misnomer or rather are but a shorthand form of expressing the idea that in those exclusionary cases nothing unfair can be inferred by not affording an opportunity to present or meet a case. Text-book excerpts and ratios from rulings can be heaped, but they all converge to the same point that *audi alteram partem* is the justice of the law, without, of course, making law lifeless, absurd, stultifying, self-defeating or plainly contrary to the common sense of the situation.
>
> 66. It was argued, based on rulings relating to natural justice, that unless civil consequences ensued, hearing was not necessary. A civil right being adversely affected is a sine qua non for the invocation of the audi alteram partem rule. This submission was supported by observations in Ram Gopal, Col. Sinha. of course, we agree that if only spiritual censure is the penalty, temporal laws may not take cognizance of such consequences since human law operates in the material field although its vitality vicariously depends on its morality. But

what is a civil consequence, let us ask ourselves, bypassing verbal booby-traps? 'Civil consequences' undoubtedly cover infraction of not merely property or personal rights but of civil liberties, material deprivations and non-pecuniary damages. In its comprehensive connotation, everything that affects a citizen in his civil life inflicts a civil consequence. "Civil" is defined by Black (Law Dictionary, 4th Edn.) at p. 311:

> "Ordinarily, pertaining or appropriate to a member of a civitas of free political community; natural or proper to a citizen. Also, relating to the community, or to the policy and government of the citizens and subjects of a state.
>
> The word is derived from the Latin civilise, a citizen .... In law, it has various significations.
>
> * * *
>
> 'Civil Rights' are such as belong to every citizen of the State or country, or, in a wider sense, to all its inhabitants, and are not connected with the organisation or administration of Government. They include the rights of property, marriage, protection by the laws, freedom of contract, trial by jury etc.... Or, as otherwise defined, civil rights are rights appertaining to a person in virtue of his citizenship in a State or community. Rights capable of being enforced or redressed in a civil action. Also a term applied to certain rights secured to citizens of the United States by the thirteenth and fourteenth amendments to the Constitution, and by various acts of Congress made in pursuance thereof.
>
> (p. 1487, Black's Legal Dictionary)

The interest of a candidate at an election to Parliament regulated by the Constitution and the laws comes within this gravitational orbit. The most valuable right in a democratic polity is the "little man's" little pencil-marking, assenting or dissenting, called his vote. A democratic right, if denied, inflicts civil consequences. Likewise, the little man's right, in a representative system of Government, to rise to Prime Ministership or Presidentship by use of the right to be

candidate, cannot be wished away by calling it of no civil moment. It civics mean anything to a self-governing citizenry, if participatory democracy is not to be scuttled by the law, we shall not be captivated by catchwords. The straight forward conclusion is that every Indian has a right to elect and be elected and this is a constitutional as distinguished from a common law right and is entitled to cognizance by courts subject to statutory regulation. We may also notice the further refinement urged that a right accrues to a candidate only when he is declared returned and until then it is incipient, inchoate and intangible for legal assertion — in the twilight zone of expectancy, as it were. This too, in our view, is logicid sophistry. Our system of "ordered" rights cannot disclaim cognizance of orderly processes as the right means to a right end. Our jurisprudence is not so jejune as to ignore the concern with means as with the end, with the journey as with the destination. Every candidate, to put it cryptically, has an interest or right to fair and free and legally run election. To draw lots and decide who wins, if announced as the electoral methodology, affects his right, apart from his luckless rejection at the end. A vested interest in the prescribed process is a processual right, actionable if breached, the Constitution permitting. What is inchoate, viewed from the end, may be complete, viewed midstream. It is a subtle fallacy to confuse between the two. Victory is still an expectation; qua mado is a right to the statutory procedure. The appellant has a right to have the election conducted not according to humour or hubris but according to law and justice. And so natural justice cannot be stumped out on this score. In the region of public law locus standi and person aggrieved, right and interest have a broader import. But, in the present case, the Election Commission contends that a hearing has been given although the appellant retorts that a vacuous meeting where nothing was disclosed and he was summarily told off would be strange electoral justice. We express no opinion on the factum or adequacy of the hearing but hold that where a candidate has reached the

end of the battle and the whole poll is upset, he has a right to notice and to be heard, the quantum and quality being conditioned by the concatenation of circumstances.

67. The rulings cited, bearing on the touchstone of civil consequences, do not contradict the view we have propounded. Col. Sinha merely holds — and we respectfully agree — that the lowering of retirement age does not deprive a government servant's rights, it being clear that every servant has to quit on the prescribed age being attained. Even Binapani concedes that the State has the authority to retire a servant on superannuation. The situation here is different. We are not in the province of substantive rights but procedural rights statutorily regulated. Sometimes processual protections are too precious to be negotiable, temporised with or whittled down."

12. In **Swadeshi Cotton Mills v. Union of India, (1981) 1 SCC 664,** the Court examined as to whether there are any exceptions to the application of the principles of natural justice, particularly the *audi alteram partem* rule. It was held that in the case of express exclusion, there is no difficulty but the urgency, where the obligation to give notice and opportunity to be heard would obstruct the taking of prompt action of a preventive or remedial nature can be a case of implied exclusion. The Court held as under:-

"32. The maxim audi alteram partem has many facets. Two of them are: (*a*) notice of the case to be met; and (*b*) opportunity to explain. This rule is universally respected and duty to afford a fair hearing in Lord Lore-burn's oft-quoted language, is "a duty lying upon everyone who decides something", in the exercise of legal power. The rule cannot be sacrificed at the altar of administrative convenience or celerity; for,

"convenience and justice" — as Lord Atkin felicitously put it — "are often not on speaking terms".

33. The next general aspect to be considered is: Are there any exceptions to the application of the principles of natural justice, particularly the audi alteram partem rule? We have already noticed that the statute conferring the power, can by *express* language exclude its application. Such cases do not present any difficulty. However, difficulties arise when the statute conferring the power does not expressly exclude this rule but its exclusion is sought *by implication* due to the presence of certain factors: such as, urgency, where the obligation to give notice and opportunity to be heard would obstruct the taking of prompt action of a preventive or remedial nature. .... Similarly, action on grounds of public safety, public health may justify disregard of the rule of prior hearing.

44. In short, the general principle — as distinguished from an absolute rule of uniform application — seems to be that where a statute does not, in terms, exclude this rule of prior hearing but contemplates a post-decisional hearing amounting to a full review of the original order on merits, then such a statute would be construed as excluding the audi alteram partem rule at the pre-decisional stage. Conversely, if the statute conferring the power is silent with regard to the giving of a pre-decisional hearing to the person affected and the administrative decision taken by the authority involves civil consequences of a grave nature, and no full review or appeal on merits against that decision is provided, courts will be extremely reluctant to construe such a statute as excluding the duty of affording even a minimal hearing shorn of all its formal trappings and dilatory features at the pre-decisional stage, unless, viewed pragmatically, it would paralyse the administrative progress or frustrate the need for utmost promptitude. In short, this rule of fair play "must not be jettisoned save in very exceptional circumstances where compulsive necessity so demands". The

> court must make every effort to salvage this cardinal rule to the maximum extent possible, with situational modifications. But, to recall the words of Bhagwati, J., the core of it must, however, remain, namely, that the person affected must have reasonable opportunity of being heard and the hearing must be a genuine hearing and not an empty public relations exercise.

13. In another judgment reported as **Automotive Tyre Manufacturers Assn. v. Designated Authority, (2011) 2 SCC 258,** the Supreme Court held that the requirement of giving reasonable opportunity of being heard before an order is made, is generally read into the provisions of a statute, particularly when the order has adverse civil consequences which obviously cover infraction of property, personal rights and material deprivations for the party affected. The principle holds good irrespective of whether the power conferred on a statutory body or Tribunal is administrative or quasi-judicial. The Court held as under:-

> "80. It is thus, well settled that unless a statutory provision, either specifically or by necessary implication excludes the application of principles of natural justice, because in that event the court would not ignore the legislative mandate, the requirement of giving reasonable opportunity of being heard before an order is made, is generally read into the provisions of a statute, particularly when the order has adverse civil consequences which obviously cover infraction of property, personal rights and material deprivations for the party affected. The principle holds good irrespective of whether the power conferred on a statutory body or Tribunal is administrative or quasi-judicial. It is equally trite that the

concept of natural justice can neither be put in a straitjacket nor is it a general rule of universal application.

81. Undoubtedly, there can be exceptions to the said doctrine. As stated above, the question whether the principle has to be applied or not is to be considered bearing in mind the express language and the basic scheme of the provision conferring the power; the nature of the power conferred and the purpose for which the power is conferred and the final effect of the exercise of that power. It is only upon a consideration of these matters that the question of application of the said principle can be properly determined. (See *Union of India* v. *Col. J.N. Sinha*.)"

14. In view of the Judgments mentioned above, we find that though the applicability of principals of natural justice can be excluded by necessary implication but the requirement of giving reasonable opportunity of being heard before an order is made, is generally read into the provisions of a statute, particularly when the order has adverse civil consequences relating to infraction of property, personal rights and material deprivations for the party affected. The rule of *audi alteram partem* is the rule of the law without which law would be lifeless, absurd, stultifying, self-defeating or plainly contrary to the common sense of the situation. The principle holds good irrespective of whether the power conferred on a statutory body or Tribunal is administrative or quasi-judicial. The concept of natural justice can neither be put in a straitjacket nor is it a general rule of universal application. Whether or not the application of the principles of natural justice in a given case has

been excluded, wholly or in part, in the exercise of statutory power, depends upon the language and basic scheme of the provision conferring the power, the nature of the power, the purpose for which it is conferred and the effect of the exercise of that power. The procedural pre-condition of fair hearing, however minimal, even post-decisional, has relevance to administrative and judicial gentlemanliness. Conversely, if the statute conferring the power is silent with regard to the giving of a pre-decisional hearing to the person affected and the administrative decision taken by the authority involves civil consequences of a grave nature, and no full review or appeal on merits against that decision is provided, courts will be extremely reluctant to construe such a statute as excluding the duty of affording even a minimal hearing shorn of all its formal trappings and dilatory features at the pre-decisional stage, unless, viewed pragmatically, it would paralyse the administrative progress or frustrate the need for utmost promptitude. In short, this rule of fair play "must not be jettisoned save in very exceptional circumstances where compulsive necessity so demands". The court must make every effort to salvage this cardinal rule to the maximum extent possible, with situational modifications.

15. The judgment of Full Bench in the case of **Laxmi Narayan Hayaran's case (Supra)** deals with a situation of termination of an employee on account of conviction in a criminal trial. The said judgment of dispensing with the opportunity of hearing to a pensioner cannot be

extended to a case of stoppage of pension. Relationship between employer and employee before the superannuation is governed by the Rules of services. If the rules do not permit any opportunity of hearing, the same can be excluded. It may be required in case of serving officer as it is not in public interest to allow a tainted person in public employment. It has been so ordered relying upon the Constitutional Bench judgment in the case of **Tulsiram Patel's case (supra)**. But after retirement, the pensioner is entitled to pension in view of his past service under the State. An employee earns his pension. Pension is not a bounty, but a benefit earned by him by serving State for many years. The deprivation of such pension affects civil rights of the pensioner, the means of survival. Though sub-rule (2) of Rule 8 of the Pension Rules is silent about opportunity of hearing, but neither the dispensing with an opportunity of hearing is urgent nor is any other purpose expected to be achieved by denying the benefit of opportunity of hearing.

If an opportunity of hearing is granted, an employee can point out the mitigating family circumstance, the role in the criminal trial which led to his conviction or other circumstances as to why the pension should not be stopped and that too for life. Therefore, in case of a pensioner, the rule of natural justice would warrant an opportunity of hearing, at least of serving a show cause and elucidating the reply of the pensioner and thereafter, pass an order as may be considered appropriate by the authority so as to enable the appellate authority or the judicial

courts to test the legality of the same while exercising the powers of the judicial review.

16. Thus, the first question of law is answered that a show cause notice is required to be given to the retired government servant convicted by the criminal Court. As a consequence thereof, we find that the order passed by this Court in the case of **Dau Ram Maheshwar** (supra) is correctly decided.

(Hemant Gupta)
Chief Justice

(Subodh Abhyankar)
Judge

Per Sujoy Paul, J. (Dissenting)

1. The pivotal question before us, in nutshell is whether a retired employee after his conviction in a serious crime is entitled to get an opportunity of hearing before imposition of punishment as per Rule 8 of the Pension Rules?

2. Sub-Rule (2) of Rule 8, in no uncertain terms, makes it clear that where a pensioner is convicted of a serious crime, action against him under Sub-Rule (1) shall be taken *in the light of the judgment of the Court relating to such conviction*. The law makers in Sub-Rule (3) of Rule 8 provided an opportunity of hearing to the retired government servant. This Sub-Rule is applicable when competent authority considers that the pensioner is *prima facie* guilty of grave misconduct.

(104)

3. In view of settled legal position, the principles of natural justice are to be read into the provision unless the statutory provision either specifically or by necessary implication excluded the application of principles of natural justice.

4. Before dealing with the rule in hand, it is profitable to refer to certain authorities on this aspect. In ***1970 (2) SCC 458 [Union of India vs. Col. J.N. Sinha]*** the Court opined as under:

> *"8. ..... it is true that if a statutory provision can be read consistently with the principles of natural justice, the Court should do so because it must be presumed that the legislatures and the statutory authorities intend to act in accordance with the principles of natural justice. <u>But if on the other hand a statutory provision either specifically or by necessary implication excludes the application of any or all the principles of natural justice then the Court cannot ignore the mandate of legislature or the statutory authority and read into the provision concerned the principles of natural justice.</u>"*
>
> [Emphasis Supplied]

5. The Constitution Bench in ***Maneka Gandhi vs. Union of India, <u>1978 (1) SCC 248</u>*** dealt with the aforesaid aspect and held:

> *"14. .... now, it is true that since the right to prior notice and opportunity of hearing arises only by implication from the duty to act fairly, or to use the words of Lord Morris of Borth-Y-Gest, from 'fair play in action', it may equally be excluded where, <u>having regard to the nature of action to be taken, its object and purpose and the scheme of relevant statutory provision, fairness in action does not demand its implication and even warrants its exclusion.</u>*

105

182. .... in this connection, it cannot be denied that the legislature by making an express provision may deny a person the right to be heard. Rules of natural justice cannot be equated with the fundamental rights."

[Emphasis Supplied]

6. After considering the judgment of ***J.N. Sinha (Surpa)***, in the same paragraph it is stated-

"The rules of natural justice are not embodied rules nor can they be elevated to the position of the fundamental rules.... but if a statutory provision either specifically or by necessary implication excludes the application of any rules of natural justice then the Court cannot ignore the mandate of legislature or the statutory authority and read into the concerned provision the principles of natural justice."

[Emphasis Supplied]

7. In ***Swadeshi Cotton Mills (Supra)***, the Apex Court again held that the rules of natural justice can operate only in areas not covered by any law validly made. They can supplement the law but cannot supplant it. If a statutory provision either specifically or by inevitable implication excludes the application of the natural justice, then the Court cannot ignore the mandate of legislature. (Para 31).

8. In ***1994 (5) SCC 267, Dr. Rash Lal Yadav vs. State of Bihar*** the same principle is reiterated by holding-

"9. What emerges from the above discussion is that unless the law expressly or by necessary implication excludes the application of the rules of natural justice, Courts will read the said requirement in enactment that are silent and insist on its

(106)

application even in cases of administrative action having civil consequences."

[Emphasis Supplied]

9. In catena of judgments it was held that the requirements of natural justice depend on the circumstances of the case, the nature of the inquiry, *the rules* under which authority is acting, the subject matter to be dealt with and so forth (**See:** ***2010 (13) SCC 255 [Natwer Singh vs. Director]***, B Sudershan Reddy, J in *Natwer Singh* (Supra) expressed his view that *"concept of fairness is not a one way street. The principles of natural justice are not intended to operate as road blocks to obstruct statutory inquires.... the extent of its applicability depends upon the statutory frame work."*)

10. In view of the aforesaid judgments of Supreme Court, the core issue is relating to the interpretation of Rule 8 of the Pension Rules. Whether Rule 8 (2) specifically or by necessary implication excludes the principles of natural justice, is the point to ponder upon. The contention of the petitioner is that if an opportunity of hearing is granted, the retired employee can point out his personal hardship, the nature of involvement in the criminal case which resulted into his conviction and other circumstances. Hence, there is no harm if principles of natural justice are followed. Such grant of opportunity to the retired employee as per principles of natural justice will not cause any prejudice to the department.

11. Before dealing with aforesaid aspect, it is apposite to mention that in my view Sub-rule (2) of Rule 8 does not expressly excludes the application of principles of natural justice. Sub-rule (3), as noticed, provides an opportunity of hearing when competent authority considers that pensioner is *prima facie* guilty of grave misconduct. In Sub-rule (3), principles of natural justice were inserted in a mandatory form, whereas in Sub-rule (2), it is provided that action shall be taken in the light of the judgment of the Court relating to such conviction. In the manner Sub-rule (2) is worded, in my considered opinion, it has impliedly excluded the principles of natural justice. The golden rule of interpretation of a statute is that interpretation must depend on the text and the context. Neither can be ignored. Both are important. That interpretation is best which makes the textual interpretation match the contextual. A statute is best interpreted when we know why it was enacted (**See:** ***1987 (1) SCC 424, RBI vs. Peerless General Finance Co. Ltd.***).

12. Article 311 of the Constitution or Rule 19 of CCA Rules provides that an employee can be punished on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. If an existing employee is convicted on a serious criminal charge, he can be dismissed or removed from service. Needless to mention that when an existing government employee is dismissed or removed from service, his source

of livelihood, remaining years of service as well as and right to get pension and retiral dues comes to an end. Thus, penalty/termination on an existing employee on the ground of conviction is much severe than the case of an retired government employee who loses pension.

13. In ***Divisional Personnel Officer Southern Railways vs. T.R. Challppan, 1976 (3) SCC 190*** a three judge Bench of Supreme Court considered a provision analogous to Rule 19 of CCA Rules and held that delinquent employee should be heard before imposition of penalty. This judgment of *Challppan* (Supra) to the extent it holds that the employee should be heard before imposition of punishment was overruled by the Constitution Bench of the Supreme Court in *Tulsiram Patel (Supra)*. It is pertinent to mention here that argument advanced before the Supreme Court was that if principles of natural justice are followed, it will not cause any prejudice. The employee will get an opportunity against the penalty proposed. He will be able to convince the disciplinary authority that the nature of conduct attributed to him did not call for his dismissal, removal or reduction in rank . The government servant will be able to point out that the offence of which he was convicted was a trivial or a technical one in respect of which a small punishment can be imposed. It is profitable to quote the relevant para from *Tulsiram Patel* (Supra).

> *"It was submitted on behalf of the government servants that an inquiry consists of several stages and, therefore, even where by the application of the second proviso the full inquiry is dispensed with, there is nothing to prevent the disciplinary authority from holding at least a minimal inquiry because no*

109

prejudice can be caused by doing so. It was further submitted that even though the three clauses of the second proviso are different in their content, it was feasible in the case of each of the three clauses to give to the government servant an opportunity of showing cause against the penalty proposed to be imposed so as to enable him to convince the disciplinary authority that the nature of the misconduct attributed to him did not call for his dismissal, removal or reduction in rank. For instance, in a case falling under clause (a) the government servant can point out that the offence of which he was convicted was a trivial or a technical one in respect of which the criminal court had taken a lenient view and had sentenced him to pay a nominal fine or had given him the benefit of probation. Support of this submission was derived from Challappan's case ..... It was further submitted that apart from the opportunity to show cause against the proposed penalty it was also feasible to give a further opportunity in the case of each of the three clauses though such opportunity in each case may not be identical. Thus, it was argued that the charge-sheet or at least a notice informing the government servant of the charges against him and calling for his explanation thereto was always feasible. It was further argued that though under clause (a) of the second proviso an inquiry into the conduct which led to the conviction of the government servant on a criminal charge would not be necessary, such a notice would enable him to point out that it was a case of mistaken identity and he was not the person who had been convicted but was an altogether different individual. <u>It was urged that there could be no practical difficulty in serving such charge-sheet to the concerned</u> government servant because even if he were sentenced to imprisonment, the charge-sheet or notice with respect to the proposed penalty can always be sent to the jail in which he is serving his sentence. ....."

[Emphasis Supplied]

(119)

14. The said argument could not find favour and Apex Court ruled that -

> "the consideration under Rule 14 of what penalty should be imposed upon a delinquent railway servant must, therefore, be *ex parte* and where the disciplinary authority comes to the conclusion that the penalty which the facts and circumstances of the case warrant is either of dismissal or removal or reduction in rank, no opportunity of showing cause against such penalty proposed to be imposed upon him can be afforded to the delinquent government servant. Undoubtedly, the disciplinary authority must have regard to all the facts and circumstances of the case as set out in *Challappan case*. As pointed out earlier, considerations of fair play and justice requiring a hearing to be given to a government servant with respect to the penalty proposed to be imposed upon him do not enter into the picture when the second proviso to Article 311(2) comes into play and "....To recapitulate briefly, where a disciplinary authority comes to know that a government servant has been convicted on a criminal charge, it must consider whether his conduct which has led to his conviction was such as warrants the imposition of a penalty and, if so, what that penalty should be. For that purpose it will have to peruse the judgment of the criminal court and consider all the facts and circumstances of the case and the various factors set out in *Challappan* case. This, however, has to be done by it *ex parte* and by itself. Once the disciplinary authority reaches the conclusion that the government servant's conduct was such as to require his dismissal or removal from service or reduction in rank he must decide which of these three penalties should be imposed on him. This too it has to do by itself and without hearing the concerned government servant by reason of the exclusionary effect of the second proviso. The disciplinary authority must, however, bear in mind that a conviction on a criminal charge does not automatically entail dismissal, removal or reduction in rank of the concerned

> government servant. Having decided which of these three penalties is required to be imposed, he has to pass the requisite order. A government servant who is aggrieved by the penalty imposed can agitate in appeal, revision or review, as the case may be, that the penalty was too severe or excessive and not warranted by the facts and circumstances of the case. If it is his case that he is not the government servant who has been in fact convicted, he can also agitate this question in appeal, revision or review. If he fails in the departmental remedies and still wants to pursue the matter, he can invoke the court's power of judicial review subject to the court permitting it. If the court finds that he was not in fact the person convicted, it will strike down the impugned order and order him to be reinstated in service. Where the court finds that the penalty imposed by the impugned order is arbitrary or grossly excessive or out of all proportion to the offence committed or not warranted by the facts and circumstances of the case or the requirements of that particular government service the court will also strike down the impugned order."
>
> (Emphasis supplied)

15. In my considered opinion, neither in Rule 19 of CCA Rules nor in Sub-rule (2) of Rule 8, principles of natural justice can be read into. Indeed, principles of natural justice are excluded by implication in both the aforesaid provisions for same reasons. The sole basis of decision of competent authority will depend upon judgment of conviction arising out of conduct/crime of delinquent. Once an existing or a retired employee is convicted for a serious offence/crime, the only requirement of the rule (Rule 19 of CCA Rules or Rule 8(2) of Pension Rules) is that the competent authority shall take a decision regarding penal action in

the light of judgment of the Court. No opportunity of hearing is required to be provided to such existing/retired employee before taking action under Rule 8 (1) or Rule 19. It is noteworthy that in *Tulsiram Patel (Supra),* the Supreme Court categorically laid down that the competent authority while taking decision regarding punishment must bear in mind that a conviction on a criminal charge does not automatically entails dismissal, removal or reduction in rank of the government servant. Considering the judgment of conviction, even a lessor punishment can be imposed. The liberty is reserved to the government servant who is aggrieved by the penalty imposed, to assail it in appeal, revision or review or seek judicial review of the same before a court of competent jurisdiction. The said view of *Tulsiram Patel (Supra)* was followed by the Full Bench of this Court in *Laxmi Narayan Hayaran (Supra).*

16. In view of aforesaid analysis, my opinion regarding question No.1 is that no opportunity of hearing is required to be given to a retired government servant before taking a decision under Sub-rule (1) of Rule 8 and such decision needs to be taken by competent authority in the light of the judgment of the Court relating to such conviction. Since Rule 8(2) impliedly excludes the principles of natural justice, this Court cannot ignore the mandate of statutory authority and read into the provision concern the principles of natural justice. Needless to emphasis that if retired employee is aggrieved by such punishment, he can seek redressal from departmental/judicial Forum, as the case may be. The necessary

113

corollary of aforesaid view is that *Dauram Mahawar (Supra)* is not correctly decided. It is opined accordingly.

(Sujoy Paul)
Judge

ORDER

In view of the majority opinion, it is held that opportunity of hearing is required to be provided before an order of stoppage of pension is passed under Section 8(2) of the Civil Services (Pension) Rules, 1976 and that judgment of **Dau Ram Maheshwar Vs. State of M.P. and another** reported as **2017(1) MPLJ 640** is correctly decided.

(Hemant Gupta)	(Sujoy Paul)	(Subodh Abhyankar)
Chief Justice	Judge	Judge

Anchal / *s@if*

(115)

(30)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–4/2017/1/8 भोपाल, दिनांक 19/09/2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में समय–सीमा में कार्यवाही करने के संबंध में।

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, महाधिवक्ता कार्यालय/शासकीय अधिवक्ता से सतत् संपर्क स्थापित करने, प्रकरणों मे प्रभावी प्रतिरक्षण करने तथा न्यायालय के निर्णयों के सन्दर्भ मे कार्यवाही करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। महाधिवक्ता मध्यप्रदेश एवं उनके कार्यालय द्वारा भी न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में सूचना दी जा कर यह अपेक्षा की जाती है कि नियत तिथि के पूर्व प्रकरण मे जवाबदावा प्रस्तुत हो जाए।

2. शासन के निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों/कार्यालयों/प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत न किए जाने अथवा न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। समय पर जवाबदावा प्रस्तुत न होने से अनेक बार वरिष्ठ अधिकारियो को माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यह स्थिति काफी चिन्ताजनक है।

3.1 अतः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबध में जैसे ही उच्च न्यायालय से नोटिस/याचिका प्राप्त हो अथवा महाधिवक्ता कार्यालय से फैक्स, पत्र अथवा सूचना प्राप्त हो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा अतिशीध्र की जाए।

निरन्तर........2

3.2 संबंधित प्रकरण के प्रभारी अधिकारी अविलम्ब प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं सुनवाई की आगामी तिथि के बारे मे जानकारी प्राप्त करें तथा जानकारी प्राप्त कर नियत तिथि से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाए।

3.3 यदि किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व जवाबदावा प्रस्तुत करना संभव न हो तो प्रभारी अधिकारी उसका कारण बताते हुए समय वृद्धि हेतु स्वयं महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, परन्तु इस व्यवस्था का उपयोग बार–बार न किया जा कर केवल विशेष परिस्थितियों में एवं ठोस कारण होने पर ही किया जाना चाहिए।

4. महाधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अनेक प्रकरणों में उनके कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/अन्य शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी चाहे जाने पर जिले, संभाग तथा विभाग से समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होने से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायालय द्वारा लगाई जाती है। अतः इस पृष्ठभूमि मे आवश्यक है कि महाधिवक्ता कार्यालय/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/अन्य शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी चाहे जाने पर आवश्यक जानकारी तत्काल उन्हें उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

5. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा, संभागीय स्तर पर संभागायुक्त तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों द्वारा नियमित अंतराल पर लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाए।

18.09.17

(प्रभांशु कमल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–4/2017/1/8 भोपाल, दिनांक 19/09/2017

प्रतिलिपि:–

महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C-14

(117)

(116)

(31)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-47/2017/1/9 भोपाल, दिनांक 01/12/2017

प्रति

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मंत्रालय,भोपाल
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः-प्रत्येक प्रशासकीय/अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्पीकिंग आदेश पारित किये जाने के संबंध में ।

माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन क्रमांक 7120/15 (श्रीमती ताराबाई विरूद्ध श्रीमती शांति बाई एवं अन्य) में राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट किया है कि जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने निर्वाचन की एक पिटीशन में प्रकरण को पहले विचारोपरान्त स्पीकिंग आर्डर जारी न करते हुए खारिज किया, तदोपरांत माननीय न्यायालय के निर्देश देने के उपरांत भी प्रकरण में स्पीकिंग आर्डर जारी न करते हुए एक लाईन का आदेश "प्रकरण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है"। पारित किया । इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है ।। (सुलभ संदर्भ हेतु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 21.9.2017 की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न है) ।

2/- प्रशासकीय/अर्द्धन्यायिक प्रकरणों में प्रशासकीय अधिकारियों से स्पीकिंग आर्डर पारित करने की अपेक्षा की जाती है। अतः उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय/अर्द्धन्यायिक मामलों में अनिवार्य रूप से स्पीकिंग आर्डर पारित किए जाएँ ।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

01/12/17
(डॉ.अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

117

क्रमांक एफ 11–47/2017/1/9 भोपाल, दिनांक 01/12/2017

प्रतिलिपि:—

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्चन्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मान0 मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री,मध्यप्रदेश।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
14. अपर मुख्य सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन वि0 मंत्रालय, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. प्रमुख सचिव, (समन्वय)./उप सचिव, म0प्र0 शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय।
17. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–7–1 की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

01/12/17

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(118)

CS/Gen-Col 840
Date 27/11/2017

5825
30/11/17

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR
BENCH AT GWALIOR

//M E M O//

No. 3310 / Gwalior, dt. 21.11.2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of M.P.,
   B H O P A L (M.P.)

2. The Principal Secretary,
   General Administration Department ,
   Government of M.P., Vallabh Bhavan
   B H O P A L (M.P.)

3. The Principal Secretary,
   Department of Revenue,
   Government of M.P., Vallabh Bhavan,
   B H O P A L (M.P.)

Dak No. 1567 ACS/GAD
Date 27-11-2017

Sub:- **Regarding transmission of a copy of order dt. 21.09.2017 passed by Hon'ble Court in Writ Petition no. 7120/15 (Smt. Tarabai Vs. Smt. Shantibai & Ors.).**

***

With reference to the subject cited above, please find enclosed herewith a true copy of **order dt. 21.09.2017 passed by Hon'ble Court in Writ Petition no. 7120/2015 (Smt. Tarabai Vs. Smt. Shantibai & Ors.)** for information and necessary compliance.

Encl:- As above.

21.11.17
(G.S.DUBEY)
PRINCIPAL REGISTRAR
Principal Registrar
High Court of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

25 NOV 2017
ACS (GAD)
PS, Rev.
PS (C)

Similar copy earlier sent
30/11/17

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AFFIXED AT GWALIOR

TRUE COPY
Section Officer
High Court of M.P.
Bench Gwalior

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

:SINGLE BENCH:

(HON'BLE SHRI JUSTICE ANAND PATHAK)

WRIT PETITION NO.7120/2015

Smt. Tarabai
Vs.
Smt. Shanti Bai & Ors.

Shri N.K. Gupta, learned senior counsel with Shri Ravi Gupta, learned counsel for the petitioner.
Shri Prashant Sharma, learned counsel for respondent No.1 -Smt. Shanti Bai.
Shri Anand Singh Sikarwar, learned counsel for respondent No.10.

Whether approved for reporting : Yes

Law laid down:

Every quasi-judicial/administrative order passed by the administrative authority must bear reason as it promotes clarity in governance and recipient of the order can analyse it objectively and pendency of the case before the Courts can be reduced drastically.

Practice of respondents that cases are decided in one line phrase "प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है" (case is rejected after due consideration) is against the doctrine of 'Natural Justice'.

Administrative authorities while performing quasi-judicial/administrative function must abreast with basic knowledge of statutes in which they are dealing with along with procedural law.

Time has come when 'Rule of Law' must be treated as one of the essential components of infrastructure so that development of other components of infrastructure may not be sacrificed at the altar of mis-governance.

While deciding the case in a slipshod manner quoting "प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है" is an antithesis to the 'Rule of

GWALIOR PRADESH

Law'.

Directions given by High Court are to be complied with by authorities specially if the order attained finality.

****

ORDER
(Passed on 21-09-2017)

This is second visit of petitioner being crestfallen by the order dated 23-09-2015 (Annexure P/1) passed by respondent No.10 whereby the application under Order XIV Rule 2 of CPC has been rejected.

2- Precisely stated facts of the case for adjudication are that respondent No.1 -Smt. Shanti Bai filed an election petition under Section 122 of M.P. Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 whereby election on the post of Sarpanch, Gram Panchayat, Lachayara, Block Kurwai District Vidisha was challenged. As per the submissions and pleadings contained in petition memo, election petition carried certain deficiencies as per M.P. Panchayat (Election Petition, Corrupt Practices and Disqualification from Membership) Rules, 1995. It further appears that the Election Tribunal framed the issues and Issue No.3 was framed about maintainability of election petition, therefore, petitioner filed an application under Order XIV Rule 2 of CPC that issue No.3 which was framed regarding maintainability of election petition is a legal issue, hence, the same be heard and decided as preliminary issue. The said contention was duly replied by the election petitioner (respondent No.1 herein) admitting the fact that on the date of filing of election petition, security deposit was not made and security deposit was made to Tahsildar on 26-04-2015; after filing the election petition on 24-02-2015. Therefore, according to learned counsel for the petitioner, violation of rule 7 of Rules of 1995 was apparent and being a mandatory condition, the said question ought to have been considered by the authority as preliminary issue. In the case of election of Gram Panchayat specified authority is Sub Divisional Officer (SDO) and as respondent No.10 was holding the said post at the relevant point of

GWALIOR
MADHYA PRADESH

time, therefore, arrayed as party respondent (later on, after filing of writ petition). The authority vide order dated 01-07-2015 dismissed the application preferred by the petitioner under Order XIV Rule 2 of CPC in a slipshod manner. Annexure P/6 reveals that no reason has been assigned for dismissal of the application nor any conclusion has been arrived at for such dismissal.

3- Being aggrieved by the said order, petitioner preferred writ petition bearing No.4567/2015 in which vide order dated 21-07-2015, this Court allowed the petition on the ground that the order passed by the SDO lacks any reason or finding whereas reasons are heartbeat of every judicial order. Matter was remanded back to the authority for fresh adjudication of the controversy wherein application under Order XIV Rule 2 of CPC had to be decided afresh. Respondent No.10 again passed the same cryptic order dated 23-09-2015 vide Annexure P/1; which is under challenge in this writ petition.

4- According to learned counsel for the petitioner, when Sub Divisional Officer earlier passed the order dated 01-07-2015 then this Court found the said order bereft of any reason and therefore, while deciding the said petition, remanded the matter back for consideration of application under Order XIV Rule 2 of CPC afresh. Still respondent No.10 showed the same attitude and passed the order in a slipshod manner without assigning any reason. Same is arbitrary, illegal and contemptuous in nature. Quasi judicial authority is duty bound to pass reasoned order so that it can be analyzed by the higher authority objectively when matter goes into appeal or revision. Learned counsel for the petitioner submits that respondent No.10 has not considered spirit of earlier order passed by this Court and repeated the same mistake, therefore, respondent No.10 be suitably punished for the willful disobedience of the order in not adhering to the directions given by this Court in writ petition. Besides the arguments on merits, learned counsel for the petitioner raised the ground of violation of principle of natural justice also. He referred the judgment rendered by the Hon'ble Apex Court in the matter of **Kranti Associates Private Limited & Anr. Vs. Masood Ahmed**

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH GWALIOR

Khan & Ors., (2010) 9 SCC 496.

5- Learned counsel for respondent No.1/contesting respondent was not in a position to support impugned order. He fairly concedes that the order impugned suffers from arbitrariness and illegality. He fairly admits that the prescribed authority should have passed the impugned order while assigning reason.

6- It appears that during pendency of writ petition, petitioner impleaded authority (i.e. respondent No.10) by name who has passed the order and appropriate application was moved for impleadment of SDO, Kurwai District Vidisha by name. Therefore, respondent No.10 was added in the array of respondents. Respondent No.10 was noticed and was represented through her counsel and reply was filed. In the reply, respondent No.10 submits that maintainability of election petition is mixed question of fact and law, therefore, decision in respect of maintainability of election petition cannot be taken without taking evidence and without ascertaining the facts, therefore, she has rightly passed the impugned order.

7- According to her, the fact regarding security deposit by respondent No.1 at the time of filing of election petition is matter of record and therefore, as preliminary issue it cannot be decided. She prayed for dismissal of writ petition.

8- Heard learned counsel for the parties at length and perused the documents appended thereto.

9- Initially, in the first round of litigation, vide order dated 01-07-2015, respondent No.10 passed the order in which the order over application under Order XIV Rule 2 of CPC has been passed in a slipshod manner. The said one line order contains following remarks "CPC 14/2 का आवेदन विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।"

10- Petitioner preferred writ petition No.4567/2015 challenging the said order dated 01-07-2015 and on 21-07-2015, this Court passed a detailed and exhaustive order quoting the judgment rendered by the Hon'ble Apex Court in the matter of Kranti Associates Private Limited (supra). The said quote is reproduced for reference as under:

"(a) In India the judicial trend has always

been to record reasons, even in administrative decisions, if such decisions affect anyone prejudicially.

(b) A quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions.

(c) Insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principle of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well.

(d) Recording of reasons also operates as a valid restraint on any possible arbitrary exercise of judicial and quasi-judicial or even administrative power.

(e) Reasons reassure that discretion has been exercised by the decision-maker on relevant grounds and by disregarding extraneous considerations.

(f) Reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies.

(g) Reasons facilitate the process of judicial review by superior courts.

(h) The ongoing judicial trend in all countries committed to rule of law and constitutional governance is in favour of reasoned decisions based on relevant facts. This is virtually the lifeblood of judicial decision-making justifying the principle that reason is the soul of justice.

(i) Judicial or even quasi-judicial opinions these days can be as different as the judges and authorities who deliver them. All these decisions serve one common purpose which is to demonstrate by reason that the relevant factors have been objectively considered. This is important for sustaining the litigants' faith in the justice delivery system.

(j) Insistence on reason is a requirement for both judicial accountability and transparency.

(k) If a judge or a quasi-judicial authority is not candid enough about his/her decision-making process then it is impossible to know whether the person deciding is faithful to the doctrine of precedent or to principles of incrementalism.

(l) Reasons in support of decisions must be cogent, clear and succinct. A pretence of reasons or "rubber-stamp reasons" is not to be equated with a valid decision-making process.

(m) It cannot be doubted that transparency is the sine qua non of restraint on abuse of judicial powers. Transparency in decision-making not only makes the judges and decisionmakers less prone to errors but also makes them subject

PRADESH
AT GWALIOR

to broader scrutiny.

(n) Since the requirement to record reasons emanates from the broad doctrine of fairness in decision-making, the said requirement is now virtually a component of human rights and was considered part of Strasbourg Jurisprudence.

(o) In all common law jurisdictions judgments play a vital role in setting up precedents for the future. Therefore, for development of law, requirement of giving reasons for the decision is of the essence and is virtually a part of "due process".

11- After considering mandate of Hon'ble Apex Court, this Court set aside the order dated 01-07-2015 with a direction to the SDO/Election Tribunal to decide the application under Order XIV Rule 2 of CPC in accordance with law. After remand, the matter was returned back to the SDO (respondent No.10 herein) and respondent No.10 again passed the same order without any alphabetical alteration even. It reads as under:

"CPC 14 / 2 का आवेदन विचारोपरांत खारिज किया जाता है।"

12- Only change after remand in the impugned order is that earlier the word "निरस्त" has been used for rejection and now in the impugned order the word "खारिज" has been used for rejection, rest of the alphabetical expressions are same.

13- Reiterating the mandate of Hon'ble Apex Court while discussing the importance of "Reason" by the Judicial, Quasi Judicial and Administrative Authorities meandering through the realm of Reason and its Importance in the decision making process, said principles are again reproduced to make these Principles; a 'Reality than a Ritual' by the decision making authorities. These principles are:

"(a) In India the judicial trend has always been to record reasons, even in administrative decisions, if such decisions affect anyone prejudicially.

(b) A quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions.

(c) Insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principle of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well.

(d) Recording of reasons also operates as a valid restraint on any possible arbitrary exercise

WALIOR

of judicial and quasi-judicial or even administrative power.

(e) Reasons reassure that discretion has been exercised by the decision-maker on relevant grounds and by disregarding extraneous considerations.

(f) Reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies.

(g) Reasons facilitate the process of judicial review by superior courts.

(h) The ongoing judicial trend in all countries committed to rule of law and constitutional governance is in favour of reasoned decisions based on relevant facts. This is virtually the lifeblood of judicial decision-making justifying the principle that reason is the soul of justice.

(i) Judicial or even quasi-judicial opinions these days can be as different as the judges and authorities who deliver them. All these decisions serve one common purpose which is to demonstrate by reason that the relevant factors have been objectively considered. This is important for sustaining the litigants' faith in the justice delivery system.

(j) Insistence on reason is a requirement for both judicial accountability and transparency.

(k) If a judge or a quasi-judicial authority is not candid enough about his/her decision-making process then it is impossible to know whether the person deciding is faithful to the doctrine of precedent or to principles of incrementalism.

(l) Reasons in support of decisions must be cogent, clear and succinct. A pretence of reasons or "rubber-stamp reasons" is not to be equated with a valid decision-making process.

(m) It cannot be doubted that transparency is the sine qua non of restraint on abuse of judicial powers. Transparency in decision-making not only makes the judges and decisionmakers less prone to errors but also makes them subject to broader scrutiny.

(n) Since the requirement to record reasons emanates from the broad doctrine of fairness in decision-making, the said requirement is now virtually a component of human rights and was considered part of Strasbourg Jurisprudence.

(o) In all common law jurisdictions judgments play a vital role in setting up precedents for the future. Therefore, for development of law, requirement of giving

reasons for the decision is of the essence and is virtually a part of "due process".

14- Repeation of said principles are to bring home the point that reasons are heartbeats of conclusion. Where any authority acting as quasi judicial authority or as administrative authority, must record reason for arriving to a conclusion so that it facilitates the process of judicial review by superior Court or authority. It reduces the subjectivity and promote objectivity and omits arbitrariness. The concept adopted by the administrative authority while deciding the case of an employee under administrative authority or case of a citizen while functioning as quasi-judicial authority needs to be decided by Reason. It is seen repeatedly by this Court that administrative authorities have coined a phrase (in common parlance) while deciding the case of a litigant,, employee or citizen by quoting "पक्ररण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता ह". This is an antithesis to the 'Rule of Law' and mandate of Hon'ble Apex Court which repeatedly guided and asserted for giving 'Reasons' in the judicial, quasi-judicial/administrative orders. What discussion or conclusion was in the mind of decision maker is reflected through Reasons and therefore, administrative authorities which at times perform quasi-judicial functions also; must record Reasons rather than concealing their thoughtful considerations/whims and fencies under the veil of phrase "पक्ररण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता ह" (case is rejected after due consideration). This is against the fair play and transparency, which has been declared as a part of principle of natural justice **{See:Dev Dutt Vs. Union of India and others, (2008) 8 SCC 725}**. Similarly the doctrine (natural justice) is now termed as synonym of fairness in the concept of justice and stands as the most accepted methodology of a governmental action and soul of the natural justice is fair play in action. Thus, natural justice has an expanding content and not stagnant concept.

15- Originally there were said to be only two principles of natural justice: (1) the rule against bias and (2) the right to be heard (audi alteram partem). However, subsequently, as noted in

PRADESH
GWALIOR

A.K. Kraipak and Ors. Vs. Union of India & Ors **(1969) 2 SCC 262** and **K.I. Shephard and others Vs. Union of India and others (1987) 4 SCC 431**, some more rule came to be added to the rules of natural justice, e.g. the requirement to give reasons vide **S.N. Mukherjee Vs. Union of India, (1990) 4 SCC 594**. In **Mrs. Maneka Gandhi Vs. Union of India and another, (1978) 1 SCC 248** (vida paras 56 to 61) it was held that natural justice is part of Article 14 of the Constitution.

16- The Hon'ble Apex Court in historic decision, A.K. Kraipak and Ors. (supra) has pointed out that the concept of quasi-judicial power has been undergoing radical change and such dividing line between an administrative power and a quasi-judicial power is quite thin and is being gradually obliterated. For determining whether a power is an administrative power or a quasi-judicial power one has to look to the nature of the power conferred, the person or persons on whom it is conferred, the framework of the law conferring that power, the consequences ensuing from the exercise of that power and the manner in which that power is expected to be exercised. Later on, in other celebrated judgment of Mrs. Maneka Gandhi (supra) and **Mohinder Singh Gill and another Vs. Chief Election Commissioner, New Delhi and others, (1978) 1 SCC 405** has expanded and explained the scope of natural justice. Therefore, administrative authorities are duty bound to assign reasons while deciding the case either functioning as quasi-judicial authority or as administrative authority.

17- Here in the present case, perusal of impugned order reflects three omissions on the part of Presiding Officer; one is she appears to be ignorant about the provisions of Civil Procedure Code, 1908 (hereinafter referred as CPC) which she referred in the order. She missed the chance to understand that CPC includes Sections, Orders and Rules. By referring 14/2, she escaped the legal provision that it was in respect of Order XIV Rule 2 of CPC, therefore, administrative/quasi judicial authorities must abreast with basic knowledge of statutes in which they are dealing with. For that, appropriate acclimatization session or refresher course of such administrative/quasi judicial authorities can be conceptualized and

PRADESH
GWALIOR

implemented so that true import of spirit of natural justice and significance of Reasons may be inculcated in their decision making process.

18- Another omission reflected from the impugned order is ignorance of Presiding Officer about passing of earlier Court order; which (Court order) categorically mandates the Presiding Officer to proceed with the case by affording opportunity of hearing to the parties and to pass a reasoned order. This omission may be attributable to the Presiding Officer and/or to the ministerial staff also which is entrusted with the responsibility of keeping the record updated and make available to the Presiding Officer for ready reference.

19- Another omission occurred in the impugned order (which is the subject matter of discussion itself) is that no Reason has been assigned in passing the said order, specially in election petition in which democratic rights of citizenry are intrinsically involved and therefore, it virtually frustrates the very spirit of Constitutional Amendment by which Article 243 has been amended and local bodies have been given sufficient democratic and electoral authorities.

20- From the pleadings made and submissions advanced by learned counsel for the parties, it appears that respondent No.10 was the same authority who passed the order dated 01-07-2015 and when the matter was challenged in writ petition No.4567/2015 and matter went into remand for fresh adjudication, even then, the second time also, impugned order has been passed by the same authority in same manner. At the time of first order (dated 21-07-2015), respondent No.10 might not be aware of sanctity of Reasons while performing quasi-judicial functions, but when the matter was remanded back by this Court, respondent No.10 must have been enlightened by the direction of this Court as contained in the order dated 21-07-2015 passed in writ petition No.4567/2015. Thereafter repeating the same mistake, not only displays arbitrariness but also reflects casualness, negligence and/or defiance and has trappings of disobedience of the order dated 21-07-2015.

21- Directions given by this Court are to be complied with by the authorities especially when the order of this Court attains finality. Here, the authority (respondent No.10) had to comply the order but as referred above committed the same mistake. What would have weighed in the mind of respondent No.10 or what circumstances persuaded her, were not explained in the return filed by her. She only elaborated the reasons (subsequently in return) for passing the impugned order but elaboration of reasons in the reply to writ petition cannot make good the infirmity from which the impugned order suffers. The Hon'ble Apex Court in the matter of Mohinder Singh Gill (supra) has used beautiful expression to sum up while saying:

> *"The second equally relevant matter is that when a statutory functionary makes an order based on certain grounds, its validity must be judged by the reasons so mentioned and cannot be supplemented by fresh reasons in the shape of affidavit or otherwise. Otherwise, an order bad in the beginning may, by the time it comes to Court on account of a challenge, get validated by additional grounds later brought out. We may here draw attention to the observations of Commissioner of Police, Bombay Vs. Gordhandas Bhanji, AIR 1952 SC 16. Public orders, publicly made, in exercise of a statutory authority cannot be construed in the light of explanations subsequently given by the officer making the order of what he meant, or of what was in his mind, or what he intended to do. Public orders made by public authorities are meant to have public effect and are intended to affect the actings and conduct of those to whom they are addressed and must be construed objectively with reference to the language used in the order itself.*
>
> *Orders are not like old wine becoming better as they grow older."*

22- Therefore, this Court also seeks effective intervention of administrative head of the department i.e. Principal Secretary (Revenue or General Administrative Department as the case may be) to reach to the truth and weed out chaff from the grains. Principal Secretary is advised to give directions for preliminary enquiry to competent authority of respondent No.10 about casualness/negligence of respondent No.10 while performing duty

as quasi-judicial authority and lapses of her ministerial staff, if any. In the said preliminary enquiry proper opportunity of hearing be provided to respondent No.10 (Ms. Trapti Shrivastava) who was working as SDO, Kurwai District Vidisha at the relevant point of time when the impugned order dated 23-09-2015 has been passed in the election petition as well as to all other erring persons. After conducting the preliminary enquiry if the case is found to be appropriate one for proceeding for departmental enquiry then the same shall be proceeded with the procedure in accordance with law and if the case involves bonafide lapse then they may be exonerated. It is made clear that the opinion expressed about the lapse of respondent No.10 and her ministerial staff is found prima facie, on the basis of record in hand, therefore, authorities have to arrive to the conclusion about their alleged lapses only through procedure as per law. Anxiety of this Court is not for punishment but for sending a reminder to the authorities and their staff functioning as public servants to match democratic aspirations of public at large.

23- At this stage, this Court also takes opportunity to seek effective intervention of administrative head of the State i.e. Chief Secretary with expectation that suitable orders/suggestions / directions would be issued to the administrative/quasi judicial authorities who are functioning under the aegis of Chief Secretary and his other departmental functionaries, Principal Secretaries etc. who are involved in decision making process to incorporate Reasons as part of their decision making process, instead of deciding the cases in a slipshod manner and/or by making written and mechanical endorsement "पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है".

24- This would have laudable purpose because it will promote clarity in governance and recipient of the order would be in a position to challenge the same before higher authorities on basis of reasons assigned in the order. This endeavour of Administrative Machinery would drastically reduce pendency of the cases before this Court (including Civil/Criminal Courts) because large number of cases are pending before the Courts due to non assignment of Reasons while deciding the cases of citizenry in general and/or

employees of State in particular and after keeping pending for years together cases are ultimately remanded back to the authorities for fresh adjudication on merits. If reasons are assigned then fate of the case would be known to the employee/litigant/aggrieved person while challenging the order or accepting the said order as fate accomplii. Other suggestions issued in preceding paragraphs must also be thoughtfully considered. Steel frame of this State (Madhya Pradesh) must recollect in hindsight about the glorious past it possessed when it had efficient and effective administrator like Mr. R.P. Naronha and Mr. K.F. Rustamji.

25- Time has come when 'Rule of Law' must be treated as one of the essential components of infrastructure (like Roads, Water, Electricity and Communication), so that development of other components of infrastructure may not be sacrificed at the altar of mis-governance. A sincere thought and endeavour in this direction is need of the hour.

27- *Resultantly*, on the basis of cumulative analysis, impugned order dated 23-09-2015 passed by Sub Divisional Officer, Kurwai District Vidisha is set aside. Parties are directed to appear before the said authority on **25-11-2017**, the date on which they will mark their attendance and take guidance from the Presiding Officer for further hearing on application under Order XIV Rule 2 of CPC as per law.

28- Principal Registrar of this Court is directed to send copy of this order to Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh and Principal Secretary, General Administration Department and Revenue Department for information and compliance.

29 Petition stands allowed with the abovementioned directions. No costs.

Sd
(Anand Pathak)
Judge

Anil*

TRUE COPY
Section Officer
High Court of M.P.
Bench Gwalior

(132)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AFFIXED AT GWALIOR

:SINGLE BENCH:
(HON'BLE SHRI JUSTICE ANAND PATHAK)

TRUE COPY
Section Officer
High Court of M.P.
Bench Gwalior

WRIT PETITION NO.7120/2015

Smt. Tarabai
Vs.
Smt. Shanti Bai & Ors.

Shri N.K. Gupta, learned senior counsel with Shri Ravi Gupta, learned counsel for the petitioner.
Shri Prashant Sharma, learned counsel for respondent No.1 -Smt. Shanti Bai.
Shri Anand Singh Sikarwar, learned counsel for respondent No.10.

Whether approved for reporting : Yes

Law laid down:

Every quasi-judicial/administrative order passed by the administrative authority must bear reason as it promotes clarity in governance and recipient of the order can analyse it objectively and pendency of the case before the Courts can be reduced drastically.

Practice of respondents that cases are decided in one line phrase "प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है" (case is rejected after due consideration) is against the doctrine of 'Natural Justice'.

Administrative authorities while performing quasi-judicial/administrative function must abreast with basic knowledge of statutes in which they are dealing with along with procedural law.

Time has come when 'Rule of Law' must be treated as one of the essential components of infrastructure so that development of other components of infrastructure may not be sacrificed at the altar of mis-governance.

While deciding the case in a slipshod manner quoting "प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है" is an antithesis to the 'Rule of

[redacted]

Law'.

Directions given by High Court are to be complied with by authorities specially if the order attained finality.

****

ORDER
(Passed on 21-09-2017)

This is second visit of petitioner being crestfallen by the order dated 23-09-2015 (Annexure P/1) passed by respondent No.10 whereby the application under Order XIV Rule 2 of CPC has been rejected.

2- Precisely stated facts of the case for adjudication are that respondent No.1 -Smt. Shanti Bai filed an election petition under Section 122 of M.P. Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 whereby election on the post of Sarpanch, Gram Panchayat, Lachayara, Block Kurwai District Vidisha was challenged. As per the submissions and pleadings contained in petition memo, election petition carried certain deficiencies as per M.P. Panchayat (Election Petition, Corrupt Practices and Disqualification from Membership) Rules, 1995. It further appears that the Election Tribunal framed the issues and issue No.3 was framed about maintainability of election petition, therefore, petitioner filed an application under Order XIV Rule 2 of CPC that issue No.3 which was framed regarding maintainability of election petition is a legal issue, hence, the same be heard and decided as preliminary issue. The said contention was duly replied by the election petitioner (respondent No.1 herein) admitting the fact that on the date of filing of election petition, security deposit was not made and security deposit was made to Tahsildar on 26-04-2015; after filing the election petition on 24-02-2015. Therefore, according to learned counsel for the petitioner; violation of rule 7 of Rules of 1995 was apparent and being a mandatory condition, the said question ought to have been considered by the authority as preliminary issue. In the case of election of Gram Panchayat specified authority is Sub Divisional Officer (SDO) and as respondent No.10 was holding the said post at the relevant point of

(134)

PRADESH GWALIOR

time, therefore, arrayed as party respondent (later on; after filing of writ petition). The authority vide order dated 01-07-2015 dismissed the application preferred by the petitioner under Order XIV Rule 2 of CPC in a slipshod manner. Annexure P/6 reveals that no reason has been assigned for dismissal of the application nor any conclusion has been arrived at for such dismissal.

3- Being aggrieved by the said order, petitioner preferred writ petition bearing No.4567/2015 in which vide order dated 21-07-2015, this Court allowed the petition on the ground that the order passed by the SDO lacks any reason or finding whereas reasons are heartbeat of every judicial order. Matter was remanded back to the authority for fresh adjudication of the controversy wherein application under Order XIV Rule 2 of CPC had to be decided afresh. Respondent No.10 again passed the same cryptic order dated 23-09-2015 vide Annexure P/1; which is under challenge in this writ petition.

4- According to learned counsel for the petitioner, when Sub Divisional Officer earlier passed the order dated 01-07-2015 then this Court found the said order bereft of any reason and therefore, while deciding the said petition, remanded the matter back for consideration of application under Order XIV Rule 2 of CPC afresh. Still respondent No.10 showed the same attitude and passed the order in a slipshod manner without assigning any reason. Same is arbitrary, illegal and contemptuous in nature. Quasi judicial authority is duty bound to pass reasoned order so that it can be analyzed by the higher authority objectively when matter goes into appeal or revision. Learned counsel for the petitioner submits that respondent No.10 has not considered spirit of earlier order passed by this Court and repeated the same mistake, therefore, respondent No.10 be suitably punished for the willful disobedience of the order in not adhering to the directions given by this Court in writ petition. Besides the arguments on merits, learned counsel for the petitioner raised the ground of violation of principle of natural justice also. He referred the judgment rendered by the Hon'ble Apex Court in the matter of **Kranti Associates Private Limited & Anr. Vs. Masood Ahmed**

HIGH COURT OF M.P. AT GWALIOR

Khan & Ors., (2010) 9 SCC 496.

5- Learned counsel for respondent No.1/contesting respondent was not in a position to support impugned order. He fairly concedes that the order impugned suffers from arbitrariness and illegality. He fairly admits that the prescribed authority should have passed the impugned order while assigning reason.

6- It appears that during pendency of writ petition, petitioner impleaded authority (i.e. respondent No.10) by name who has passed the order and appropriate application was moved for impleadment of SDO, Kurwai District Vidisha by name. Therefore, respondent No.10 was added in the array of respondents. Respondent No.10 was noticed and was represented through her counsel and reply was filed. In the reply, respondent No.10 submits that maintainability of election petition is mixed question of fact and law, therefore, decision in respect of maintainability of election petition cannot be taken without taking evidence and without ascertaining the facts, therefore, she has rightly passed the impugned order.

7- According to her, the fact regarding security deposit by respondent No.1 at the time of filing of election petition is matter of record and therefore, as preliminary issue it cannot be decided. She prayed for dismissal of writ petition.

8- Heard learned counsel for the parties at length and perused the documents appended thereto.

9- Initially, in the first round of litigation, vide order dated 01-07-2015, respondent No.10 passed the order in which the order over application under Order XIV Rule 2 of CPC has been passed in a slipshod manner. The said one line order contains following remarks "CPC 14/2 का आवेदन विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।"

10- Petitioner preferred writ petition No.4567/2015 challenging the said order dated 01-07-2015 and on 21-07-2015, this Court passed a detailed and exhaustive order quoting the judgment rendered by the Hon'ble Apex Court in the matter of Kranti Associates Private Limited (supra). The said quote is reproduced for reference as under:

"(a) In India the judicial trend has always

136

GWALIOR

been to record reasons, even in administrative decisions, if such decisions affect anyone prejudicially.

(b) A quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions.

(c) Insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principle of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well.

(d) Recording of reasons also operates as a valid restraint on any possible arbitrary exercise of judicial and quasi-judicial or even administrative power.

(e) Reasons reassure that discretion has been exercised by the decision-maker on relevant grounds and by disregarding extraneous considerations.

(f) Reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies.

(g) Reasons facilitate the process of judicial review by superior courts.

(h) The ongoing judicial trend in all countries committed to rule of law and constitutional governance is in favour of reasoned decisions based on relevant facts. This is virtually the lifeblood of judicial decision-making justifying the principle that reason is the soul of justice.

(i) Judicial or even quasi-judicial opinions these days can be as different as the judges and authorities who deliver them. All these decisions serve one common purpose which is to demonstrate by reason that the relevant factors have been objectively considered. This is important for sustaining the litigants' faith in the justice delivery system.

(j) Insistence on reason is a requirement for both judicial accountability and transparency.

(k) If a judge or a quasi-judicial authority is not candid enough about his/her decision-making process then it is impossible to know whether the person deciding is faithful to the doctrine of precedent or to principles of incrementalism.

(l) Reasons in support of decisions must be cogent, clear and succinct. A pretence of reasons or "rubber-stamp reasons" is not to be equated with a valid decision-making process.

(m) It cannot be doubted that transparency is the sine qua non of restraint on abuse of judicial powers. Transparency in decision-making not only makes the judges and decisionmakers less prone to errors but also makes them subject

...A PRADESH
AT GWALIOR

to broader scrutiny.

(n) Since the requirement to record reasons emanates from the broad doctrine of fairness in decision-making, the said requirement is now virtually a component of human rights and was considered part of Strasbourg Jurisprudence.

(o) In all common law jurisdictions judgments play a vital role in setting up precedents for the future. Therefore, for development of law, requirement of giving reasons for the decision is of the essence and is virtually a part of "due process".

11- After considering mandate of Hon'ble Apex Court, this Court set aside the order dated 01-07-2015 with a direction to the SDO/Election Tribunal to decide the application under Order XIV Rule 2 of CPC in accordance with law. After remand, the matter was returned back to the SDO (respondent No.10 herein) and respondent No.10 again passed the same order without any alphabetical alteration even. It reads as under:

"CPC 14 / 2 का आवेदन विचारोपरांत खारिज किया जाता है।"

12- Only change after remand in the impugned order is that earlier the word "निरस्त" has been used for rejection and now in the impugned order the word "खारिज" has been used for rejection, rest of the alphabetical expressions are same.

13- Reiterating the mandate of Hon'ble Apex Court while discussing the importance of "Reason" by the Judicial, Quasi Judicial and Administrative Authorities meandering through the realm of Reason and its Importance in the decision making process, said principles are again reproduced to make these Principles; a 'Reality than a Ritual' by the decision making authorities. These principles are:

"(a) In India the judicial trend has always been to record reasons, even in administrative decisions, if such decisions affect anyone prejudicially.

(b) A quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions.

(c) Insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principle of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well.

(d) Recording of reasons also operates as a valid restraint on any possible arbitrary exercise

of judicial and quasi-judicial or even administrative power.

(e) Reasons reassure that discretion has been exercised by the decision-maker on relevant grounds and by disregarding extraneous considerations.

(f) Reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies.

(g) Reasons facilitate the process of judicial review by superior courts.

(h) The ongoing judicial trend in all countries commited to rule of law and constitutional governance is in favour of reasoned decisions based on relevant facts. This is virtually the lifeblood of judicial decision-making justifying the principle that reason is the soul of justice.

(i) Judicial or even quasi-judicial opinions these days can be as different as the judges and authorities who deliver them. All these decisions serve one common purpose which is to demonstrate by reason that the relevant factors have been objectively considered. This is important for sustaining the litigants' faith in the justice delivery system.

(j) Insistence on reason is a requirement for both judicial accountability and transparency.

(k) If a judge or a quasi-judicial authority is not candid enough about his/her decision-making process then it is impossible to know whether the person deciding is faithful to the doctrine of precedent or to principles of incrementalism.

(l) Reasons in support of decisions must be cogent, clear and succinct. A pretence of reasons or "rubber-stamp reasons" is not to be equated with a valid decision-making process.

(m) It cannot be doubted that transparency is the sine qua non of restraint on abuse of judicial powers. Transparency in decision-making not only makes the judges and decisionmakers less prone to errors but also makes them subject to broader scrutiny.

(n) Since the requirement to record reasons emanates from the broad doctrine of fairness in decision-making, the said requirement is now virtually a component of human rights and was considered part of Strasbourg Jurisprudence.

(o) In all common law jurisdictions judgments play a vital role in setting up precedents for the future. Therefore, for development of law, requirement of giving

reasons for the decision is of the essence and is virtually a part of "due process".

14- Repeation of said principles are to bring home the point that reasons are heartbeats of conclusion. Where any authority acting as quasi judicial authority or as administrative authority, must record reason for arriving to a conclusion so that it facilitates the process of judicial review by superior Court or authority. It reduces the subjectivity and promote objectivity and omits arbitrariness. The concept adopted by the administrative authority while deciding the case of an employee under administrative authority or case of a citizen while functioning as quasi-judicial authority needs to be decided by Reason. It is seen repeatedly by this Court that administrative authorities have coined a phrase (in common parlance) while deciding the case of a litigant, employee or citizen by quoting "प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है". This is an antithesis to the 'Rule of Law' and mandate of Hon'ble Apex Court which repeatedly guided and asserted for giving 'Reasons' in the judicial; quasi-judicial/administrative orders. What discussion or conclusion was in the mind of decision maker is reflected through Reasons and therefore, administrative authorities which at times perform quasi-judicial functions also; must record Reasons rather than concealing their thoughtful considerations/whims and fencies under the veil of phrase "प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है" (case is rejected after due consideration). This is against the fair play and transparency, which has been declared as a part of principle of natural justice {**See:Dev Dutt Vs. Union of India and others, (2008) 8 SCC 725**}. Similarly the doctrine (natural justice) is now termed as synonym of fairness in the concept of justice and stands as the most accepted methodology of a governmental action and soul of the natural justice is fair play in action. Thus, natural justice has an expanding content and not stagnant concept.

15- Originaly there were said to be only two principles of natural justice: (1) the rule against bias and (2) the right to be heard (audi alteram partem). However, subsequently, as noted in

(140)

M.P. PRADESH GWALIOR

A.K. Kraipak and Ors. Vs. Union of India & Ors (1969) 2 SCC 262 and K.I. Shephard and others Vs. Union of India and others (1987) 4 SCC 431, some more rule came to be added to the rules of natural justice, e.g. the requirement to give reasons vide **S.N. Mukherjee Vs. Union of India, (1990) 4 SCC 594.** In **Mrs. Maneka Gandhi Vs. Union of India and another, (1978) 1 SCC 248** (vide paras 56 to 61) it was held that natural justice is part of Article 14 of the Constitution.

16- The Hon'ble Apex Court in historic decision, A.K. Kraipak and Ors. (supra) has pointed out that the concept of quasi-judicial power has been undergoing radical change and such dividing line between an administrative power and a quasi-judicial power is quite thin and is being gradually obliterated. For determining whether a power is an administrative power or a quasi-judicial power one has to look to the nature of the power conferred, the person or persons on whom it is conferred, the framework of the law conferring that power, the consequences ensuing from the exercise of that power and the manner in which that power is expected to be exercised. Later on, in other celebrated judgment of Mrs. Maneka Gandhi (supra) and **Mohinder Singh Gill and another Vs. Chief Election Commissioner, New Delhi and others, (1978) 1 SCC 405** has expanded and explained the scope of natural justice. Therefore, administrative authorities are duty bound to assign reasons while deciding the case either functioning as quasi-judicial authority or as administrative authority.

17- Here in the present case, perusal of impugned order reflects three omissions on the part of Presiding Officer; one is she appears to be ignorant about the provisions of Civil Procedure Code, 1908 (hereinafter referred as CPC) which she referred in the order. She missed the chance to understand that CPC includes Sections, Orders and Rules. By referring 14/2, she escaped the legal provision that it was in respect of Order XIV Rule 2 of CPC, therefore, administrative/quasi judicial authorities must abreast with basic knowledge of statutes in which they are dealing with. For that, appropriate acclimatization session or refresher course of such administrative/quasi judicial authorities can be conceptualized and

APRADESH
GWALIOR

implemented so that true import of spirit of natural justice and significance of Reasons may be inculcated in their decision making process.

18- Another omission reflected from the impugned order is ignorance of Presiding Officer about passing of earlier Court order; which (Court order) categorically mandates the Presiding Officer to proceed with the case by affording opportunity of hearing to the parties and to pass a reasoned order. This omission may be attributable to the Presiding Officer and/or to the ministerial staff also which is entrusted with the responsibility of keeping the record updated and make available to the Presiding Officer for ready reference.

19- Another omission occurred in the impugned order (which is the subject matter of discussion itself) is that no Reason has been assigned in passing the said order, specially in election petition in which democratic rights of citizenry are intrinsically involved and therefore, it virtually frustrates the very spirit of Constitutional Amendment by which Article 243 has been amended and local bodies have been given sufficient democratic and electoral authorities.

20- From the pleadings made and submissions advanced by learned counsel for the parties, it appears that respondent No.10 was the same authority who passed the order dated 01-07-2015 and when the matter was challenged in writ petition No.4567/2015 and matter went into remand for fresh adjudication, even then, the second time also, impugned order has been passed by the same authority in same manner. At the time of first order (dated 21-07-2015), respondent No.10 might not be aware of sanctity of Reasons while performing quasi-judicial functions, but when the matter was remanded back by this Court, respondent No.10 must have been enlightened by the direction of this Court as contained in the order dated 21-07-2015 passed in writ petition No.4567/2015. Thereafter repeating the same mistake, not only displays arbitrariness but also reflects casualness, negligence and/or defiance and has trappings of disobedience of the order dated 21-07-2015.

142

[redacted]

21- Directions given by this Court are to be complied with by the authorities especially when the order of this Court attains finality. Here, the authority (respondent No.10) had to comply the order but as referred above committed the same mistake. What would have weighed in the mind of respondent No.10 or what circumstances persuaded her, were not explained in the return filed by her. She only elaborated the reasons (subsequently in return) for passing the impugned order but elaboration of reasons in the reply to writ petition cannot make good the infirmity from which the impugned order suffers. The Hon'ble Apex Court in the matter of Mohinder Singh Gill (supra) has used beautiful expression to sum up while saying:

> *"The second equally relevant matter is that when a statutory functionary makes an order based on certain grounds, its validity must be judged by the reasons so mentioned and cannot be supplemented by fresh reasons in the shape of affidavit or otherwise. Otherwise, an order bad in the beginning may, by the time it comes to Court on account of a challenge, get validated by additional grounds later brought out. We may here draw attention to the observations of Commissioner of Police, Bombay Vs. Gordhandas Bhanji, AIR 1952 SC 16. Public orders, publicly made, in exercise of a statutory authority cannot be construed in the light of explanations subsequently given by the officer making the order of what he meant, or of what was in his mind, or what he intended to do. Public orders made by public authorities are meant to have public effect and are intended to affect the actings and conduct of those to whom they are addressed and must be construed objectively with reference to the language used in the order itself.*
>
> *Orders are not like old wine becoming better as they grow older."*

22- Therefore, this Court also seeks effective intervention of administrative head of the department i.e. Principal Secretary (Revenue or General Administrative Department as the case may be) to reach to the truth and weed out chaff from the grains. Principal Secretary is advised to give directions for preliminary enquiry to competent authority of respondent No.10 about casualness/negligence of respondent No.10 while performing duty

as quasi-judicial authority and lapses of her ministerial staff, if any. In the said preliminary enquiry proper opportunity of hearing be provided to respondent No.10 (Ms. Trapti Shrivastava) who was working as SDO, Kurwai District Vidisha at the relevant point of time when the impugned order dated 23-09-2015 has been passed in the election petition as well as to all other erring persons. After conducting the preliminary enquiry if the case is found to be appropriate one for proceeding for departmental enquiry then the same shall be proceeded with the procedure in accordance with law and if the case involves bonafide lapse then they may be exonerated. It is made clear that the opinion expressed about the lapse of respondent No.10 and her ministerial staff is found prima facie, on the basis of record in hand, therefore, authorities have to arrive to the conclusion about their alleged lapses only through procedure as per law. Anxiety of this Court is not for punishment but for sending a reminder to the authorities and their staff functioning as public servants to match democratic aspirations of public at large.

23- At this stage, this Court also takes opportunity to seek effective intervention of administrative head of the State i.e. Chief Secretary with expectation that suitable orders/suggestions / directions would be issued to the administrative/quasi judicial authorities who are functioning under the aegis of Chief Secretary and his other departmental functionaries, Principal Secretaries etc. who are involved in decision making process to incorporate Reasons as part of their decision making process, instead of deciding the cases in a slipshod manner and/or by making written and mechanical endorsement "पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है".

24- This would have laudable purpose because it will promote clarity in governance and recipient of the order would be in a position to challenge the same before higher authorities on basis of reasons assigned in the order. This endeavour of Administrative Machinery would drastically reduce pendency of the cases before this Court (including Civil/Criminal Courts) because large number of cases are pending before the Courts due to non assignment of Reasons while deciding the cases of citizenry in general and/or

employees of State in particular and after keeping pending for years together cases are ultimately remanded back to the authorities for fresh adjudication on merits. If reasons are assigned then fate of the case would be known to the employee/litigant/aggrieved person while challenging the order or accepting the said order as fate accompli. Other suggestions issued in preceding paragraphs must also be thoughtfully considered. Steel frame of this State (Madhya Pradesh) must recollect in hindsight about the glorious past it possessed when it had efficient and effective administrator like Mr. R.P. Naronha and Mr. K.F. Rustamji.

25- Time has come when **'Rule of Law'** must be treated as one of the essential components of infrastructure (like Roads, Water, Electricity and Communication), so that development of other components of infrastructure may not be sacrificed at the altar of mis-governance. A sincere thought and endeavour in this direction is need of the hour.

27- *Resultantly*, on the basis of cumulative analysis, impugned order dated 23-09-2015 passed by Sub Divisional Officer, Kurwai District Vidisha is set aside. Parties are directed to appear before the said authority on **25-11-2017**, the date on which they will mark their attendance and take guidance from the Presiding Officer for further hearing on application under Order XIV Rule 2 of CPC as per law.

28- Principal Registrar of this Court is directed to send copy of this order to Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh and Principal Secretary, General Administration Department and Revenue Department for information and compliance.

29 Petition stands allowed with the abovementioned directions. No costs.

Sd/-
(Anand Pathak)
Judge

Anil*

TRUE COPY
Section Officer
High Court of M.P.
Bench Gwalior

(32)

(145)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल- 462004

क्रमांक 9/8 /1283/2018/1/8 भोपाल, दिनांक 5/04/20
प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास/जल संसाधन,
लोक निर्माण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
ऊर्जा/पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील क्रमांक 974/20.. एमपीआरआरडीए विरूद्ध श्री एल.जी. चौधरी--सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रदेश के समस्त कार्य विभागों में माध्यस्थम (Arbitration) की प्रकिया पर व्यापक प्रभाव के संबंध में।

उपरोक्त विषय में मान0 सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 974/2012-एमपीआरआरडीए विरूद्ध श्री एल.जी. चौधरी में मान0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08/03/2018 की छायाप्रति कृपया आवश्यक.. संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(श्याम बाई धुर्वे)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, सा.प्र. विभाग

क्रमांक /1283/2018/1/8 भोपाल, दिनांक /04/2018
प्रतिलिपिः-

अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर उनकी टीप क्रमांक 844/ACS/PRD/18, दिनांक 23/03/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, सा.प्र. विभाग

6/ /2018

5317
6-4-18

4

...al No 974/2012 - MPRRDA Vs. LG Chaudhary

...saurabh.lawyer@gmail.com> 14 March 2018 ... 15:06
...il.com, ceomprrda@gmail.com, aincmprrda@rediffmail.com, mp-cexo@nic.in

...matter pertains to jurisdiction in relation to Works Contract. A two Judge bench of the Supreme Court ... held that where there is an arbitration agreement in the Works Contract, the M.P. Madhyastham Adhikaran ... 1983 stands impliedly repealed.

... No.974/2012 filed by undersigned on behalf of MPRRDA against LG Chaudhary, it was contended that the ... did not lay down correct law as it was in oblivion of Section 2(4) of Arbitration and Conciliation Act ... inconsistent State legislation.

... of Justice Ganguly and Justice Gyan Sudha Mishra agreed with MPRRDA and held that Section 2(4) ... Conciliation Act, 1996 saved M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 and hence even where ... arbitration agreement in the works contract, the Adhiniyam of 1983 would only apply.

... Gyan Sudha Mishra party dissented by holding that where Works Contract is itself terminated, then the ... would not apply and the 1996 Act would apply.

... dissent, the captioned matter was listed before a three Judge bench of the Supreme Court ... AK Goel, RF Nariman and UU Lalit on 8.3.2018.

... parties, the Supreme Court affirmed the judgement of Ganguly J.
... held that the judgement of Gyan Sudha Mishra J. did not lay down correct law.

... judgement is that even where the works contract is terminated, the Tribunal under the M.P. ... Adhikaran Adhiniyam, 1983, would continue to have jurisdiction. The Arbitration and Conciliation Act 1996 ... application in respect of Works Contract.

This ... significant judgement relating to all Government Departments and Corporation which engage in Works Contract. This judgement should be widely circulated in all such Departments/ Corporations.

... to all that all proceeding under Arbitration and Conciliation Act, 1996 must be opposed based on this ... where ever objections regarding jurisdiction is not already taken, the same must be taken immediately in ... whatever stage. A copy of judgement is attached.

...

...

...Chaudhary.pdf

... ...@gmail.com> 15 March 2018 at ...
... ...agm16@gmail.com>

...

...Chaudhary.pdf

...ui=2&ik=dc7787...&view=pt&...saurabh.lawyer&search=query&th=16226340b19...

(147)

Supreme Court of India
Mp Rural Road Dev. Authority And ... vs M/S. L.G. Chaudhary Engineers And ... on 24 January, 2012
Bench: Asok Kumar Ganguly, Gyan Sudha Misra

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 974 OF 2012

(Arising out of SLP(C) No.907/2011)

M.P.Rural Road Development Authority & Anr. ...Appellant(s)

- Versus -

M/s. L.G. Chaudhary Engineers & Cont. ...Respondent(s)

J U D G M E N T

GANGULY, J.

1. Leave granted.

2. The question which falls for consideration in this appeal is whether the provision of Madhya Pradesh Madhyasthan Adhikaran Adhiniyam, 1983 (hereinafter, "M.P. Act') which statutorily provides for the parties to the Works Contract to refer all disputes to the Arbitration Tribunal

6

148

constituted under Section 7 of the Act will continue to operate in view of the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 (hereinafter `A.C. Act 1996') which is a Central Act. subsequently enacted.

3. The facts leading to the aforesaid controversy be noted first.

4. The appellant-Madhya Pradesh Rural Road Development Authority and Anr., impugning the judgment of the High Court dated 8.9.2010 in this appeal, entered into a `Works Contract' with the respondent for construction and maintenance of Rural Road Package No.1958, District Jhabua.

5. Clause 24 of the Contract contains the `Dispute Redress Mechanism' and Clause 24.1 of the same provides as under:

"24.1 If any dispute or difference of any kind what-so-ever shall arise in connection with or arising out of this Contract or the execution of work of maintenance of the Works thereunder, whether before its commencement or during the progress of Works or after the termination, abandonment or breach of the Contract, it shall, in the first instance, be referred for settlement to competent authority, described along with their powers in the Contract Data, above the rank of the Engineer. The competent authority shall, within a period of forty five days after being requested in writing by the Contractor to do so, convey his decision to the Contractor. Such decision in respect of every matter so referred shall, subject to review as hereinafter provided, be final and binding upon the Contract. In case the Works is already in progress, the Contractor shall proceed with the execution of the Works, including maintenance thereof, pending receipt of the decision of the competent authority as aforesaid, with all due diligence."

6. Under the `M.P. Act' "dispute" has statutorily been defined under Section 2(d):

"2(d) "dispute" means claim of ascertained money valued at Rupees 50,000 or more relating to any difference arising out of the execution or non-execution of a works contract or part thereof"

7. "Works Contract" has also been defined under Section 2(i) of the M.P. Act:

"2(i) works contract" means an agreement in writing for the execution of any work relating to construction, repair or maintenance of any building or superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, well, bridge, culvert, factory, workshop, powerhouse, transformers or such other works of the State Government or Public Undertaking as the State Government may, by notification, specify in this behalf at any of its stages, entered into by the State Government or by an official of the State Government or Public Undertaking or its official for and on behalf of such Public Undertaking and includes an agreement for the supply of goods or material and all other matters relating to the execution of any of the said works"

8. "Reference to Tribunal" is statutorily provided under Section 7 of the M.P. Act:

"7. Reference to Tribunal - (1) either party to a works contract shall irrespective of the fact whether the agreement contains an arbitration clause or not, refer in writing the dispute to the Tribunal.

(2) Such reference shall be drawn up in such form as may be prescribed and shall be supported by an affidavit verifying the averments.

(3) The reference shall be accompanied by such fee as may be prescribed.

(4) Every reference shall be accompanied by such documents or other evidence and by such other fees for service or execution of processes as may be prescribed.

(5) On receipt of the reference under sub-section (1), if the Tribunal is satisfied that the reference is a fit case for adjudication, it may admit the reference but where the Tribunal is not so satisfied it may summarily reject the reference after recording reasons therefor."

9. From a perusal of Section 7, it is clear that the nature of the dispute between the parties in the instant case is covered by the definition under Section 2(d) read with Section 2(1). As such under Section 7 such a dispute has to be statutorily referred to Tribunal set up under the M.P. Act.

10. The case of the appellant is that in view of several breaches in Works Contract by the respondent, the appellant terminated the Works Contract and encashed the bank guarantee furnished by the respondent on 25.6.2008.

11. Thereafter, on 29.8.2008, the respondent submitted a representation to the appellant against the encashment of bank guarantee. Prior to that on 5.8.2008, respondent filed a Writ Petition No. 4491/2008 challenging the encashment of bank guarantee and the writ petition was disposed of with a direction that the bank guarantee may not be encashed till the disposal of the representation.

Thereafter, on 4.6.2009 the representation of the respondent was rejected after giving the appellant a personal hearing.

12. In the pending dispute, the respondent submitted additional claim on 24.2.2010 and requested the appellant to appoint an Arbitrator for adjudicating the dispute between the parties. On 24.4.2010, the appellant replied that Clause 25 of the Works Contract specifically provides for adjudication of disputes by the Arbitral Tribunal under the M.P. Act.

13. Then on 24.6.2010 respondent filed an application under Section 11 of A.C. Act 1996 for appointment of an Arbitrator before the High Court. On 8.9.2010, High Court allowed the application of the respondent and appointed an Arbitrator by placing reliance on a decision of this Court in Va Tech Escher Wyass Flovel Ltd. Vs. MPSE Board & another - Civil Appeal No. 3746 and 3747 of 2005.

14. In the case of Va Tech (supra), this Court after referring to both the M.P. Act and the A.C. Act 1996, held that the M.P. Act applies only where there is no arbitration clause and this Court further

held that the M.P. Act stands impliedly repealed by the A.C. Act 1996 where there is an arbitration clause.

15. Facts in connection with the Va Tech (supra) were that Va Tech was awarded a works contract by the M.P. State Electricity Board and there was an arbitration clause in the agreement.

16. Va Tech filed an application under Section 9 of the A.C. Act 1996 which was rejected by the learned Additional District Judge and that order was also upheld by the High Court.

17. Then Va Tech filed a special leave petition before this Court. This Court noting the provision of Section 7 of the M.P. Act came to the aforesaid finding and ultimately held that the judgment of the High Court in Va Tech cannot be sustained and opined that application under Section 9 of A.C. Act 1996 is maintainable. The exact reasoning recorded by this Court in Va Tech is as follows:

> "In our opinion, the 1983 Act and the 1996 Act can be harmonised by holding that the 1983 Act only applies where there is no arbitration clause but it stands impliedly repealed by the 1996 Act where there is an arbitration clause. We hold accordingly. Hence, the impugned judgment cannot be sustained and we hold that the application under Section 9 of the 1996 Act was maintainable."

18. Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel appearing for the appellant submitted that the Division Bench of this Court, while coming to the aforesaid finding, has not noticed the relevant provision of the M.P. Act as well as the relevant provisions of A.C. Act 1996 and as such the same judgment was rendered 'per incuriam'.

19. Learned senior counsel further submitted that another Division Bench of this Court in a case in which the Presiding Judge was common with the Bench which rendered the Va Tech (supra) ruling almost in a situation identical with Va Tech issued notice and stayed the arbitration proceedings.

20. In another case a Division Bench of this Court presided over by the same learned Judge who gave the Va Tech ruling passed the following order:

"This petition has been filed against the judgment and order dated 11th March, 2011 passed by the High Court of Madhya Pradesh at Gwalior Bench in Arbitration Case No.4 of 2010.

Learned counsel for the petitioner has relied on a decision of this Court in Civil Appeal No. 3746 of 2005 decided on 14th January, 2010.

We are of the opinion that the aforesaid decision is distinguishable because in the present case the arbitration clause itself mentions that the arbitration will be by the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal. Hence, in this case arbitration has to be done by the Tribunal.

The Special leave petition is dismissed."

21. Relying on these two subsequent orders in the instant case and in Ravikant Bansal vs. M.P. Rural Road Development Authority and Anr. - SLP(C) No.18867 of 2011, Mr. Venugopal, the learned senior counsel submitted that subsequent Division Bench presided over by the same learned Judge who gave the Va Tech ruling has not followed the ratio in the case of Va Tech.

22. The learned counsel said so to justify his contention that the decision in Va Tech (supra) was rendered per incuriam.

23. If this Court looks at Section 2(4) of A.C.

Act 1996, it will appear that Part-I of A.C. Act 1996, which is from Section 2 to Section 43, shall, except sub-section 1 of Sections 40, 41 and 43, apply to every arbitration under any other enactment for the time being in force where the arbitration was pursuant to an arbitration agreement except insofar as the provisions of this Part i.e. Part-I are inconsistent with the other enactment or with any other rule made thereunder.

24. Similar provision relating to statutory arbitration was also there in Section 46 of Arbitration Act, 1940. Section 46 is set out below:

"46. Application of Act to statutory arbitration - The provisions of this Act, except sub-section (1) of Sec. 6 and Secs.

7, 12, 36 and 37, shall apply to every arbitration under any other enactment for the time being in force, as if the arbitration were pursuant to an arbitration agreement and as if that other enactment were an arbitration agreement, except in so far as this Act is inconsistent with that other enactment or with any rules made thereunder.

25. If this Court compares the provisions of the M.P. Act with A.C. Act 1996 then the Court finds that the provisions of M.P. Act are inconsistent with the provisions of A.C. Act 1996. The M.P. Act is a special law providing for statutory arbitration in the State of Madhya Pradesh even in the absence of arbitration agreement. Under the provisions of A.C. Act 1996 in the absence of an arbitration agreement, arbitration is not possible. There is also difference in the formation of arbitration tribunal as is clear from Section 2(1)(d) of A.C.

Act 1996. Again under A.C. Act 1996, arbitral tribunal is defined under Section 2(1)(d) as a sole arbitrator or a panel of arbitrators. But under M.P.

Act such a tribunal is created under Sections 3 and 4 of the Act. And under the M.P. Act dispute has a special meaning as defined under Section 2(1)(d) of the Act whereas dispute has not been defined under the A.C. Act 1996.

26. It is clear from its long title that the M.P.

(152)

Act provides for the establishment of a tribunal to arbitrate in disputes to which the State Government or a public undertaking [wholly or substantially owned or controlled by the State Government], is a party, and for matters incidental thereto or connected therewith. The structure of the tribunal under the M.P. Act is also different from the structure of a tribunal under the A.C. Act 1996. It is clear from Section 4 of the M.P. Act that the composition of tribunal and their qualification is statutorily provided which is set out below:

"4. Chairman and Members of Tribunal and their qualifications.-(1) Subject to sub-

section (2) and (3), the State Government may appoint a chairman and as many members to the Tribunal as it may consider necessary.

(1-a) The State Government may, in consultation with the Chairman, designate one of the Judicial Members as the Vice-Chairman who in the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairman by reason of his death, resignation, leave or otherwise, shall during such vacancy, discharge the functions of the Chairman.

(2) No person shall be appointed as Chairman of the Tribunal, unless he is or has been a Judge of a High Court.

(3) No person shall be qualified for appointment as a member of the Tribunal, unless-

(i) he is or has been a District Judge of not less than seven years standing: or

(ii) he is or has been a Revenue Commissioner or has held a post equivalent to the rank of Revenue Commissioner for a total period of not less than five years, or

(iii)he is or has been:-

```
(a)    Chief   Engineer   in   the   service   of   the
       State        Government        in        Public        Works,
```

Irrigation or Public Health Engineering Department; or

(b) a Chief Engineer in the service of the Madhya Pradesh Electricity Board; or

(c) a Senior Deputy Accountant General of the Office of the Accountant General, Madhya Pradesh, for a period of not less than five years.

Provided that in the case of clause

(153)

(iii), in exceptional circumstances, the State Government may, relax the prescribed minimum period of five years to three years."

27. The term of office and salaries and allowances are also statutorily provided under Sections 5 and 6 of the M.P. Act. Section 8 provides for the procedure to be followed by the tribunal on receipt of reference and Section 9 provides for the Constitution of Benches and Chairman's power of distribution of business. Under Section 16(2) of the M.P. Act there is a time limit for giving the Award which is absent in A.C. Act 1996. Section 17-A of the M.P. Act confers inherent power on the Arbitral tribunal to make orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the tribunal. Section 17-B also provides for power conferred on the tribunal for correction of clerical or arithmetical mistakes. No such power is given to an arbitral tribunal under A.C. Act 1996.

Section 19 of the M.P. Act gives High Court the suo motu power of revision. The High Court has also been given the power of revision to be exercised on an application made by an aggrieved party within three months of the award. While doing so, the High Court is to act like a revisional court under Section 115 of the CPC.

28. It is clear from the aforesaid enumeration of the statutory provision that under the M.P. Act the parties' autonomy in the choice of arbitral tribunal is not there.

29. In State of Madhya Pradesh and another vs. Anshuman Shukla - (2008) 7 SCC 487, this Court while referring to the M.P. Act and dealing with the nature of the arbitral tribunal constituted under the said Act held that the said Act is a special Act and provides for compulsory arbitration. It provides for a reference and the tribunal has been given the power of rejecting the reference at the threshold.

It also held that the M.P. Act provides for a special limitation and fixes a time limit for passing an award. It has also been held that Section 14 of the M.P. Act provides that the award can be challenged under special circumstances and Section 17 provides for finality of the award, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law relating to arbitration. All these features of the Act were pointed by this Court in Anshuman Shukla (supra) to show that there is inconsistency between the provisions of A.C. Act 1996 and those of the M.P. Act. In para 28 of the judgment, this Court while referring to the provisions of M.P. Act held:

> "The provisions of the Act referred to hereinbefore clearly postulate that the State of Madhya Pradesh has created a separate forum for the purpose of determination of disputes arising inter alia out of the works contract. The Tribunal is not one which can be said to be a domestic tribunal. The Members of the Tribunal are not nominated by the parties. The disputants do not have any control over their appointment. The Tribunal may reject a reference at the threshold. It has the power to summon records. It has the power to record evidence. Its functions are not limited to one Bench. The Chairman of the Tribunal can refer the disputes to another Bench. Its decision is final. It can award costs. It can award interests. The finality of the

decision is fortified by a legal fiction created by making an award a decree of a civil court. It is executable as a decree of a civil court. The award of the Arbitral Tribunal is not subject to the provisions of the Arbitration Act, 1940 and the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The provisions of the said Acts have no application."

(para 28, page 497 of the report)

30. It is clear, therefore, that in view of the aforesaid finding of a co-ordinate Bench of this Court on the distinct feature of an arbitral tribunal under the said M.P. Act the provisions of M.P. Act are saved under Section 2(4) of A.C. Act 1996. This Court while rendering the decision in Va Tech (supra) has not either noticed the previous decision of a co-ordinate Bench of this Court in Anshuman Shukla (supra) or the provisions of Section 2(4) of A.C. Act 1996. Therefore, we are constrained to hold that the decision of this Court in Va Tech (supra) was rendered per incuriam.

31. This was the only point argued before us by the learned counsel for the appellant.

32. The principle of per incuriam has been very succinctly formulated by the Court of Appeal in Young vs. Bristol Aeroplane Company, Limited reported in 1944 (1) K.B. 718.

33. Lord Greene, Master of Rolls formulated the principles on the basis of which a decision can be said to have been rendered `per incuriam'. The principles are:

"Where the court has construed a statute or a rule having the force of a statute its decision stands on the same footing as any other decision on a question of law, but where the court is satisfied that an earlier decision was given in ignorance of the terms of a statute or a rule having the force of a statute the position is very different. It cannot, in our opinion, be right to say that in such a case the court is entitled to disregard the statutory provision and is bound to follow a decision of its own given when that provision was not present to its mind. Cases of this description are examples of decisions given per incuriam."

(Page 729)

34. The decision in Young (supra) was subsequently approved by the House of Lords in Young vs. Bristol Aeroplane Company, Limited reported in 1946 Appeal Cases 163 at page 169 of the report.

35. Lord Viscount Simon in the House of Lords expressed His Lordship's agreement with the views expressed by the Lord Greene, the Master of Rolls in the Court of Appeal on the principle of per incuriam (see the speech of Lord Viscount Simon at page 169 of the report).

36. Those principles have been followed by the Constitution Bench of this Court in The Bengal Immunity Company Limited vs. The State of Bihar and others reported in 1955 (2) SCR 603 [See the

discussion in pages 622 and 623 of the report].

37. The same principle has been reiterated by Lord Evershed, Master of Rolls, in Morelle Ld. vs. Wakeling & another [(1955) 2 QB 379 at page 406].

The principle has been stated as followed:

> "...As a general rule the only cases in which decisions should be held to have been given per incuriam are those of decisions given in ignorance or forgetfulness of some inconsistent statutory provision or of some authority binding on the court concerned; so that in such cases some part of the decision or some step in the reasoning on which it is based is found, on that account, to be demonstrably wrong......."
>
> (page 406)
>
> 38. In the case of State of U.P. and another vs. Synthetics and Chemicals Ltd. and another reported in (1991) 4 SCC 139, this Court held the doctrine of `per incuriam' in practice means `per ignoratium' and noted that English Courts have developed this principle in relaxation of the rule of stare decisis and referred to the decision in the case of Bristol Aeroplane Co. Ltd. (supra). The learned Judges also made it clear that the same principle has been approved and adopted by this Court while interpreting Article 141 of the Constitution (see para 41).

39. In the case of Municipal Corporation of Delhi vs. Gurnam Kaur reported in (1989) 1 SCC 101, a three-

Judge Bench of this Court explained this principle of per incuriam very elaborately in paragraph 11 at page 110 of the report and in explaining the principle of per incuriam the learned Judges held:

> "......A decision should be treated as given per incuriam when it is given in ignorance of the terms of a statute or of a rule having the force of a statute......."

40. In paragraph 12 the learned Judges observed as follows:

> "......One of the chief reasons for the doctrine of precedent is that a matter that has once been fully argued and decided should not be allowed to be reopened. The weight accorded to dicta varies with the type of dictum. Mere casual expressions carry no weight at all. Not every passing expression of a judge, however eminent, can be treated as an ex cathedra statement, having the weight of authority."

41. Following the aforesaid principles, this Court is constrained to hold that the decision in Va Tech (supra), having been rendered in per incuriam, cannot be accepted as a precedent to decide the controversy in this case.

(156)

42. In reply the learned counsel for the respondent only submitted that the M.P. Act is repugnant to A.C. Act 1996 since the same is a later Act made by Parliament. The learned counsel referred to the provisions of Article 254 of the Constitution. The learned counsel also urged that in view of the provision of Section 85 of A.C. Act 1996, the M.P. Act stands impliedly repealed.

43. The said argument cannot be accepted. The provision for repeal under Section 85 of A.C. Act 1996 does not show that there is any express repeal of the M.P. Act. Apart from that the provision of Section 2(4) of A.C. Act clearly militates against the aforesaid submissions.

44. The argument of repugnancy is also not tenable. Entry 13 of the Concurrent List in the VIIth Schedule of the Constitution runs as follows:

> "13. Civil procedure, including all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of this Constitution, limitation and arbitration."

45. In view of the aforesaid Entry, the State Government is competent to enact laws in relation to arbitration. The M.P. Act of 1983 was made when the previous Arbitration Act of 1940 was in the field.

That Act of 1940 was a Central Law. Both the Acts operated in view of Section 46 of 1940 Act.

46. The M.P. Act 1983 was reserved for the assent of the President and admittedly received the same on 17.10.1983 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Extraordinary dated 12.10.1983. Therefore, the requirement of Article 254(2) of the Constitution was satisfied. Thus, M.P. Act of 1983 prevails in the State of Madhya Pradesh. Thereafter, A.C. Act 1996 was enacted by Parliament repealing the earlier laws of arbitration of 1940. It has also been noted that A.C. Act 1996 saves the provisions of M.P. Act 1983 under sub-sections 2(4) and 2(5) thereof. Therefore, there cannot be any repugnancy.

(See the judgment of this Court in T. Barai vs. Henry Ah Hoe and another reported in AIR 1983 SC

150). In this connection the observations made by the Constitution Bench of this Court in the case of M. Karunanidhi vs. Union of India and another reported in (1979) 3 SCC 431 are very pertinent and the following observations are excerpted:

> "......It is, therefore, clear that in view of this clear intention of the legislature there can be no room for any argument that the State Act was in any way repugnant to the Central Acts. We have already pointed out from the decisions of the Federal Court and this Court that one of the important tests to find out as to whether or not there is repugnancy is to ascertain the intention of the legislature regarding the fact that the dominant legislature allowed the subordinate legislature to operate in the same field pari passu the State Act."
>
> (para 37, page 450)

47. It is clear from the aforesaid observation that in instant case the latter Act made by the Parliament i.e. A.C. Act 1996 clearly showed an intention to the effect that the State Law of Arbitration i.e. the M.P. Act should operate in the State of Madhya Pradesh in respect of certain specified types of arbitrations which are under the M.P. Act 1983. This is clear from Sections 2(4) and 2(5) of A.C. Act 1996. Therefore, there is no substance in the argument of repugnancy and is accordingly rejected.

48. Therefore, appeal is allowed and the judgment of the High Court which is based on the reasoning of Va Tech (supra) is set aside. This Court holds the decision in Va Tech (supra) has been rendered in per incuriam. In that view of the matter the arbitration proceeding may proceed under M.P. Act of 1983 and not under A.C. Act 1996.

49. There will be no order as to costs.

.......................J.

(ASOK KUMAR GANGULY) New Delhi January 24, 2012 REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO.974 OF 2012 (Arising out of SLP(C) No.907/2011) M.P.Rural Road Development Authority & Anr. ...Appellant(s)

- Versus -

M/s. L.G. Chaudhary Engineers & Cont. ...Respondent(s) J U D G E M E N T Gyan Sudha Misra, J.

Leave granted.

2. While concurring and endorsing the reasonings assigned in the judgement of learned Justice Ganguly, I propose to add and thus partly dissent on certain aspects involved in the instant appeal which would have a bearing on the relief granted to the respondent by the High Court which appointed an arbitrator under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 for adjudication of the dispute in regard to cancellation of the works contract between the contesting parties therein.

3. In this context, Section 7 of the Madhya Pradesh Madhyasthan Adhikaran Adhiniyam, 1983 (hereinafter referred to as the `M.P. Arbitration Tribunal Act, 1983') needs to be reiterated which itself lays down as follows:

> "Reference to Tribunal" - (1) either party to a works contract shall irrespective of the fact whether the agreement contains an arbitration clause or not, refer in writing the dispute to the Tribunal."

4. On perusal of the aforesaid provision enumerated under Section 7, it is explicitly clear that the matter in the event of existence of a dispute between the parties in certain categories of cases where the State of Madhya Pradesh is a contracting party, the dispute shall be referred in writing to the tribunal irrespective of the fact whether the agreement contains an arbitration clause or not. From

this provision it is clearly apparent that reference of any dispute to the tribunal postulates an existence of a works contract and the definition of `works contract' under Section 2 (i) of the M.P. Arbitration Tribunal Act, 1983, it has clearly and unequivocally been specified as to what is a `works contract' in relation to which the dispute is required to be referred in writing to the tribunal. We may therefore meticulously recollect the definition of `works contract' which lays down as follows:-

> "works contract" means an agreement in writing for the execution of any work relating to construction, repair or maintenance of any building or superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, well, bridge, culvert, factory workshop, powerhouse, transformers or such other works of the State Government or Public Undertaking as the State Government may, by notification, specify in this behalf at any of its stages, entered into by the State Government or by an official of the State Government or Public Undertaking or its official for and on behalf of such Public Undertaking and includes an agreement for the supply of goods or material and all other matters relating to the execution of any of the said works."

5. Thus on a perusal of the definition of `works contract', it is manifestly clear that while the `works contract' means an agreement pertaining to matters relating to the execution of any of the work enumerated in the definition of `works contract', the same does not include the dispute pertaining to termination, cancellation or repudiation of works contract and the entire nature of transaction laid down therein relates to disputes which arise out of execution of the nature of work specified in the `works contract'. However, the question whether the `works contract' has been legally repudiated and rightly cancelled or not is the question or dispute pertaining to termination of works contract has not been incorporated even remotely within the definition of `works contract'. In view of this, the legal and logical consequence which can be reasonably drawn from the definition of `works contract' would be, that if there is a dispute between the contracting parties for any reason relating to works contract which include execution of any work, relating to construction, repair or maintenance of any building or super-structure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, well, bridge, culvert, factory, workshop, power house, transformers or such other works of the State Government or Public Undertaking including an agreement for the supply of goods or material and all other matters relating to the execution of any of the said works, the same would fall within the ambit of the definition of `works contract' and hence all disputes pertaining or arising out of execution of the works contract will have to be referred to the M.P. State Arbitration Tribunal as envisaged under Section 7 of the Act of 1983. Hence, in addition to the reasons assigned in the judgment and order of learned Brother Justice Ganguly, disputes arising out of execution of works contract has to be referred to the M.P. State Arbitration Tribunal and not under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

6. But in so far as the instant matter is concerned, the facts disclose that the appellant M.P. Rural Road Development Authority cancelled the works contract itself which was executed in favour of the respondent. In that event, the works contract between the parties was not in existence at all which would operate as a statutory mandate for reference of the dispute to the M.P. State Arbitration Tribunal.

7. It is no doubt true that if the matter were before an Arbitrator appointed under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 for adjudication of any dispute including the question regarding the justification and legality as to whether the cancellation of works contract was legal or illegal, then the said Arbitrator in view of the ratio of the judgment of the Supreme Court in Maharshi Dayanand University & Anr. Vs. Anand Co-op L(C) Society, 2007 (5) SCC 295, as also in view of the persuasive reasoning assigned in the judgment and order reported in Heyman & Anr.

Vs. Darwins, Limited, 1942 (1) All E.R. 337 would have had the jurisdiction to adjudicate the dispute regarding the justification and legality of cancellation of works contract also. But the same cannot be allowed to be raised under the M.P. Act of 1983 since the definition of `works contract' unambiguously lays down in explicit terms as to what is the nature and scope of `works contract' and further enumerates the specific nature of disputes arising out of the execution of works contract which would come within the definition of a `works contract'.

8. However, the same does not even vaguely include the issue or dispute arising out of cancellation and termination of contract due to which this question, in my considered opinion, would not fall within the jurisdiction of M.P. State Arbitration Tribunal so as to be referred for adjudication arising out of its termination. As already stated, fall out certainly would be otherwise if the matter were to be adjudicated by an Arbitrator appointed under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and that would be in view of the ratio of the decisions of the Supreme Court referred to hereinbefore which has held it permissible for the Arbitrator to adjudicate even the dispute arising out of cancellation or termination of an agreement or contract. This however, cannot be allowed to broaden or expand the ambit and scope of the M.P. Act of 1983 where the State Legislature has passed a specific legislation in respect of certain specified types of arbitration determining as to what are the nature of disputes to be referred to the M.P. State Arbitration Tribunal and that specifically permits the reference of dispute arising out of execution of contract but clearly leaves out any dispute arising out of termination, cancellation or repudiation of `works contract'. In order to clarify the point further, what needs to be emphasized is that if the nature of dispute referred to the Arbitrator like the instant matter, related to a dispute pertaining to construction, repair, maintenance of any building super-

structure, dam or for the reasons stated within the definition of `works contract', the matter may be referred to the M.P. Tribunal in view of the fact that if there is a dispute in relation to execution of a works contract, then irrespective of the fact whether the agreement contains an arbitration clause or not, the dispute is required to be referred to the M.P.

State Arbitration Tribunal for adjudication. But when the contract itself has been terminated, cancelled or repudiated as it has happened in the instant case, then the nature of dispute does not fall within the definition of `works contract' for the sole reason that it does not include any dispute pertaining to cancellation of a works contract implying that when the works contract itself is not in existence by virtue of its cancellation, the dispute cannot be referred to the M.P. State Arbitration Tribunal but may have to be decided by an Arbitrator appointed under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

9. Hence, the nature of the dispute which falls within the definition of 'works contract' under Section 2(i) of the M.P. Act, 1983 and one of the contracting parties to the agreement is the State of M.P., then irrespective of an arbitration agreement the dispute will have to be referred to the Tribunal in terms of Section 7 of the Act of 1983. But if the works contract itself has been repudiated and hence not in existence at all by virtue of its cancellation/termination, then in my considered view, the dispute will have to be referred to an independent arbitrator to be appointed under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 since the M.P.

Act 1983 envisages reference of a dispute to the State Tribunal only in respect of certain specified types of arbitration enumerated under Section 2 (i) of the M.P. Act, 1983.

10. As a consequence and fall out of the aforesaid discussion, the impugned order of the High Court by which the dispute relating to termination of works contract by the M.P. Rural Road Development Authority itself was referred to an independent arbitrator appointed by the High Court under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 needs to be sustained and there is no need for a de novo reference of the dispute to the M.P. State Arbitration Tribunal. In the alternative, the consequence would have been otherwise and the matter could have been referred to the State Arbitration Tribunal if the dispute between the parties related to any dispute emerging out of execution of works contract which could fall within the definition of 'works contract' given out within the definition of 'works contract' under Section 2(i) of the M.P. Act of 1983. In order to avoid any ambiguity, it is reiterated that in view of cancellation of the works contract itself which is the position in the instant case, the proceedings before the Arbitrator appointed by the High Court cannot be treated as non-est so as to refer the same once again to the tribunal for adjudication as the dispute does not emerge or pertain to execution of works contract but relates to non-existence of works contract by virtue of its cancellation.

11. Thus the sum and substance of what I wish to emphasize is that the question as to whether the dispute would be referred to the M.P.

Tribunal in terms of Section 7 of the M.P. Act of 1983 or to an independent arbitrator under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 will depend upon the factum whether the works contract is existing between the parties or not out of which the dispute has arisen. In case, the works contract itself has been repudiated/cancelled, then, in view of its non-

existence, Section 7 of the M.P. Act pertaining to reference of dispute to tribunal would not come into play at all by virtue of the fact that the dispute relating to execution of works contract alone can be referred to the tribunal in view of the specific nature of works contract enumerated within the definition of works contract under the Act of 1983. However, when the works contract itself becomes non-existent as a consequence of its cancellation, the matter will have to be referred to an independent arbitrator under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and not to M.P.

State Arbitration Tribunal.

12. Thus, while holding that the M.P. Act 1983 should operate in the State of M.P. in respect of certain specified types of arbitration, the appointment of an independent arbitrator by the High Court under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 needs to be sustained since the works contract itself is not in existence by virtue of its cancellation and hence this part of the dispute could not have been referred to the M.P.

State Tribunal.

13. Consequently, the instant appeal stands partly allowed. There will be no order as to costs.

....J.

(Gyan Sudha Misra) New Delhi, January 24, 2012.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO. 974 OF 2012 (Arising out of SLP(C) No.907/2011) M.P.Rural Road Development Authority & Anr.

...Appellant(s)

- Versus -

M/s. L.G. Chaudhary Engineers & Cont.

...Respondent(s) ORDER In view of some divergence of views expressed in the two judgments delivered today by us, the matter may be placed before Hon'ble the Chief Justice of India for constituting a larger Bench to resolve the divergence.

..............................J.

(ASOK KUMAR GANGULY) ....J.

(GYAN SUDHA MISRA) NEW DELHI, 24-01-2012

162

33

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 5-1/2018/1/8 भोपाल, दिनांक 17/09/2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः- अवमानना प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

सन्दर्भः- इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 5-2/2012/1/8, दिनांक 22/08/2012, कमांक एफ 5-3/2012/1/8, दिनांक 27/08/2012 एवं एफ 5-3/2017/1/8, दिनांक 20/03/2017

अवमानना प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सन्दर्भित निर्देशों का कृपया अवलोकन करें।

2/ महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व के निर्देशों के बावजूद अवमानना प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रभारी/संपर्क अधिकारियों एवं विभागीय नोडल अधिकारियों को पर्याप्त जानकारी न होने के कारण प्रकरण के निराकरण में कठिनाई होती है।

3/ अतः पूर्व में जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी अनुरोध है कि अवमानना प्रकरण दायर होने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाए। अवमानना प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नहीं अपितु सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सम्पर्क अधिकारी द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर उनके परामर्श के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाना चाहिए।

निरन्तर..............2

4/ अवमानना प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है अपितु पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। अतः अवमानना प्रकरण में सुनवाई की तिथि से पूर्व ही वकालतनामा तथा उस न्यायालयीन आदेश के संबंध में पालन प्रतिवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके सन्दर्भ में वह अवमानना याचिका दायर की गई है।

5/ अवमानना प्रकरण में संबंधित अधिकारी को उनके नाम से पक्षकार बनाया जाता है। अतः उस अधिकारी की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वकालतनामे, पालन प्रतिवेदन एवं शपथ पत्र आदि पर सम्पर्क अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएँ बल्कि ये सभी दस्तावेज प्रतिवादी अधिकारी के हस्ताक्षर से ही प्रस्तुत किए जाएँ।

6/ कृपया उपरोक्त निर्देशों से सर्व संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

14/09/13

(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 5—1/2018/1/8 भोपाल, दिनांक 17/09/2018

प्रतिलिपिः—

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।

2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर ।

3. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल

4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।

7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।

8. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।

10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

11. संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।

12. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर, ।

उप सचिव 14/09/18

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

C-12

165

(34)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–1/2019/1/8 भोपाल,दिनांक 13/2/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति।

महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ महाधिवक्ता मध्यप्रदेश द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कई विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के पालन में उदासीनता दिखाई जाती है तथा महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में भी पक्ष समर्थन हेतु कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण इन प्रकरणों में शासन की ओर से प्रभावी ढंग से प्रतिरक्षण नहीं हो पाता है।

3/ किसी न्यायालयीन प्रकरण में शासन का पक्ष पूर्ण सजगता एवं प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखने हेतु यह आवश्यक है कि नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी को मामले की पूरी जानकारी होने के साथ ही वह शासकीय अधिवक्ता को मामले के विभिन्न बिन्दुओं से सूक्ष्मतापूर्वक अवगत करा सकने में समर्थ भी हो।

4/ अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी न्यायालयीन प्रकरण की विषय वस्तु तथा उसके महत्व के अनुसार ही उपयुक्त स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(वी.सी. सेमवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–1/2019/1/8 भोपाल,दिनांक 13/2/2019
प्रतिलिपि:–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
3 सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
12.. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्व, जबलपुर/ इन्दौर/ ग्वालियर।
17 अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।

(मनीषा सेंतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(167)

(35)

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 11-11/2019/1/9 भोपाल, दिनांक29मार्च, 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल ।

विषय - माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सीधे पत्राचार न करने के संबंध में ।

--00--

विषयांतर्गत शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से सीधे पत्राचार किया गया है, जिस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है ।

2/ किसी भी विषय/मामले पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को संबोधित कर पत्राचार किया जाना उपयुक्त नहीं है। अत: अनुरोध है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से सीधे पत्राचार/समन्वय न किया जाकर रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से पत्राचार/समन्वय किया जाए ।

3/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित करें।

(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर 02/-

168

पृष्ठ. क्रमांक एफ 11-11/2019/1/9 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
5. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (7-1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(169)

(36)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–3/2019/1/8 भोपाल,दिनांक 18-4-2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– विभिन्न न्यायालयों के निर्देश पर राज्य शासन के अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में।

माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों के समुचित पालन हेतु इस विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं परन्तु कुछ अधिकारियों द्वारा इस विषय में गंभीरता नहीं दिखाए जाने के मामले सामने आए हैं।

2/ हाल ही में माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली में प्रचलित एक मामले में माननीय ट्रिब्युनल द्वारा एक जिला कलेक्टर को उपस्थिति होने के निर्देश दिए गए थे परन्तु जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं उपस्थित होने के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ट्रिब्युनल के समक्ष भेजा गया जबकि ट्रिब्युनल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नहीं बुलाया गया था।

3/ माननीय ट्रिब्युनल द्वारा इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। अतः सभी विभागों/अधिकारियों से अनुरोध है कि जब भी किसी न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी विशेष की उपस्थिति के लिए निर्देशित किया जाए तो ध्यान रखा जाए कि संबंधित अधिकारी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। यदि नियत दिनांक को किसी महत्वपूर्ण कारण से संबंधित अधिकारी का उपस्थित हो पाना संभव न हो तो इस विषय में पर्याप्त समय पूर्व नियमानुसार न्यायालय से निवेदन किया जाए।

4/ कृपया इन निर्देशों से अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएँ

(व्ही.सी. सेमवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

170

क्रमांक एफ 5–3/2019/1/8 भोपाल,दिनांक 18-4-2019

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली
3 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर

4. सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल
7 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल

10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
12. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्व, जबलपुर/ इन्दौर/
17. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।

(मनीषा सेंतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(171)

(37)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र सी–6–3–2019–3–एक, भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
म.प्र. मंत्रालय

विषय–आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने पर शासकीय सेवक को सुनवाई का अवसर– मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र 16549 / 2016 में पारित आदेश दि 15.05.2019

संदर्भ–इस विभाग का परिपत्र क्र सी–6–2–2017–3–एक, दिनांक 30.08.2017

रिट पिटीशन क्र 1353 / 2011 श्री रामसेवक मिश्रा विरूद्व मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में दिनांक 18.07.2017 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने सेवानिवृत्त पेंशनभोगी को आपराधिक प्रकरण में दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के अधीन कार्यवाही किए जाने के पूर्व कारण बताओ सूचना पत्र एवं सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश दिए गये थे, जिसके परिपालन में संदर्भित परिपत्र दिनांक 30.08.2017 जारी किया गया था।

2– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र 16549 / 2016 श्री लालसाहब बैरागी विरूद्व नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में पारित आदेश दिनांक 15.05.2019 द्वारा पुनः अवधारित किया गया है कि पेंशन नियम 1976 के नियम 8(2) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व ऐसे पेंशनर को जिसे आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया है, उसे अभ्यावेदन का अवसर प्रदान करना या नोटिस देना आवश्यक नही है।

3– मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र सी–6–3–2019–3–एक, भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,
2. अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग

की ओर सूचनार्थ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

LARGER BENCH

Writ Petition No.16549 of 2016

Lal Sahab Bairagi
S/o. Late Madhavdas Bairagi, Aged about 74 years, Retired Chief Municipal Officer, Majhouli, District Jabalpur, M.P., R/o. Ward No.7, Sihora, District Jabalpur, M.P.

...Petitioner

V/s.

1. State of Madhya Pradesh through Secretary, Nagriya Vikas Avam Paryavaran Vibhag, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

2. Deputy Secretary, Nagriya Vikas Avam Paryavaran Vibhag, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

3. Deputy Director, Nagriya Vikas Avam Paryavaran Vibhag, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, M.P.

4. Chief Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Majhouli,

Shri Vipin Yadav, Advocate, for the petitioner.

Shri Rajendra Tiwari, Advocate General with Shri Shashank Shekhar, Additional Advocate General for the respondent-State.

Present:

HON'BLE CHIEF JUSTICE S.K. SETH,

HON'BLE SHRI JUSTICE R.S.JHA,

HON'BLE SMT. JUSTICE NANDITA DUBEY,

HON'BLE SHRI JUSTICE RAJEEV KUMAR DUBEY,

HON'BLE SHRI JUSTICE SANJAY DWIVEDI JJ.

O R D E R

(Delivered on 15th May, 2019)

Per Seth C.J.

1. This reference to the Full Bench arises on the following facts.

2. Petitioner was posted as a Chief Municipal Officer, Majholi. He was prosecuted and convicted by the Special Judge (PC Act) for offences punishable under Section 409, 120B of the IPC and

(174) (37)

therefore convicted and sentenced him to undergo period of sentence awarded. Against the conviction and sentence, petitioner preferred a Criminal Appeal and this Court has suspended the jail sentence awarded to the petitioner. After retirement, by order dated 8.8.2016, State Government forfeited pension of the petitioner.

3. Petitioner challenged the order dated 8.8.2016 in this Court and contended that the said order is unsustainable in law as no opportunity of hearing was afforded to him before passing the order dated 8.8.2016. In support of the contention, reliance was placed on the full Bench decision in the case of **Ram Sewak Mishra Vs. State of Madhya Pradesh** reported in 2017 (4) MPLJ 482 wherein the majority approved the decision of the learned single judge in **Dau Ram Maheshwar Vs. State of Madhya Pradesh** reported in 2017 (1) MPLJ 640.

4. The Division Bench before which the above writ petition came up for hearing,

Bench. That is how the matter has come up for hearing before us.

5. The following questions have been referred to this Larger Bench:-

> "1. Whether in view of the specific exclusion of the procedure for providing hearing incorporated in Rule 8(3) of the Pension Rules of 1976, in respect of the cases falling under Rule 8(2), the same can be insisted upon in the light of the Full Bench decision in the case of **Ram Sewak Mishra** (supra) ?
>
> 2. Whether the Full Bench judgment in the case of **Ram Sewak Mishra** (supra) deserves to be re-examined and reconsidered in view of the words "in a case not falling under Sub-rule 2" clearly and specifically incorporated in Rule 8(3) of the Pension Rules of 1976 ?
>
> 3. Whether the authority is required to issue a show cause notice prior to passing of an order in terms of Rules 8 and 9 of the Pension Rules of 1976,

(176) (39)

6. It is well settled that payment of pension to a pensioner is regulated by the provisions of M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976, and that the same has been made statutorily subject to future good conduct of the pensioner. The provisions of Rule 8 of the M.P. Civil Services (Pension) Rules, 1976, is reproduced herein below for ready reference :-

> "8. **Pension subject to future good conduct.** - (1) (a) Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules.
>
> (b) The pension sanctioning authority may, by order in writing withhold or withdraw a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct:
>
> Provided that no such order

make an appointment to the post held by him immediately before his retirement from service:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below [the minimum pension as determined by the Government from time to time].

(2) Where a pensioner is convicted of a serious crime by a Court of law, action under clause (b) of sub-rule (1) shall be taken in the light of the judgment of the Court relating to such conviction.

(3) In a case not falling under sub-rule (2), if the authority referred to in sub-rule (1) considers that the pensioner is *prima facie* guilty of grave misconduct, it shall before passing an order under sub-rule (1)-

(178) (31)

and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit, within fifteen days of the receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days as may be allowed by the pension sanctioning authority, such representation as he may wish to make against the proposal; and

(b) take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under clause (a).

(4) Where the authority competent to pass an order under sub-rule (1) is the Governor, the State Public Service Commission shall be consulted before the order is passed.

(5) An appeal against an order under sub-rule (1); passed by any authority other than the Governor, shall lie to the Governor and the Governor shall

Explanation. - In this rule,-

(a) the expression "serious crime" includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act 1923 (No. 19 of 1923);

(b) the expression "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or pass word or any sketch, plan, model, article, note, document or information such as is mentioned in Section 5 of the Official Secrets Act, while holding office under the government so as to prejudicially affect the interests of the general public, or the security of the country.

[**Note** - The Provisions of this rule shall also be applicable to family pension payable under Rules 47 and 48. The authority competent to make an appointment to the post held by the deceased Government servant/ pensioner immediately before the death or

or withdraw any part of family pension."

7. From the perusal of Rule 8 as reproduced here in above, it is clear that pension sanctioning authority may by an order in writing withhold or withdraw a pension or part thereof if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct. The pension can be withheld or withdrawn permanently or for a specified period. Rule 8(2) deals with cases of pensioner who has been convicted in a Criminal Case while Rule 8(3) deals with cases of pensioner found guilty of grave misconduct.

8. From a perusal of the provisions of Rule 8(3) of the Rules of 1976, it is clear that the said provision prescribes that where an authority considers a pensioner prima facie guilty of grave misconduct, it shall, before passing an order under Sub-rule (1) of Rule 8 of the Rules of 1976, serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to

is extended by the authority, take into consideration the representation filed by the pensioner and thereafter pass an order.

9. It is, however, apparent from a bare perusal of the first few words of Rule 8(3) of the Rules of 1976, that the aforesaid procedure prescribed for passing orders against the pensioner in cases where he is prima facie guilty of grave misconduct, has no applicability to cases falling under Rule 8(2) of the Rules of 1976 which deals with the action to be taken against a pensioner convicted by a Criminal Court. The starting words of Rule 8(3) of the Rules of 1976, "*In a case not falling under sub-rule (2)*", make it abundantly clear and state in no uncertain terms, that the provisions of Rule 8(3) of the Rules of 1976, shall apply only to those cases that do not fall under Sub-rule (2) of Rule 8 of the Rules of 1976.

10. A perusal of Rule 8 of the Rules of 1976, makes it further clear that the category of cases that fall under Rule

serious crime by a Court of law and that while taking such action, the elaborate procedure prescribed under Rule 8(3) of the Rules of 1976, would not apply as the same has been expressly excluded by the opening words of Rule 8(3) of the Rules of 1976. Rule 8(2) of the Rules of 1976, does not contemplate giving of an opportunity of hearing when the pension is withheld or withdrawn on account of conviction of a serious crime.

11. The aforesaid aspect and interpretation of the Rules is apparent from a bare perusal and reading of the Rules. The language of Rule 8(3) of the Rules of 1976, is simple, unambiguous and clear and leads to no other interpretation, meaning or conclusion.

12. In view of the clear and unambiguous language of the provisions of Rule 8(3) of the Rules of 1976, which incidentally was neither considered nor brought to the notice of the Full Bench in the case of **Ram Sewak Mishra vs. State of M.P. and another (supra)**, it is held that the principles of natural justice cannot be

13. The principles of natural justice or holding of an enquiry is neither a universal principle of justice nor inflexible dogma. The principles of natural justice are not incapable of exclusion in a given situation. For example, Article 311(2) of the Constitution, which essentially embodies the concept of natural justice, itself contemplates that there may be situations which warrant or permit the non-applicability of the principles underlying Article 311(2) of the Constitution. Reference may be made to the second proviso to Article 311 of the Constitution. The Supreme Court in **Union of India vs Tulsiram Patel AIR 1985 SC 1416 = (1985)3 SCC 398** had in terms of Art 311 ruled that not only, can the principles of natural justice be modified but in exceptional cases they can even be excluded.

14. The Rule 8(2) enables the authority to exercise power under Rule 8(1)(b) upon conviction of serious crime in the light of the Judgment of the criminal court. While doing so, it must consider whether

184 47

that purpose it will have to peruse the judgment of the criminal court and consider all the facts and circumstances of the case. This, however, has to be done by it ex parte and by itself and without hearing the concerned pensioner reason of the exclusionary effect of the starting words of Rule 8(3) upon exercise of powers under Rule 8(2) of the 1976 Rules.

15. In view of the law laid down by the Supreme Court in the case of **Tulsiram** (supra), which is fully applicable to the present case as well, the authority must, however, bear in mind that a conviction on a criminal charge does not automatically entail withdrawal or withholding of pension. This can be done in the light of the judgment of the Court relating to such conviction. No direction for taking action in the judgment of the criminal Court is necessary or required for taking action under Rule 8(2) of the Rules of 1976. This authoritative judgment of the Supreme Court was completely overlooked by the learned Single Bench while

Mishra(supra) wrongly did not apply the decision of **Tulsi Ram Patel** (supra) to the Rules of 1976. On the other hand the earlier Full Bench in **Laxmi Narayan Hayaran v. State of M.P.** reported in 2004(4) MPLJ 555 after considering the relevant case law including **Tulsi Ram Patel** (supra), correctly held that no prior hearing is required before passing an order under Rule 8(2) of 1976 Rules consequent upon conviction.

16. The upshot of the whole discussion is that the decision of the Single Bench as well as the Full Bench in **Ram Sewak v. State of M.P.**(supra) does not lay down the correct law, while the earlier Full Bench decision in **Laxmi Narayan Hayaran v. State of M.P.** (supra) lays down the correct law.

17. The answer to the questions referred to this Larger Bench is given accordingly by clearly stating that:-

(i) The principles of natural justice are specifically and expressly excluded and have no application to the cases falling under Rule 8(2) of 1976 Rules

pensioner under Rule 8(2) of the Rules of 1976, no notice is required to be issued to the pensioner nor can he insists upon prior opportunity of representation on the strength of the principles of Natural Justice.

(ii) The decision of the Full Bench in the case of **Ram Sewak Mishra** (supra) and the decision in the case of **Dau Ram Maheshwar** (supra) are hereby over-ruled.

(iii) It is held that the authority is not required to issue notice or afford prior opportunity of representation before passing the order under Rule 8(2) of the Pension Rules of 1976, in respect of a pensioner who has been convicted in the criminal cases. However, the power of the authority to take action under the Rules would be subject to the guidelines as stated by the Supreme Court in the case of **Tulsiram Patel** (supra) and reiterated by this Bench in the preceding paragraphs of this judgment.

as per Rules and Roster, for further orders.

(S.K.Seth) Chief Justice

(R.S.Jha) Judge

(Smt. Nandita Dubey) Judge

(Rajeev Kumar Dubey) Judge

(Sanjay Dwivedi) Judge

rao

Digitally signed by SATYA SAI RAO
Date: 2019.05.15 15:18:42 +05'30'

(38) (188)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 भोपाल,दिनांक 23/10/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबधी दिशा–निर्देश।

राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट अपील क्रमांक 1812/2019 में दिनांक 06/01/2020 को पारित आदेश के अनुक्रम में न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें राज्य शासन पक्षकार है, नियुक्त किए गए सभी प्रभारी अधिकारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निर्देशों को समाहित करते हुए निम्नानुसार आचरण संहिता (**Code of Conduct**) निर्धारित करता है:–

1. प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जानकारी/ तैयारी के पश्चात् ही राज्य के अधिवक्ता के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए तथा रिटर्न/जवाब/अंतरिम आवेदन आदि तैयार कर रहे राज्य के अधिवक्ता को जानकारी देते समय पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।

2. समस्त प्रभारी अधिकारी, राज्य के अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट किए गए न्यायालय प्रकरणों का मेहनत से और नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की पूर्ण प्रगति के बारे में सतर्क और सचेत रहें।

3. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश की प्रतियाँ होंगी।

4. न्यायालय की कार्यवाही में केवल प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने की अनुमति होगी। प्रभारी अधिकारी नियुक्त न होने पर जब भी आवश्यक हो कोई अन्य अधिकारी उपस्थित हो सकेगा जो राजपत्रित श्रेणी से निम्न स्तर का न हो।

निरन्तर.........2

5. समस्त प्रभारी अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान औपचारिक परिधान पहनेंगें।

6. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के संबंध में सुसंगत सूचनाओं एवं दस्तावेजों से अच्छी तरह से सुसज्जित हो यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय रखेगा।

7. महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचने के पूर्व, प्रकरण का प्रभारी अधिकारी, विभाग के नोडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी से संपर्क करेगा, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा तथा महाधिवक्ता कार्यालय से फाइल चिन्हित कराने के पूर्व प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात करेगा।

8. प्रभारी अधिकारी, उस विधि अधिकारी से जिसे फाईल चिन्हित की गई है, उसी दिन संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/ अपील/ संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाइल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

9. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय छोड़ने के पश्चात् अपनी अभिरक्षा में अनावश्यक रूप से महाधिवक्ता कार्यालय की फाइल नहीं रखेगा।

10. प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के बारे में विधिक प्रकोष्ठ/सक्षम विभागीय प्राधिकारी से तत्काल संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. प्रभारी अधिकारी को विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए सीधी पहुँच होगी कि प्रकरणों के तेजी से निपटाने को सुगम बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को सूचना/दस्तावेजों के प्रसारण में अनावश्यक देरी न हो।

12. प्रभारी अधिकारी मुकदमें के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। वह नियमित रूप से उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग) करेगा और मासिक रूप से संबंधित विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी को इस संबंध में प्रास्थिति प्रतिवेदन भेजेगा।

13. यह सुनिश्चित करने का प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्रकरण में न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद किया गया है।

निरन्तर........3

14. प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लेखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।

15. किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित किए जाने की दशा में, आदेश की प्रमाणित/प्रमाणिक प्रति के साथ आवश्यक मत लेने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से शीघ्र ही संपर्क करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी और वह उक्त मत के अनुसार परिसीमा के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा।

16. प्रभारी अधिकारी को उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में किसी चूक को कर्त्तव्य पालन में लापरवाही/कदाचार माना जाएगा और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

2/ कृपया उक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएं।

(मनीषा सेंतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 भोपाल,दिनांक 23/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड,,मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
13. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
15. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
16. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/ इन्दौर/ ग्वालियर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल ।

(मनीषा सेतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(29) (192)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी 03–3 /2020/3/1 भोपाल, 15 दिसम्बर, 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय :– मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक एस.3419/2020 अनिल भारद्वाज विरूद्ध म.प्र.शासन में सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश बावत।

मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक एस.3419/2020 अनिल भारद्वाज विरूद्ध म.प्र.शासन में सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 का अवलोकन हो। उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यदि आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण प्रचलन में हो और बाद में दोष मुक्त किया गया हो तो दोषमुक्त होने से आवेदक पात्र नहीं माना जा सकता है।

विभिन्न न्यायालयों में उपरोक्त प्रकृति के प्रचलित लंबित प्रकरणों में इस दृष्टांत को पक्ष समर्थन हेतु माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

संलग्नः– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति

(डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक सी 03– 3 /202 0/1/3 भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. उप सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,म.प्र.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
15. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. प्रमुख सचिव/सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. अवर सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/ पुस्तकालय
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
20. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO(S).3419 of 2020
(Arising out of SLP(C)No.10255 of 2020)

ANIL BHARDWAJ APPELLANT(S)

VERSUS

THE HON'BLE HIGH COURT OF
MADHYA PRADESH & ORS. RESPONDENT(S)

J U D G M E N T

ASHOK BHUSHAN, J.

Leave granted.

2. This appeal has been filed questioning the Division Bench judgment dated 06.01.2020 of the High Court of Madhya Pradesh dismissing the writ petition filed by the appellant. The appellant in the writ petition has prayed for quashing the orders dated 14.09.2018, [illegible].07.2018 and 21.09.2019 by which appellant has been

held not suitable for being appointed to the post of District Judge (Entry Level).

3. The brief facts of the case are:

The High Court of Madhya Pradesh issued an advertisement dated 09.03.2017 inviting applications for recruitment in the post of District Judge(Entry Level) in the cadre of Higher Judicial Service by Direct Recruitment from amongst the eligible Advocates. In pursuance to the advertisement, the appellant submitted online application form. The appellant after being declared successful in the Main Examination was called for interview. The provisional select and waiting list was published in which the name of the appellant was included at Serial No.13 in the category of unreserved. The appellant received a communication on 06.04.2018 from the Law and Legislative Department informing that he has been selected for the post of District Judge (Entry Level). He was asked to appear before the Medical Board for the health tests. On 02.07.2018 the appellant was informed that in his

attestation form FIR No.852/2014 under Section 498/406/34 IPC is shown and the copy of the same was asked for. On 14.09.2018 order was issued by the Principal Secretary, Madhya Pradesh, Law and Legislative Department declaring the appellant ineligible and directing for deletion the name of the appellant from the select list. The Government also issued a Gazette notification deleting the name of the appellant from the Merit No.13 of the main select list.

4. The appellant filed a Writ Petition No.27434 of 2018 before the High Court challenging the order dated 14.09.2018 and the Gazette notification dated 21.09.2018. On application submitted under the Right to Information Act, the appellant was provided extract of the Minutes of the Joint Meeting of Administrative Committee (Higher Judicial Service) and Examination-cum-Selection and Appointment Committee dated 18.07.2018 by which proceedings the appellant was not considered suitable for being appointed to the post of District Judge (Entry Level). On the basis of a

complaint by the wife of the appellant, a criminal case was registered and vide judgment dated 18.09.2019 the appellant was acquitted of the charge framed against him.

5. The appellant filed an application for amendment of the writ petition to bring on record the order of the acquittal and other events occurred during the pendency of the writ petition. The appellant was permitted to withdraw his earlier writ petition with liberty to file a fresh writ petition. Writ Petition No.27779 of 2019 was filed by the appellant incorporating subsequent events, facts and acquittal order which writ petition has been dismissed by the impugned judgment dated 06.01.2020 by the High Court. Aggrieved by the impugned judgment, the appellant has come up in this appeal.

6. We have heard Shri R. Venkataramani, learned senior counsel for the appellant.

7. Learned senior counsel for the appellant submits that the appellant in his online application form has disclosed about the lodging of FIR No.852/2014 under

Section 498A/406/34 IPC. He submits that appellant having disclosed the lodging of FIR against him has not concealed any fact before the High Court and he having been selected on merit was entitled to be appointed. Shri Venkataramani submits that on the subsequent acquittal of the appellant on 18.09.2019 his case for appointment was to be reconsidered by the High Court and the High Court committed an error in not considering the appellant for appointment. The candidature of the appellant could not have been cancelled merely on the ground of pendency of criminal case. The appellant could not have been deprived of the employment after acquittal. There was no other material on record to indicate that antecedent or conduct of the appellant was not upto the mark. The High Court ought to have sent the matter back before the Higher Judicial Service and Examination-cum-Selection Committee for reconsideration.

8. Learned counsel for the appellant has referred to the judgments of this Court which have been relied by

the High Court in the impugned judgment. Learned counsel for appellant has also placed reliance on the judgment of this Court in **Mohammed Imran vs. State of Maharashtra and others (C.A.No.10571 of 2018) decided on 12.10.2018.** He submits that the judgment of **Mohammed Imran** was also a case of a judicial officer who was directed by this Court to be given appointment.

9. We have considered the submissions of the learned counsel for the parties and perused the records.

10. The present is not a case where the name of the appellant was deleted in the select list on the ground of any concealment of criminal case against him. The appellant has brought on the record the proceedings of Examination-cum-Selection Committee dated 18.07.2018. At Item No.2 of the Agenda the Committee recorded the following decision:

> "**ITEM NO.02.** Consideration on the matter relates to Character Verification Reports of selected 13 candidates of MPHJS (District Judge-Entry Level) (Direct from Bar) Exam-2016 & 2017, received from Law Department, Bhopal for

determination of their eligibility for the said post.

1. **Shri Anil Bhardwaj:-**

Attestation Form submitted Shri Anil Bhardwaj and police verification report submitted by Deputy Commissioner of Police, Special Branch, New Delhi, goes to show that FIR 852/2014 under Section 498A/406/34 of IPC has been registered against Shri Anil Bhardwaj on the basis of complaint filed by Smt. Pooja wife of Shri Anil Bhardwaj.

After due consideration resolved that a case against Shri Anil Bhardwaj under Section 498A, 406-34 IPC is still pending before Rohini Court, New Delhi. Therefore, he is not considered suitable for being appointed to the post of District Judge (Entry Level)."

10. The FIR against the appellant was lodged by his wife under Section 498A and 406 IPC in the year 2014 on the basis of which a charge-sheet was submitted in the Court on 15.07.2017 under Section 498A and 406 IPC. The appellant has disclosed lodging of the FIR against him in his online application form. The name of the appellant was included in the select list which was forwarded to the State. The State after character verification submitted a report which report was

considered on 18.07.2018 by the Administrative Committee (Higher Judicial Service) and Examination-cum-Selection and Appointment Committee and a resolution was taken that due to pendency of the case under Section 498A, 406-34 IPC on the basis of complaint filed by the wife, Smt. Pooja, the appellant is not considered suitable for being appointed to the post of District Judge.

11. Before the High Court, the decision of the Committee dated 18.07.2018 as well as the order of the State dated 14.09.2018 for deleting the name of the appellant was challenged in the writ petition. The main issue to be considered was as to whether resolution dated 18.07.2018 suffered from error which requires judicial review by the High Court in exercise of jurisdiction under Article 226. The submission which has been pressed by the counsel for the appellant is that appellant's case was required to be reconsidered in view of his subsequent acquittal on 18.09.2019.

12. The recruitment to the Judicial Service is governed by the provisions of Madhya Pradesh Uchchatar Nyayik Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1994. This Court issued direction to all States to fill up the vacancies in subordinate Courts in a time schedule. The direction was issued by this Court in **Malik Mazhar Sultan (3) and another vs. Uttar Pradesh Public Service Commission and others, 2008(17) SCC 703**. The selection process for filling up the post of District Judge has to be completed by all the High Courts as per the time schedule fixed by this Court. After declaration of the merit list the candidates have to be given appointments in time bound manner so that they may join the respective posts. There is no dispute that on the date when the Committee declared the appellant unsuitable, criminal case against him under Section 498A and 406 IPC was pending which was registered on a complaint filed by the appellant's wife, Smt. Pooja. The mere inclusion in the select list does not give an indefeasible right to a candidate. The employer has

right to refuse appointment to the candidate included in the select list on any valid ground. The persons who occupy Judicial Service of the State are persons who are expected to have impeccable character and conduct. It is not disputed that the criminal case under Section 498A and 406 IPC was pending at the time when the appellant applied for the recruitment, when he appeared for the interview and when the result was declared. The character verification report was received from the State where pendency of the criminal case was mentioned which was the reason for the Committee to declare the appellant unsuitable. The submission which needs to be considered is that whether in view of the subsequent acquittal of the appellant, his case was required to be reconsidered and he was entitled to be appointed.

13. This Court in **Commissioner of Police, New Delhi and another vs. Mehar Singh, (2013) 7 SCC 685,** while considering a case of antecedents verification for

appointment into Delhi Police Service made the following observation in paragraph 35:

> "35. The police force is a disciplined force. It shoulders the great responsibility of maintaining law and order and public order in the society. People repose great faith and confidence in it. It must be worthy of that confidence. A candidate wishing to join the police force must be a person of utmost rectitude. He must have impeccable character and integrity. A person having criminal antecedents will not fit in this category. Even if he is acquitted or discharged in the criminal case, that acquittal or discharge order will have to be examined to see whether he has been completely exonerated in the case because even a possibility of his taking to the life of crimes poses a threat to the discipline of the police force.........."

14. The observation was made by this Court in the above case that a candidate wishing to join the police force must be a person having impeccable character and integrity. The above observations apply with greater force to the Judicial Service. This Court further observed that even in the case of acquittal, it has to be examined as to whether the person was completely exonerated in the case or not. In the present case the acquittal having taken place after the close of

recruitment process, there was no question of examining the acquittal order by the High Court at the time of finalizing the selection process.

15. Learned counsel for the appellant has referred to the judgment of this Court in **Joginder Singh vs. Union Territory of Chandigarh and others, (2015) 2 SCC 377,** which was a case whether the appellant was acquitted by the trial court for a case under Section 148/149/323/325/307 IPC. In the above case acquittal took place even before the appellant was called for the interview/medical examination. This fact was recorded in paragraph 24 of the judgment in the following words:

> "**24.** However, in the present case, we have observed that the appellant was involved in a family feud and the FIR came to be lodged against him on 14-4-1998, after he had applied for the post of Constable. Further, he had been acquitted on 4-10-1999 i.e. much before he was called for the interview/medical examination/written test……"

16. The above case is clearly distinguishable and does not help the appellant.

17. A three-Judge Bench of this Court in **Avtar Singh vs. Union of India and others, (2016) 8 SCC 471**, had occasion to examine different aspects of verification form after selection including the question of having criminal antecedents and pending of criminal case. This Court laid down that in the event criminal case is pending and incumbent has not been acquitted employer may well be justified in not appointing such an incumbent. In paragraph 32 following has been laid down:

> "**32**. No doubt about it that once verification form requires certain information to be furnished, declarant is duty-bound to furnish it correctly and any suppression of material facts or submitting false information, may by itself lead to termination of his services or cancellation of candidature in an appropriate case. However, in a criminal case incumbent has not been acquitted and case is pending trial, employer may well be justified in not appointing such an incumbent or in terminating the services as conviction ultimately may render him unsuitable for job and employer is not supposed to wait till outcome of criminal case. In such a case non-disclosure or submitting false information would assume significance and that by itself

may be ground for employer to cancel candidature or to terminate services."

18. Even in a case where candidates have been acquitted in criminal case, it was held that the decision of the Screening Committee being not actuated by mala fide regarding suitability of the candidate is to be respected. This Court in **Union Territory, Chandigarh Administration and others vs. Pradeep Kumar and another, (2018) 1 SCC 797**, laid down following in paragraphs 13 and 17:

> "**13.** It is thus well settled that acquittal in a criminal case does not automatically entitle him for appointment to the post. Still it is open to the employer to consider the antecedents and examine whether he is suitable for appointment to the post. From the observations of this Court in *Mehar Singh*, 2013 (7) SCC 685 and *Parvez Khan*, 2015 (2) SCC 591 cases, it is clear that a candidate to be recruited to the police service must be of impeccable character and integrity. A person having criminal antecedents will not fit in this category. Even if he is acquitted or discharged, it cannot be presumed that he was honourably acquitted/completely exonerated. The decision of the Screening Committee must be taken as final unless it is shown to be mala fide. The Screening Committee also must be alive to the importance of the trust reposed in

it and must examine the candidate with utmost character.

17. In a catena of judgments, the importance of integrity and high standard of conduct in police force has been emphasised. As held in *Mehar Singh case*[5], the decision of the Screening Committee must be taken as final unless it is mala fide. In the case in hand, there is nothing to suggest that the decision of the Screening Committee is mala fide. The decision of the Screening Committee that the respondents are not suitable for being appointed to the post of Constable does not call for interference. The Tribunal and the High Court, in our view, erred in setting aside the decision of the Screening Committee and the impugned judgment is liable to be set aside."

19. Now, we may notice the judgment of **Mohammed Imran (supra)** which has been heavily relied by the learned counsel for the appellant. In the above case the appellant was selected for Judicial Service whose selection was cancelled on 04.06.2010 due to the character verification report of the Police. Writ petition was dismissed by the High Court. It was contended before this court that the appellant was acquitted of the charge under Sections 363, 366, 34 IPC on 28.10.2004 that is much before he cleared the

examination for appointment in the year 2009. The appellant disclosed his prosecution and acquittal by the Sessions Court. This Court noticed the aforesaid fact in paragraph 9 of the judgment in the following words:

> "9. It is an undisputed fact that one Shri Sudhir Gulabrao Barde, who had been acquitted on 24.11.2009 in Case No.3022 of 2007 under Sections 294, 504, 34 IPC, has been appointed……"

20. This Court held that report received reveals that except for the criminal case, in which he had already been acquitted, the appellant has a clean record and there is no adverse material against him to deny him the fruits of his academic labour. This Court found decision rejecting the candidature of the appellant as untenable by making following observation in paragraph 11:

> "11. In the entirety of the facts and circumstances of the case, we are of the considered opinion that the consideration of the candidature of the appellant and its rejection are afflicted by a myopic vision, blurred by the spectacle of what has been described as moral turpitude, reflecting

inadequate appreciation and application of facts also, as justice may demand."

21. There can be no dispute that in event it is found that decision by which the candidature of a candidate is rejected is arbitrary or actuated by malafide such decision can be interfered by the Constitutional Courts. We have already noticed the judgment of this Court in **Union Territory, Chandigarh Administration and others vs. Pradeep Kumar and another (supra)** that the decision of the Screening Committee must be final unless it is mala fide.

22. There can be no dispute to the above preposition. But there can be other valid reasons for not sustaining the decision of Screening Committee/ Selection Committee apart from the ground of mala fide. Any arbitrary decision taken by the Selection Committee can very well be interfered by the Constitutional Courts in exercise of Judicial Review Jurisdiction.

23. Reverting to the facts of the present case, the decision of Examination-cum-Section and Appointment Committee for holding the appellant unsuitable was based on the relevant consideration, i.e., a criminal case against the appellant under Section 498A/406/34 IPC was pending consideration which was registered on a complaint filed by the wife of the appellant. Such decision of the Committee was well within the jurisdiction and power of the Committee and cannot be said to be unsustainable. The mere fact that subsequently after more than a year when the person whose candidature has been cancelled has been acquitted cannot be a ground to turn the clock backward.

24. There being no infirmity in the decision dated 18.07.2018 of the Committee declaring the appellant unsuitable for the post and consequential decision taken by the State to delete the name of the appellant, the High Court did not commit any error in dismissing the writ petition. The fact that subsequently the appellant was acquitted in the criminal case did not

furnish sufficient ground for reconsidering the appellant for appointment on the post.

25. One more submission advanced by learned counsel for the petitioner needs also to be considered. The petitioner's contention is that the decision declaring the petitioner unsuitable on the ground of pendency of criminal case under Section 498A, 406 IPC was contrary to the guidelines issued by the Government of Madhya Pradesh for character verification dated 05.06.2003. He submits that as per paragraph 6(viii) of the guidelines on the acquittal on merit of the case by the Court, the candidate will be eligible for Government service. He submits that the above clause of the Government Order has been breached in declaring the appellant unsuitable.

26. The guidelines dated 05.06.2003 has been issued by Government of Madhya Pradesh on the subject "regarding issuing of new guidelines for character verification." Paragraph 6 which has been relied by the counsel for

the appellant is regarding column 12 of the Attestation form. It is useful to extract paragraph 6 and clause (viii) which are as follows: -

> "6. The Column 12 of the attestation form filled for character verification by selected candidates for government service, criminal background, judicial case and the information about acquittal or conviction in it, willfully or erroneously or ignorantly kept vacant subject to qualification for appointment in government service taking into consideration the policy as per rules by the state government with immediate effect decisions have been taken.
>
> (i)......... ....
>
> ....
>
> (viii) On the acquittal on merit of the case by the Hon'ble Court, the candidate will be eligible for government service."

27. Clause (viii) on which the reliance is placed contemplates that the candidate who has been acquitted on merit by the Court will be eligible for the Government service. The aforesaid contemplation relates to at the time of character verification. Thus, at the time of character verification, if a candidate is found to be acquitted on merits by the Court, the candidate shall be treated to be eligible for Government Service.

The above clause (viii) as quoted above cannot come to the rescue of the appellant who at the time of character verification or at the time of consideration of the case of the appellant by the committee on 18.07.2018 had not been acquitted. Had the appellant in column 12 had mentioned about the acquittal or at the time of character verification it was found that the candidate has been acquitted on merit by the Court, Clause 6(viii) would have been attracted but in the present case the said clause is not attracted since at the time of character verification the appellant had not been acquitted and he was acquitted after more than a year from rejection of his candidature.

28. Learned counsel for the appellant lastly has contended that due to deletion of the name of appellant from select list a stigma is attached to him, for removal of which this Court may issue notice in this SLP. As noted above, the appellant having already been acquitted by the judgment dated 18.09.2019 stigma of criminal case has already washed out and the criminal

case having resulted in acquittal no stigma is attached to the appellant's name on the above ground. The apprehension of the learned counsel for the appellant that a stigma shall continue with the name of the appellant is misconceived, stigma, if any, is already over by acquittal.

29. We, thus, are of the view that the High Court did not commit any error in dismissing the writ petition. The appellant was not entitled for any relief in the writ petition. In the result, while dismissing this appeal we observe that stigma, if any, of the criminal case lodged against appellant under Section 498A/406/34 IPC is washed out due to the acquittal of the appellant vide judgment dated 18.09.2019.

........................J.
[ASHOK BHUSHAN]

........................J.
[M.R. SHAH]

NEW DELHI;
OCTOBER 13, 2020.

(40) (216)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 5-3/2022/1/8 भोपाल, दिनांक ०४|४|२०२२

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरणों में नोटिस प्राप्त करने के संबंध में।

....

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों को अवमानना प्रकरणों के नोटिस जारी किए जाते हैं।

2/ कुछ मामलों में अधिकारियों के स्टाफ में पदस्थ लिपिकीय कर्मचारियों अथवा निज सहायक द्वारा असंगत कारणों से या इस आधार पर अवमानना प्रकरण के नोटिस को प्राप्त करने से मना किया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी अब वहां पदस्थ नहीं है या उनका स्थानान्तरण हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही पर आपति व्यक्त की गई है। इस प्रकार नोटिस प्राप्त करने से इनकार करने के कारण कुछ प्रकरणों में माननीय न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती/ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं।

3/ इस संबंध में उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अवमानना नोटिस में उल्लेखित संबंधित अधिकारी के केवल स्थानान्तरण हो जाने मात्र से, राज्य अथवा उसके बाद उस पद पर पदस्थ हुए अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन के दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं। यदि किसी अधिकारी का ऐसा मत है कि पारित आदेश के पालन का दायित्व उससे अपेक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उसके द्वारा अवमानना नोटिस को प्राप्त करने से मना नहीं किया जाएगा बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवमानना प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निरन्तर.........2

217

4/ अतः निर्देशित किया जाता है कि, किसी भी अधिकारी द्वारा उनके नाम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना नोटिस प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाए एवं नोटिस जिस अधिकारी के नाम से है, उसके द्वारा या अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाए। तदोपरांत प्रतिवादी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जावे।

5/ कृपया इन निर्देशों से आपके सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए, कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(विनोद कुमार)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-3/2022/1/8 भोपाल, दिनांक ०८/४/२०२२

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19 संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(218)

(41)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1911 /981115/2022/1/8 भोपाल, दिनांक 25/11/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– रिट अपील प्रकरणों की समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने बाबत्।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन की रिट अपील प्रकरणों पर समय पर कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के ऊपर शास्ति अधिरोपित की जा रही है।

2/ इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उल्लेख किया है कि राज्य शासन के विभागों की रिट अपील दायर करने में विलम्ब होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की है।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की रिट अपील के प्रकरणों को समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। तदोपरांत प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जावे।

4/ कृपया इन निर्देशों से आपके सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। विलम्ब की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(219)

पृ. कमांक 1912 / 981115 / 2022 / 1 / 8 भोपाल, दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर / इन्दौर।
4 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर / इन्दौर।
19 संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक- F-3/1/2/0010/2023-GAD-8-01 भोपाल दिनांक 27.04.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों संबंधी निर्देश।

***

राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक WP 24408/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारियों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है -

1. प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् आवश्यक तैयारी के साथ राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए।
2. रिटर्न/ जवाब / अंतरिम आवेदन आदि तैयार कर रहे राज्य के अधिवक्ता को आवश्यक समस्त जानकारी दी जावे।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, राज्य के अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट न्यायालय प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की प्रगति के बारे में सचेत रहें।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश की प्रतियां होंगी।
5. न्यायालय की कार्यवाही में सामान्यतः केवल प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने की अनुमति होगी। अन्य अधिकारी उपस्थित हो सकेगा जो राजपत्रित श्रेणी से निम्न स्तर का न हो।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान औपचारिक परिधान पहनेंगे।

निरंतर....2

8. महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचने के पूर्व प्रकरण का प्रभारी अधिकारी, विभाग के नोडल अधिकारी / सक्षम अधिकारी से संपर्क करे, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा।

9. प्रभारी अधिकारी, उस विधि अधिकारी से जिसे फाईल चिन्हित की गई है, संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/अपील/ संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाइल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

10. प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशो के संबंध में सक्षम विभागीय प्राधिकारी से आवश्यक संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. प्रभारी अधिकारी मुकदमे के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

12. प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद प्रस्तुत करें।

13. प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लेखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण / सेवा निवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख / सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।

14. प्रभारी अधिकारी किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित होने की दशा में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसके विरूद्ध आवश्यक अपील करने के संबंध में अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त करेगा। तदोपरान्त वह विभाग के सक्षम अधिकारी को इसकी सूचना देगा।

2/ कृपया उक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएं।

27/4/23

(विनोद कुमार)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर...3

पृष्ठा. क्रमांक- F-3/1/2/0010/2023-GAD-8-01 भोपाल दिनांक 27.04.2023

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
14. सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
16. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
17. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर।
18. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
19. सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।

27/4/2023

(शैलबाला मार्टिन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(43) (223)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1169 GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 01/07/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से करने हेतु संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में।

राज्य शासन के विरूद्ध दायर किए जाने वाले कई न्यायालयीन प्रकरणों में शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया जाता है। इन प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय से चाहा गया अनुतोष (Relief) एवं याचिका की मुख्य विषय वस्तु प्रायः किसी एक विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित होती है परन्तु अन्य विभाग/कार्यालय भी पक्षकार होते हैं। नीति, नियम एवं वित्तीय विषयों पर दायर अधिकांश याचिकाओ में संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया जाता है।

SE(LAW) 4 E-in... 07/10/24

2/ उक्त स्थिति में न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

(क) याचिका का मुख्य विषय जिस विभाग/कार्यालय से संबंधित है एवं जिसके विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है उस विभाग/कार्यालय द्वारा प्रथमतः प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए एवं पक्ष समर्थन हेतु आवश्यक टीप/विभागीय अभिलेखों की प्रतियाँ प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

(ख) याचिका में यदि अन्य प्रतिवादी विभागों/कार्यालयों से संबंधित कोई बिन्दु हो जिनकी जानकारी जवाबदावे में शामिल करना आवश्यक हो तब मुख्य विभाग द्वारा अन्य प्रतिवादी विभागों/कार्यालयों से संबंधित बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर जवाबदावे में शामिल करवाई जाए।

आवक क्रमांक 2432 दिनांक 07-10-2024

(ग) जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग द्वारा जारी [illegible] नीति, नियम, निर्देश के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर मुख्य विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वयपूर्वक मार्गदर्शन/अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। [illegible] बिन्दु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग से मार्गदर्शन/अभिमत ले कर तत्परतापूर्वक जवाब प्रस्तुत किया जाए।

निरन्तर.....2

224

3/ अतः अनुरोध है कि सभी विभाग/कार्यालय, न्यायालयीन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें एवं अन्य विभागों/कार्यालयों द्वारा वांछित टीप/अभिलेख/जानकारी/अभिमत उन्हें अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से किया जा सके।

4/ कृपया इन निर्देशों से आपके सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पालन सुनिश्चित किया जावे।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक 1190 GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 01/7/2024

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।
20. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

44

225

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक - D-1580/2024/1/8 भोपाल,दिनांक 05-09-2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने में सतर्कता के संबंध में

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 22491/2024 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण शपथ पत्र को संज्ञान में लिया गया है।

2/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षा है कि प्रभारी अधिकारी एवं विशेषकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जवाबदावा/शपथ पत्र प्रस्तुत करने में पूर्ण सावधानी रखी जाए। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले जवाबदावे/शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का मिलान विभाग के अंतर्गत उपलब्ध मूल अभिलेखों से किया जाए। यह भी अपेक्षा है कि सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा सतर्कता पूर्वक त्रुटिरहित जवाबदावा/शपथ पत्र प्रस्तुत करके शासन के हितों का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए।

4/ न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

05/9/2024

(शैलबाला ए. मार्टिन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक D-1581/2024/1/8 भोपाल,दिनांक 05-09-2024

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।
20. अपर सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–7 (1) की ओर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु अग्रेषित।
21. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/ इन्दौर।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C-1

(45) (227)

Uploading
09/12/2024

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक F-3-1/2/0052/2024-GAD-6-01(GAD) भोपाल,दिनांक 05-12-2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों/आदेशों का त्वरित गति से निराकरण।

न्यायालयीन प्रकरणों में समय–सीमा के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं आदेशों के पालन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 29/10/2015, 20/03/2017, 19/09/2017 एवं 10/11/2017 का कृपया अवलोकन करें। उक्त निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं।

2/ उपरोक्त निर्देशों के बावजूद समय–समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने अथवा न्यायालयीन आदेशों के पालन में विलंब की स्थिति देखने में आती है।

3/ पुनः निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जैसे ही नोटिस/याचिका प्राप्त हो अथवा प्रकरण दायर होने की सूचना प्राप्त हो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा अतिशीघ्र की जाए।

3/ संबंधित प्रकरण के प्रभारी अधिकारी अविलम्ब प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं सुनवाई की आगामी तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा नियत तिथि से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करें।

4/ किसी भी प्रकरण में न्यायालयीन आदेश होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा सक्षम/वरिष्ठ अधिकारी को आदेश से तत्काल अवगत कराया जाए। आदेश के विरूद्ध अपील की जाना आवश्यक होने पर समय–सीमा के भीतर अपील का निर्णय लिया जाए ताकि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं हो।

निरंतर.........2

(228)

5/ सेवा निवृत्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति विशेष सहानुभूति एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनसे संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों तथा उनमें पारित आदेशों में नियमानुसार कार्यवाही कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए।

(संजय दुबे)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(16)

पृ. क्रमांक F-3-1/2/0052/2024-GAD-8-01(60) भोपाल,दिनांक 05-12-2024
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।
20. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।
21. अवर सचिव, म॰ प्र॰ शासन, सा॰ प्र॰ वि॰ (स्थापना-7.1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 2105/2260249/2024/1/8 भोपाल, दिनांक 05/12/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः– अवमानना प्रकरण दायर नहीं होने देने हेतु न्यायालयीन आदेशों पर कार्यवाही।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए जाने वाले एवं पूर्व से लंबित अवमानना प्रकरणों की संख्या में कमी लाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि कुछ अवमानना प्रकरण अब भी दायर किए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका/रिट अपील में पारित अंतिम आदेशों का समय–सीमा के भीतर पालन अथवा उनके विरूद्ध अपील करने की कार्यवाही करने में संबंधित प्रशासकीय विभागों/कार्यालयों द्वारा अपेक्षित तत्परता नहीं बरती जा रही है।

2/ अवमानना प्रकरण दायर होने पर शासकीय कार्य पर अनावश्यक बोझ तो बढ़ता ही है तथा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को अप्रिय स्थिति का सामना भी करना पड़ता है।

2/ सभी विभागों द्वारा रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों की निरन्तर समीक्षा करने पर अवमानना प्रकरण दायर होने की स्थिति से बचा जा सकता है।

4/ अतः निवेदन है कि आपके विभाग से संबंधित न्यायालयीन आदेशों के पालन अथवा आदेश का पालन संभव न होने पर उनके विरूद्ध की जाने वाली अपील के संबंध में समय–सीमा के भीतर कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें। जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी पक्षकार हैं उनमें भी न्यायालयीन आदेशों के पालन का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होता है। अतः ऐसे प्रकरणों में भी समय–सीमा के भीतर कार्यवाही करने का अनुरोध है।

निरन्तर.........2

(230)

4/ कृपया आपके विभाग के नोडल अधिकारियों को भी निर्देशित करें कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों पर सतर्क रहें तथा ऐसे आदेश विभाग प्रमुख/ सक्षम अधिकारी को अविलंब भेजें ताकि अवमानना प्रकरण दायर होने की स्थिति निर्मित न हो।

(संजय दुबे)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 2105 / 2260249 / 2024 / 1 / 8 भोपाल, दिनांक 05/12/2024
प्रतिलिपिः—

1. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग समस्त कक्ष मंत्रालय, भोपाल।

2. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/ग्वालियर/ इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

(47) (231)

विषय- माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत्।

यह अनुभव किया गया है कि न्यायालयों में प्रस्तुत याचिकाओं आदि में न्यायालय द्वारा कतिपय प्रकरणों में पारित आदेश प्रचलित शासकीय नियमों/निर्देशों के विपरीत रहते हैं। इसका मुख्य कारण संबंधित विभाग द्वारा पक्ष समर्थन में शिथिलता तथा सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कर पाना प्रतीत होता है। ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं, में अपेक्षित समन्वय न रह पाना भी एक कारण है।

2/ उपयुक्त विधिक कार्यवाही समय पर न होने के कारण उपर्युक्त **कंडिका-1** के स्वरूप के न्यायालयीन निर्णयों के पालन की अनिवार्यता होने की परिस्थिति निर्मित हो जाती है एवं ऐसे निर्णयों का दूरगामी प्रभाव राज्य की वित्त तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पड़ता है।

3/ माननीय न्यायालयों द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित प्रकरणों में सामान्यत: स्वयंपूर्ण सुस्पष्ट आदेश (Speaking order) पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्णयानुसार विभाग स्वयंपूर्ण एवं सुस्पष्ट आदेश शासन के प्रचलित नियमों/निर्देशों के अनुसार समय-सीमा में पारित करे, जिसमें संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा माननीय न्यायालय में उठाये गये विषय का (प्रचलित नियमों/निर्देशों के आधार पर) निराकरण हो सके। ऐसे प्रकरणों में अवमानना याचिका दायर होने पर भी विभाग द्वारा उक्तानुसार पारित किये गये आदेश को पक्ष समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष पूरी तार्किकता के साथ रखा जाना चाहिए।

4/ ऐसे प्रकरणों में जहां माननीय न्यायालयों द्वारा प्रचलित नियमों/निर्देशों के बिपरीत आदेश पारित कर दिये गये हैं, उन प्रकरणों में विधि अनुसार निर्धारित समयावधि में नियमों/निर्देशों की स्पष्ट व्याख्या करते हुये अपील आदि दायर की जानी चाहिये। सभी विभागों का यह दायित्व है कि प्रचलित नियमों/निर्देशों को माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावा/अपील याचिकाओं में तथ्यात्मकता एंव तार्किकता के साथ प्रस्तुत किया जाये।

क्रमश:...2

छत्तीस- २ सचिवालय ... का विभाग

विषय - माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत्। (232)

........पूर्व पृष्ठ से :-

5/ ऊपर वर्णित कार्यवाही करने के पश्चात भी अगर प्रकरणों में माननीय न्यायालयों के द्वारा प्रचलित नियमों/निर्देशों के विपरीत पारित आदेश के आधार पर वित्तीय लाभ देने की स्थिति निर्मित होती है तब प्रकरण विशेष के लिये वित्त विभाग की सहमति से स्पष्ट बोलता हुआ आदेश पारित किया जाना चाहिये जिसमें आदेश, माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पारित किये जाने एवं इसे पूर्व उदाहरण नहीं माने जाने का स्पष्ट उल्लेख हो।

6/ कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाने हेतु सर्व संबंधितों को भी निर्देशित करें।

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
14.01.2015

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव

22 JAN 2015

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 287 / 3697 / 2014 / 1 / 34 भोपाल, दिनांक 29/1/2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
म0प्र0 भोपाल।

विषय:– माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत्।

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदय से प्राप्त टीप दिनांक 14.01.2015 की छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की टीप मे उल्लेखित बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु संबधितों को निर्देशित करने के निर्देश दिये गये है।

तत्संबंध में टीप मे उल्लेखानुसार तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करें एवं उल्लेखित दिशा–निर्देश वेब साईट पर भी दर्ज करावें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(डॉ0 अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

SE(LAW)

AE(law)

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय

क्रमांक 322/मु.स./2015 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2015

प्रति

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला दण्डाधिकारी
समस्त पुलिस अधीक्षक (म.प्र.)

विषय:- उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में संसूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर ने यह संज्ञान लिया है कि उच्च न्यायालय में लंबित कतिपय न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त संसूचनाओं पर समय पर विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है, और न ही समय पर महाधिवक्ता कार्यालय को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। अतः सख्त निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का नियत दिनांक तक पालन सुनिश्चित किया जाये। यदि अपील करनी की जानी है, तो उस संबंध में भी कार्यवाही समय पर होनी चाहिए। प्रकरण दौरान पेशियों पर प्रभारी अधिकारी पूर्ण जानकारी सहित उपस्थित रहे, और पेशी तारीख के पूर्व महाधिवक्ता कार्यालय से लगातार संपर्क जारी रख कर समस्त संसूचनाओं संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए। विशेष रूपसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथपत्रों पर ध्यान दिया जावे, कि वे समय पर प्रस्तुत हों, इसमें किसी भी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

संबंधित विधिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त होने पर विभागाध्यक्ष या विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। प्रत्येक विभाग में विभागीय परिस्थितियों अनुसार (न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या, आदि) व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत समय-समय पर उच्च स्तर पर लम्बित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जावे। महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की समय-समय पर समीक्षा विभागीय प्रमुख सचिव स्वयं करें।

इस कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(अन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव

235

50

मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 5-4/2016/1/8 भोपाल, दिनांक 12/09/2016

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विलम्ब से एस.एल.पी. दायर करने के संबंध में।

——00——

समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायाल में रिट अपील अथवा एस.एल.पी. जारी करने के निर्देश जारी किये गये है। यह देखने में आया है कि जिला स्तर पर कलेक्टरों द्वारा समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। इस कारण से शासन के विरूद्ध निर्णय पारित होता है जिससे अपूर्णीय क्षति होती है।

2/ संबंधित जिला कलेक्टर से विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही में काफी समय लगता है। जिसके कारण शासन के अनेक प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय में समय बाधित (Time barred) हो जाते है और निर्णय/आदेश अंतिम हो जाने के कारण राज्य शासन को क्षति होती है। कतिपय प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र के अंतर्गत विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश जारी किये है।

3/ ऐसी स्थिति निर्मित होना उचित नहीं है। समय-सीमा में अपील/एस.एल.पी. प्रस्तुत न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किये जाने की स्थिति को शासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इसलिये भविष्य में जिला एवं सत्र न्यायालय /उच्च न्यायालय से शासन के विपरीत निर्णय होने की स्थिति में तत्काल संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं कलेक्टर माननीय न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति, शासकीय अभिभाषक/महाधिवक्ता कार्यालय का अभिमत संक्षेपिका एवं सुसंगत दस्तावेजो सहित 15 दिवस की समय सीमा में शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। विलम्ब के लिए संबंधित जिला कलेक्टर पूर्ण उत्तरदायी होगें।

4/ इस संबंध में मेरी ओर से दिनांक 12 जुलाई 2016 को भी अर्द्धशासकीय पत्र सभी विभाग प्रमुख/संभागायुक्त/जिला दण्डाधिकारीगण को जारी किया गया है और जिसमें विस्तार से इस हेतु निर्देश दिए गए है, जिसकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :- 12 जुलाई 2016 का पत्र।

7/9/16

(अॅन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव

(236)

(1)

(51)

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 242/मु.स./2016 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/
जिलाध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:– माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में अविलंब/विधिक–समयावधि में विशेष अनुमति याचिका/अपील आदि प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:– 1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन का परिपत्र क्र. एफ–11–22–94–9–एक, भोपाल, दिनांक 09 अगस्त, 1994.

2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का परिपत्र क्र. 180/पी.एस./लॉ/95, दिनांक 11 दिसंबर, 1995.

यह देखने में आया है कि शासन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/अपील आदि प्रस्तुत करने में निर्धारित विधिक–समयावधि का ध्यान नहीं रखा जाता है, और ऐसी विलंबित प्रस्तुति पर माननीय न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में कड़ा रूख अपना कर, कॉस्ट अधिरोपित कर, उक्त मामले को निरस्त कर दिया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष, शासन को अनेक बार अत्यंत अप्रिय स्थिति का सामना करने के साथ–साथ, गुण–दोषों पर न्याय से वंचित होना पड़ता है।

इस संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित परिपत्र की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, जिसका कड़ाई से पालन न होने की स्थिति चिंतापूर्ण है। भविष्य में ऐसी अप्रिय/हानिकर–स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/अपील/पुनरीक्षण आदि दायर किए जाने में अनावश्यक विलंब न किया जावे और कठोरतापूर्वक निर्धारित विधिक अवधि में ऐसे प्रकरणों को दायर करना सुनिश्चित किया जावे।

2...

सुलभ संदर्भ हेतु लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 115, 116, 131 एवं 133 अवलोकनीय है:–

115. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन,–

(क)	उस मृत्यु दण्डादेश की जो सेशन न्यायालय द्वारा या अपनी आरंभिक दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ।	तीस दिन	दण्डादेश की तारीख
(ख)	किसी अन्य दण्डादेश की या ऐसे आदेश की जो दोषमुक्ति का आदेश न हो–		
	(i) उच्च न्यायालय में	साठ दिन	दण्डादेश या आदेश की तारीख
	(ii) किसी अन्य न्यायालय में	तीस दिन	दण्डादेश या आदेश की तारीख

116. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन,–

(क)	किसी उच्च न्यायालय में, किसी डिक्री या आदेश की;	नब्बे दिन	डिक्री या आदेश की तारीख
(ख)	किसी अन्य न्यायालय में, किसी डिक्री या आदेश की	तीस दिन	डिक्री या आदेश की तारीख

131.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन पुनरीक्षण की उसकी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में।	नब्बे दिन	जिस डिक्री या आदेश या दण्डादेश का पुनरीक्षण ईप्सित हो, उसकी तारीख।

133. अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय में,–

(क)	उस मामले में, जिसमें मृत्यु दण्डादेश अन्तर्वलित हो;	साठ दिन	निर्णय, अंतिम आदेश या दण्डादेश की तारीख
(ख)	उस मामले में जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा अपील की इजाजत देने से इंकार किया गया था;	साठ दिन	इंकार करने के आदेश की तारीख
(ग)	किसी अन्य मामले में ।	नब्बे दिन	निर्णय या आदेश की तारीख

इसके अलावा, अपील/पुनरीक्षण/विशेष अनुमति याचिका के प्रस्ताव के संबंध में "म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विभागीय नियमावली" के अंतर्गत भी जो नियम बनाए गए हैं, वे निम्नानुसार हैं :-

दाण्डिक प्रकरणों में उच्च न्यायालय हेतु परिसीमा काल-

नियम 111 (2)	दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील	अपील प्रस्ताव तीस दिन के भीतर
नियम 116	(विशेष पुलिस स्थापना के मामले में दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील)	अपील प्रस्ताव चार सप्ताह के भीतर
नियम 121	जेल अपील	अपील प्रस्ताव दो सप्ताह के भीतर
नियम 122 (3)	पुनरीक्षण प्रस्ताव	पुनरीक्षण प्रस्ताव चार सप्ताह के भीतर

दाण्डिक प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय हेतु परिसीमा काल-

नियम 128 (2) उच्च न्यायालयों के नियमों में संविधान के अनुच्छेद 132(1) या 134(1)(ग) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए कोई याचिका, निर्णय या अंतिम आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तावित है, मृत्युदण्ड के मामले में सात दिन के भीतर, अन्य मामले में 15 दिन के भीतर फाइल की जाएगी,

(3) जहां उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति से इन्कार कर दिया हो, तब उस दिनांक से 60 दिन के भीतर तथा अन्य मामलों में निर्णय या आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी।

सिविल वाद/सिविल अपील प्रकरणों में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रकरण दायर करने के लिए :-

संलग्न परिपत्र 160/पी.एस./लॉ/95, दिनांक 11 दिसंबर 1995 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अतः अपील/पुनरीक्षण/विशेष अनुमति याचिका हेतु प्रस्ताव भेजे जाने में एवं अनुमति पश्चात् अपील/पुनरीक्षण/विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने में निर्धारित विधिक अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। इस संबंध में, किसी भी प्रकार की असावधानी, उपेक्षा या त्रुटि के लिए, प्रकरण हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

12/7/16

(अन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव

लोक स्वा. यां. विभाग
पंजी क्र. 2115214
मध्यप्रदेश शासन दिनांक 24 JUN 2024

विषय : मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 11 जून, 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए-

1. स्वतंत्र भारत में जन्मे माननीय श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रि-परिषद् सदस्यों की ओर शुभकामना दी गई।

2. न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को आपस में समन्वय स्थापित कर न्यायालय में रखने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही- सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा समस्त विभाग)**

3. वर्षाकाल में कोई भी गौवंश सड़क पर विचरण न करे इस हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गौशालाओं की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही- नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग)**

(वीरा राणा)
मुख्य सचिव

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
वित्त विभाग
विधि और विधायी कार्य विभाग
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
समस्त विभाग

(53)

(240)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, प्रथम तल, वल्लभ भवन-3, भोपाल-462004
दूरभाष-0755-2708599 ईमेल-usphedbho@mp.gov.in

क्रमांक 2416 /आर-1205/2018/2/34 (155) भोपाल, दिनांक 11 JUL 2024

प्रति,

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल

विषय- मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 11/06/2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश।

संदर्भ- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की टीप क्रमांक-CS/Gen-co/39 भोपाल, दिनांक 21/06/2024

-0-

उपरोक्त विषयक मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 11/06/2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों की संदर्भित टीप द्वारा प्राप्त प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(शैलेष कुमार जैन)
अवर सचिव

CE-LAW
SE (A/M/P/D/CTE/YIP/TRG
/IS/COMP/LAW/AUDIT/MIS/WRC/
WSO) LSG/JDF/UDG/ATI

SE (Law)
EE NG-1, NG-2
EE (M&M)

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, भोपाल

विषय :

सचिवालय

C.S. MONIT
मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Monit 192 /2024
दिनांक 12/11/2024
समय-सीमा 27/11/2024

विषय:- माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बाबत।

मान. न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभाग स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नोटशीट मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल टीप दिनांक 14.01.2015 के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जारी किये गये उक्त निर्देश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

2/ म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये है:-

i. म.प्र. शासन, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-14/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2017
ii. म.प्र. शासन, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-04/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 जून, 2020
iii. म.प्र. शासन, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 2-1/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 नवम्बर 2021

3/ वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त कंडिका 2 में वर्णित परिपत्रों के द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभागों को सामान्यतः न्यायालयीन निर्णयों के अनुक्रम में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार गुण दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

4/ न्यायालयीन निर्णयों में ब्याज की राशि के भुगतान के संबंध में भी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 02 नवम्बर 2021 से प्रक्रिया निर्धारित करते हुये, प्रशासकीय विभाग को ही अधिकार प्रत्यायोजित हैं।

कृपया उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अनुराग जैन)
मुख्य सचिव

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव

....

विषय - माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बाबत् ।

यह अनुभव किया गया है कि न्यायालयों में प्रस्तुत याचिकाओं आदि में न्यायालय द्वारा कतिपय प्रकरणों में पारित आदेश प्रचलित शासकीय नियमों/निर्देशों के विपरीत रहते हैं । इसका मुख्य कारण संबंधित विभाग द्वारा पक्ष समर्थन में शिथिलता तथा सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कर पाना प्रतीत होता है । ऐसे प्रकरण जिनमें एक से अधिक विभाग सम्मिलित हैं, में अपेक्षित समन्वय न रह पाना भी एक कारण है ।

2/ उपर्युक्त विधिक कार्यवाही समय पर न होने के कारण उपर्युक्त कंडिका-1 के स्वरूप के न्यायालयीन निर्णयों के पालन की अनिवार्यता होने की परिस्थिति निर्मित हो जाती है एवं ऐसे निर्णयों का दूरगामी प्रभाव राज्य की वित्त तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पड़ता है ।

3/ माननीय न्यायालयों द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित प्रकरणों में समय-समय पर स्वयंपूर्ण सुस्पष्ट आदेश (Speaking order) पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं । ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्णयानुसार विभाग स्वयंपूर्ण एवं सुस्पष्ट आदेश शासन के प्रचलित नियमों/निर्देशों के अनुसार समयावधि में पारित करें, जिसमें संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा माननीय न्यायालय में उठाये गये विषयों का (प्रचलित नियमों/निर्देशों के आधार पर) निराकरण हो सके । ऐसे प्रकरणों में अवमानना याचिका दायर होने पर भी विभाग द्वारा उक्तानुसार पारित किये गये आदेश को पक्ष समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष पूरी तार्किकता के साथ रखा जाना चाहिए ।

4/ ऐसे प्रकरणों में जहाँ माननीय न्यायालयों द्वारा प्रचलित नियमों/निर्देशों के विपरीत आदेश पारित कर दिये गये हैं, उन प्रकरणों में विधि अनुसार निर्धारित समयावधि में नियमों/निर्देशों की स्पष्ट व्याख्या करते हुये अपील आदि दायर की जानी चाहिये । सभी विभागों का यह दायित्व है कि प्रचलित नियमों/निर्देशों को माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावा/अपील याचिकाओं में तथ्यात्मकता एवं तार्किकता के साथ प्रस्तुत किया जावे ।

क्रमश:...2

विषय - माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत् ।

........पूर्व पृष्ठ से :-

5/ ऊपर वर्णित कार्यवाही करने के पश्चात भी अगर प्रकरणों में माननीय न्यायालयों के द्वारा प्रचलित नियमों/निर्देशों के विपरीत पारित आदेश के आधार पर वित्तीय लाभ देने की स्थिति निर्मित होती है तब प्रकरण विशेष के लिये वित्त विभाग की सहमति से स्पष्ट बोलता हुआ आदेश पारित किया जाना चाहिये जिसमें आदेश, माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पारित किये जाने एवं इसे पूर्व उदाहरण नहीं माने जाने का स्पष्ट उल्लेख हो ।

6/ कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाने हेतु सर्व संबंधितों को भी निर्देशित करें ।

(अन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
14.01.2015

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव

(244)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 260/253/2015/इ/चार, भोपाल, दिनांक 2-2-15
प्रति,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह,आयुक्त कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल।
2. आयुक्त संस्थागत वित्त,मध्यप्रदेश,भोपाल।
3. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
4. संचालक,पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय, मध्यप्रदेश,भोपाल।
5. संचालक,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली,मध्य प्रदेश,भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम ए.बी.रोड इंदौर।
7. महाप्रबंधक,दी प्रॉविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड,कैप्टन 11 ए एडवर्ड विला प्रकाश पैथे मार्ग, कफ परेड,कोलाबा,मुम्बई-400055

विषय:-माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समय पर कार्यवाही करने बावत।

संदर्भ:- मुख्य सचिव कार्यालय की एकल टीप दिनांक 14.01.2015

---0---

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित टीप का अवलोकन कीजिए। मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त एकल टीप की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। प्रकरण के संदर्भ में दिए गये दिशा-निर्देशों का पालन कराये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

C:\Users\WIPRO\Desktop\pawan\DIF.doc\1

245

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 11-16 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 12 सितम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय बिंदुओं से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पक्ष समर्थन ।

—•—

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले अनेक राजस्व प्रकरणों में वित्तीय बिंदु भी विनिश्चय के लिये निहित होते हैं । माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में निहित वित्तीय बिंदु निम्न प्रकार के हो सकते हैं:-

(अ) वित्त विभाग द्वारा प्रशासित किसी अधिनियम, नियम की वैधानिकता अथवा व्याख्या से संबधित ।

(ब) वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी नीतिगत निर्णय की वैधानिकता अथवा व्याख्या से संबंधित ।

(स) वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी अधिनियम, नियम अथवा वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी नीतिगत निर्देश के अनुसार प्रकरण विशेष में शासन के किसी विभाग अथवा उसके कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को लाभ न दिया जाना ।

2/ उपर्युक्त "अ" तथा "ब" श्रेणी के न्यायिक प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा तथा वित्त विभाग के अनुमोदन से ही न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाएगा । "स" श्रेणी के प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत संबंधित अधिनियम, नियम अथवा शासन के नीतिगत निर्देश अनुसार दिये जाने की जिम्मेदारी पूर्णत: प्रशासकीय विभाग की होती है । अत: ऐसे प्रकरणों में यदि वित्त विभाग को पक्षकार बनाया जाता है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह आवेदन किया जाना चाहिये कि याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी विभाग का होने से वित्त विभाग को असंबद्ध पक्षकार मानकर प्रकरण से पृथक किया जाये । प्रकरण में निहित वैधानिक बिंदुओं पर प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अभिमत प्राप्त कर तदनुसार ही न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

246

3/ यदि संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा के अभिमत अनुसार संबंधित अधिनियम, नियम अथवा वित्त विभाग द्वारा जारी नीतिगत निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके द्वारा चाही गई राहत स्पष्ट रूप से देय है, तो उक्त राहत अविलम्ब प्रदान करते हुए न्यायालय को अवगत कराना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर उसके अविलम्ब क्रियान्वयन की कार्यवाही भी संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाना चाहिए । केवल ऐसे प्रकरणों में जिसमें न्यायालय द्वारा आदेशित राहत किसी अधिनियम, नियम के स्पष्ट प्रावधान के प्रथम दृष्टया विपरीत प्रतीत होती है तथा न्यायालय द्वारा की गई वैधानिक व्याख्या इस बारे में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा प्रसारित मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में न्यायालय निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने अथवा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथोचित निर्देश जारी करने की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित करने की सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक: एफ 11-14 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 12 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ।
3. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
4. अपर महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय इन्दौर/ग्वालियर ।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल /कृपया अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालकों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत करावें ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 15 11-4/2020 2913/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12-06-2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवकों के बकाया वसूली के संबंध में।

संदर्भ :-1. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11-2/1/2011/नियम/चार दिनांक 31 मई 2011
2. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 12-35/2014/नियम/चार दिनांक 09 जुलाई 2014
3. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11-2/2016/नियम/चार दिनांक 31 मार्च 2016
4. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11-2/8 नियम /चार भोपाल, दिनांक 18 जनवरी,2018

...

1. पृष्ठभूमि-

1.1 राज्य शासन के समक्ष में आया है कि शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियों के आदि के परिणामस्वरूप हुए अधिक भुगतानों की स्थिति ज्ञात हो जाने पर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अधिक भुगतान के तत्समय समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल शासन को आर्थिक क्षति होती है बल्कि कई अनावश्यक वाद भी उत्पन्न होते है।

2. अधिक भुगतान की वसूली का निर्धारण-

2.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 11527/2014 स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18-12-2014 के अनुक्रम में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क. 3 व 4 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये कि शासकीय सेवकों से बकाया वसूली को क्रियान्वित किये जाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित निर्णय को विचार में लिया जाए ।

2.2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरवर्णित याचिका में पारित, निर्णय दिनांक 18–12–2014 में निम्नांकित श्रेणी की परिधि में आने वाले शासकीय सेवायुक्तों/पेंशनर्स से वसूली की कार्यवाही को इस धारणा के आधार पर निषेधित किया गया है कि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि आदि के लिए शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं एवं सेवानिवृत्ति के समय अधिक भुगतान की वसूली से सेवानिवृत्ति उपरांत जीवनयापन में कठिनाई आ सकती है।

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class IV service (or Group 'c' and Group 'd' service)

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within on year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even through he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquidous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

2.3 उर्पयुक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3500/2006 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा विरूद्व जगदेव सिंह के न्यायिक प्रकरण में पैरा 3 में वर्णित सिविल अपील 11527/2014 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2014 का उपर्युक्त पैरा 2.2 में उदभूत स्थितियों के बिन्दु (ii) का निर्वचन करते हुए दिनांक 29–07–2016 को आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का पैरा 11 एवं 12 निम्नानुसार हैः–

11. The principle enunciated in proposition (ii) above cannot apply to a situation such as in the present case. In the present case, the officer to whom the payment was made in the first instance was clearly placed on notice that any payment found to have been made in excess would be required to be refunded. The officer furnished an undertaking while opting for the revised pay scale. He is bound by the undertaking.

12. For these reasons, the judgment of the High Court which set aside the action for recovery is unsustainable. Howere, we are of the view that the recovery should be made in reasonable instalments. We direct that the recovery be made in equated monthly instalments spread over a period of two years.

3. अधिक भुगतान की वसूली की प्रकिया :–

3.1 शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान की वसूली के संदर्भित निर्देशों को कियान्वित किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–07–2016 को भी समग्र रूप से विचार में लिया जाये। वसूली की स्थिति में अधिकतम दो वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों का निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की जावे, परन्तु मासिक किश्त निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जाए कि शासकीय सेवक से वसूली की मासिक किश्त उसके मासिक सकल वेतन की राशि के एक तिहाई से अधिक हो। ऐसी स्थिति में वसूली की अवधि को दो वर्षो से अधिक हो सकेगी।

3.2 शासकीय सेवक से वसूली का निर्धारण हो जाने उपरान्त पैरा 2 अनुसार की जाने वाली वसूली योग्य राशि में समय–समय पर सामान्य भविष्य निधि की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार साधारण ब्याज दर से ब्याज की राशि भी सम्मिलित की जाए। ब्याज की गणना दिनांक 31–5–2011 से आगे की अवधि के लिये की जाए। यह ब्याज दर, इस आदेश के जारी होने की तिथि के पश्चात जारी होने वाले आदेशों पर लागू होगी। अन्यथा रूप से पूर्व निर्णीत प्रकरणों को खोला नही जाएगा। शासकीय सेवक से वसूली की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी :–

3.2.1 शासन की समस्त वसूली योग्य राशि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

3.2.2 कार्यालय प्रमुख के लिये यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के तत्काल उपरान्त /पश्चात शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी हो परन्तु आदेश जारी करने में 07 दिवस से अधिक का विलंब नही होना सुनिश्चित किया जाए। शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन से निर्धारित किश्त अनुसार शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली नही हो जाती। शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उदेश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तो के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जा सकेगी।

3.2.3 बकाया की वसूली मात्र इस आधार पर स्थगित नहीं की जाये कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है। जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में स्पष्टतः वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली निर्धारित प्रकिया अनुसार जारी रहेगी।

3.2.4 शासकीय सेवक से बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरुद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शासन को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।

3.2.5 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें। ऐसे शासकीय सेवक जिनसे बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की सम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दे।

3.2.6 शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूल की जाएगी। शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली सेवा निवृत्त लाभों से की जाएगी।

3.2.7 उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होगें जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है। ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अंतर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही की जावेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

(251)

F 11-4/2020
पृष्ठा.क्रमांक ~~एफ-8-1/2015~~/नियम/चार भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. अध्यक्ष, कर्मचारी आयोग, बी–1, गोमतिका परिसर, भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
19. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
20. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
21. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
23. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

हस्ता./-
(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-432

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक F 2-1 /2021/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 2/11/2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश

विषय:- माननीय न्यायालय निर्णय के अनुपालन में ब्याज राशि के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

संदर्भ:- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2-2/2013/नियम/चार/दिनांक 19.03.2013।

---00---

प्राय: माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में शासकीय कर्मी याचिकाकर्ता को देय राशि में हुए विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान के लिए प्रशासकीय विभाग के निर्णय के आधार पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जाती रही है। इस सहमति के उपरान्त विभागों द्वारा ब्याज मद में (मुख्य शीर्ष 2049) आवंटन की मांग हेतु विभागों द्वारा वित्त विभाग को पुन: प्रस्ताव भेजा जाता है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में अधिरोपित कॉस्ट (Cost) अथवा शास्ति (Penalty) का भुगतान के लिए निर्धारित व्यय शीर्ष नही होने से विभागों द्वारा पृथक-पृथक व्यय मदों से भुगतान की स्थितियां भी समक्ष में आई हैं।

2. उपरोक्त स्वरूप के भुगतान में एकरूपता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के दृष्टि से मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 60 खण्ड-2(घ) को अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2021 से संशोधित किया गया है। इस संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

अ. (i) ऐसे न्यायालयीन निर्णय जो कि अंतिम हो चुके हैं अर्थात् वरिष्ठ न्यायालयों में अपील/पुनर्विलोकन आदि के उपलब्ध अवसरों के समाप्त (Exhaust) होने पर जिनका अनुपालन ही एक मात्र विकल्प है, में न्यायालय निर्णय के अनुपालन का अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग के स्तर पर लिया जाए।

(ii) यदि याचिकाकर्ता को देय मूल स्वत्व सुसंगत नियमों, निर्देशों के अधीन देय नहीं रहा है तब वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता रहेगी।

ब. माननीय न्यायालय के आदेश के पालन के लिए ब्याज राशि के भुगतान का प्रशासकीय विभाग के निर्णय अथवा वित्त विभाग की सहमति (जैसी भी स्थिति हो) उपरांत ब्याज भुगतान उसी व्यय मद मे किया जाए जिस मद मे मूल स्वत्व, जिसके लिए ब्याज का दायित्व उत्पन्न हुआ है, का भुगतान किया जाता है।

...2...

स. न्यायालय आदेश के संबंध में कॉस्ट तथा शास्ति के भुगतान की स्थिति में अन्य आकस्मिक व्यय मद में विकलनीय किया जाए।

द. ब्याज राशि की गणना का सत्यापन विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/मध्यप्रदेश वित्त सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से कराई जाए। यदि विभाग में तदनुसार अधिकारी पदस्थ नहीं है तो वित्त संबंधी कार्य संपादित करने वाला राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी से उक्त कार्य कराया जाये ।

इ. ब्याज, कॉस्ट तथा शास्ति के भुगतान की परिस्थिति के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा उत्तरदायित्व का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से सर्वसंबंधितो को अवगत कराने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

(254)

(10)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक :एफ 12-12 2010/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 28 मई, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त, कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय।

-----0-----

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के प्रावधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में शासन के द्वारा/विरूद्ध दायर याचिकाओं/वादों में उक्त नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को संबंधित शासकीय अभिभाषक, विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं मंत्रालय आदि के सतत संपर्क में रहते हुए अपने कर्त्तव्यों का समयावधि में निष्पादन करना पड़ता है। इन शासकीय सेवकों द्वारा उनको इस प्रकार सौंपे गये प्रभारी अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन उनको सौंपे गये चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त करना पड़ता है। इस अतिरिक्त कार्य हेतु शासकीय सेवकों को वर्तमान में कोई मानदेय देय नही है।

2/ प्रभारी अधिकारियों द्वारा शासन के हित को संरक्षित करने हेतु अतिरिक्त रूप से किए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने प्रभारी अधिकारियों हेतु निम्नलिखित दरों पर मानदेय स्वीकृत करने का

U654/FVS 20-9-2011

SEC(Law)/DDO

605 28-5-11

निर्णय लिया है:-

स.क्र.	विवरण	मानदेय की दर (प्रति प्रकरण)
1.	उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	रूपये 1000/-
2	उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	रूपये 1500/-

3/ उक्त मानदेय निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन देय होगा :-

1. यह मानदेय उसी अधिकारी को देय होगा, जिसके द्वारा यह कार्य अपने चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है ।
2. उक्त मानदेय भुगतान की पात्रता प्रकरण के प्रारंभ से लेकर निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विधिक परामर्श तक के लिए होगी। उक्त प्रक्रिया के मध्य प्रभारी अधिकारी के बदलने पर मानदेय प्रकरण के स्टेज के आधार पर निम्नानुसार देय होगा:-
    1. *जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही तक - 50 प्रतिशत*
    2. *जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत निर्णय तक- 30 प्रतिशत*
    3. *निर्णय उपरांत की कार्यवाही के लिए - 20 प्रतिशत*
3. ऐसे प्रकरणों, जो विषयवस्तु में समान हैं तथा जिनके लिए एक ही अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी को अधिकतम दो प्रकरणों के लिए ही मानदेय देय होगा।
4. किसी भी प्रभारी अधिकारी को इस प्रकार देय मानदेय की अधिकतम प्रतिमाह सीमा रूपये 10,000/- होगी।
5. उक्त मानदेय संबंधित शासकीय सेवक के वेतन मद से विकलनीय होगा।

4/ यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

256

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 12-12/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक मई, 2010

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्र 8992 /प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.या.वि./2011 भोपाल, दिनांक 26/9/11

प्रतिलिपिः–

1. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र– भोपाल/ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/ (वि./यां.) भोपाल
2. अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता
3. संयुक्त संचालक,(वित्त),कार्यालय प्रमुख अभियंता

की ओर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

प्रमुख अभियंता

257

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6-1-2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम, 1979 में न्यायालयीन प्रकरणों के कारण पुनर्विचार ।

शासन के ध्यान में आया है कि मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने के संबंध में कई न्यायालयीन प्रकरण दायर हुये है ।

2/ उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 4(क) के अनुसार स्थाई कर्मचारी को पेंशन/परिवार पेंशन की पात्रता आती है । इन्हीं नियमों के नियम 2(ग) के अनुसार स्थाई कर्मचारी का आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिसने 10 वर्ष की सेवा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के अंतर्गत कर ली हो । अतः वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के संबंध में दैनिक भुगतान मिलता है तथा वे कर्मचारी जो कि उस कार्य के संबंध में मस्टर रोल पद्धति से नियोजित किये जाते हैं, उपर्युक्त नियमों की परिधि में नहीं आयेंगे ।

3/ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियम 6(3) में नियमित सेवा में संविलियन के स्थिति के वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के संबंध में दैनिक भुगतान मिलता है तथा वे कर्मचारी जो कि मस्टर रोल पद्धति से नियोजित किये जाते हैं, शामिल नहीं है ।

4/ सभी विभाग उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

258

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-12-36/2015/नियम/चार/ भोपाल, दिनांक 15-9-2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन.

यह अनुभव किया गया है कि राज्य शासन के विरुद्ध माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों में राज्य शासन के पक्ष समर्थन हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के संबंध में तार्किक रूप से स्थिति स्पष्ट न कर सकने के कारण कई प्रकरणों में राज्य शासन के पक्ष में निर्णय नहीं हुआ है. परिणामत: राज्य शासन को आर्थिक क्षति की स्थिति निर्मित हुई है.

2. यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है एवं यह आवश्यक है कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय में राज्य शासन के पक्ष समर्थन में सामयिक एवं प्रभारी कार्यवाही की जाये.

3. म. प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 13-27/2002/ई/चार, दिनांक 20-12-2002 के पैरा-5 व 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जिनमें वित्तीय नियमों के बिन्दु निहित हैं, न्यायालय में उनके प्रतिरक्षण हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि इन बिन्दुओं पर विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी से आवश्यक रूप से परामर्श प्राप्त किया जावे. वित्तीय सलाहकार/मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी आवश्यक होने पर वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं.

हस्ता./-
(अजय नाथ)
अपर मुख्य सचिव,
म. प्र. शासन, वित्त विभाग.

5

(259)

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 11-16 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 12 सितम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

मंत्रालय, मध्यप्रदेश ।

विषय-वित्तीय बिंदुओं से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पक्ष समर्थन ।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले अनेक राजस्व प्रकरणों में वित्तीय बिंदु भी विनिश्चय के लिये निहित होते हैं । माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में निहित वित्तीय बिंदु निम्न प्रकार के हो सकते हैं:-

(अ) वित्त विभाग द्वारा प्रशासित किसी अधिनियम, नियम की वैधानिकता अथवा व्याख्या से संबधित ।

(ब) वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी नीतिगत निर्णय की वैधानिकता अथवा व्याख्या से संबंधित ।

(स) वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी अधिनियम, नियम अथवा वित्त विभाग द्वारा प्रसारित किसी नीतिगत निर्देश के अनुसार प्रकरण विशेष में शासन के किसी विभाग अथवा उसके कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को लाभ न दिया जाना ।

2/ उपर्युक्त "अ" तथा "ब" श्रेणी के न्यायिक प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा तथा वित्त विभाग के अनुमोदन से ही न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाएगा । "स" श्रेणी के प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत संबंधित अधिनियम, नियम अथवा शासन के नीतिगत निर्देश अनुसार दिये जाने की जिम्मेदारी पूर्णतः प्रशासकीय विभाग की होती है । अतः ऐसे प्रकरणों में यदि वित्त विभाग को पक्षकार बनाया जाता है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह आवेदन किया जाना चाहिये कि याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी विभाग का होने से वित्त विभाग को असंबद्ध पक्षकार मानकर प्रकरण से पृथक किया जावे । प्रकरण में निहित वैधानिक बिंदुओं पर प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अभिमत प्राप्त कर तदनुसार ही न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(260)

3/ यदि संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा के अभिमत अनुसार संबंधित अधिनियम, नियम अथवा वित्त विभाग द्वारा जारी नीतिगत निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके द्वारा चाही गई राहत स्पष्ट रूप से देय है, तो उक्त राहत अविलम्ब प्रदान करते हुए न्यायालय को अवगत कराना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर उसके अविलम्ब क्रियान्वयन की कार्यवाही भी संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाना चाहिए । केवल ऐसे प्रकरणों में जिसमें न्यायालय द्वारा आदेशित राहत किसी अधिनियम, नियम के स्पष्ट प्रावधान के प्रथम दृष्टया विपरीत प्रतीत होती है तथा न्यायालय द्वारा की गई वैधानिक व्याख्या इस बारे में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा प्रसारित मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में न्यायालय निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने अथवा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथोचित निर्देश जारी करने की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को अग्रेषित करने की सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांकः एफ 11-14 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 12 सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ।
3. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
4. अपर महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय इन्दौर/ग्वालियर ।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल /कृपया अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालकों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत करावें ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

(261)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

15 11-4/2020
क्रमांक 2913/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12-06-2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवकों के बकाया वसूली के संबंध में।

संदर्भ :-1. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11-2/1/2011/नियम/चार दिनांक 31 मई 2011
2. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 12-35/2014/नियम/चार दिनांक 09 जुलाई 2014
3. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11-2/2016/नियम/चार दिनांक 31 मार्च 2016
4. वित्त विभाग का परिपत्र क. एफ 11-2/8 नियम /चार भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

---

1. पृष्ठभूमि-

1.1 राज्य शासन के समक्ष में आया है कि शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियों के आदि के परिणामस्वरूप हुए अधिक भुगतानों की स्थिति ज्ञात हो जाने पर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अधिक भुगतान के तत्समय समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल शासन को आर्थिक क्षति होती है बल्कि कई अनावश्यक वाद भी उत्पन्न होते है।

2. अधिक भुगतान की वसूली का निर्धारण-

2.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 11527/2014 स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18-12-2014 के अनुक्रम में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क. 3 व 4 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये कि शासकीय सेवकों से बकाया वसूली को कियान्वित किये जाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित निर्णय को विचार में लिया जाए ।

Rule-428

2.2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरवर्णित याचिका में पारित, निर्णय दिनांक 18—12—2014 में निम्नांकित श्रेणी की परिधि में आने वाले शासकीय सेवायुक्तों/पेंशनर्स से वसूली की कार्यवाही को इस धारणा के आधार पर निषेधित किया गया है कि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि आदि के लिए शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं एवं सेवानिवृत्ति के समय अधिक भुगतान की वसूली से सेवानिवृत्ति उपरांत जीवनयापन में कठिनाई आ सकती है।

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class IV service (or Group 'c' and Group 'd' service)

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within on year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even through he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquidous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

2.3 उर्पयुक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3500/2006 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा विरूद्व जगदेव सिंह के न्यायिक प्रकरण में पैरा 3 मे वर्णित सिविल अपील 11527/2014 में पारित आदेश दिनांक 18—12—2014 का उपर्युक्त पैरा 2.2 में उद्भूत स्थितियों के बिन्दु (ii) का निर्वचन करते हुए दिनांक 29—07—2016 को आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का पैरा 11 एवं 12 निम्नानुसार है:—

11. **The principle enunciated in proposition (ii) above cannot apply to a situation such as in the present case. In the present case, the officer to whom the payment was made in the first instance was clearly placed on notice that any payment found to have been made in excess would be required to be refunded. The officer furnished an undertaking while opting for the revised pay scale. He is bound by the undertaking.**

12. For these reasons, the judgment of the High Court which set aside the action for recovery is unsustainable. Howere, we are of the view that the recovery should be made in reasonable instalments. We direct that the recovery be made in equated monthly instalments spread over a period of two years.

3. अधिक भुगतान की वसूली की प्रकिया :–

3.1 शासकीय सेवकों से अधिक भुगतान की वसूली के संदर्भित निर्देशों को कियान्वित किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–07–2016 को भी समग्र रूप से विचार में लिया जाये। वसूली की स्थिति में अधिकतम दो वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों का निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की जावे, परन्तु मासिक किश्त निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जाए कि शासकीय सेवक से वसूली की मासिक किश्त उसके मासिक सकल वेतन की राशि के एक तिहाई से अधिक हो। ऐसी स्थिति में वसूली की अवधि को दो वर्षो से अधिक हो सकेगी।

3.2 शासकीय सेवक से वसूली का निर्धारण हो जाने उपरान्त पैरा 2 अनुसार की जाने वाली वसूली योग्य राशि में समय–समय पर सामान्य भविष्य निधि की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार साधारण ब्याज दर से ब्याज की राशि भी सम्मिलित की जाए। ब्याज की गणना दिनांक 31–5–2011 से आगे की अवधि के लिये की जाए। यह ब्याज दर, इस आदेश के जारी होने की तिथि के पश्चात जारी होने वाले आदेशों पर लागू होगी। अन्यथा रूप से पूर्व निर्णीत प्रकरणों को खोला नही जाएगा। शासकीय सेवक से वसूली की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी :–

3.2.1 शासन की समस्त वसूली योग्य राशि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

3.2.2 कार्यालय प्रमुख के लिये यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के तत्काल उपरान्त /पश्चात शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी हो परन्तु आदेश जारी करने में 07 दिवस से अधिक का विलंब नही होना सुनिश्चित किया जाए। शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन से निर्धारित किश्त अनुसार शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली नही हो जाती। शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तो के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जा सकेगी।

3.2.3 बकाया की वसूली मात्र इस आधार पर स्थगित नहीं की जाये कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है। जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में स्पष्टतः वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली निर्धारित प्रकिया अनुसार जारी रहेगी।

3.2.4 शासकीय सेवक से बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शासन को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।

3.2.5 प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें। ऐसे शासकीय सेवक जिनसे बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की सम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दें।

3.2.6 शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूल की जाएगी। शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली सेवा निवृत्त लाभों से की जाएगी।

3.2.7 उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होगें जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है। ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अंतर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही की जावेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

(265)

F 11-4/2020
पृष्ठा.कमांक ~~एफ 8-1/2015~~/नियम/चार भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. अध्यक्ष, कर्मचारी आयोग, बी–1, गोमतिका परिसर, भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
19. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
20. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
21. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
23. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

हस्ता./-
(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-432

266

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक F 2-1 /2021/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 2/11/2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश

विषय:- माननीय न्यायालय निर्णय के अनुपालन में ब्याज राशि के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

संदर्भ:- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक एफ 2-2/2013/नियम/चार/दिनांक 19.03.2013।

---00---

प्राय: माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में शासकीय कर्मी याचिकाकर्ता को देय राशि में हुए विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान के लिए प्रशासकीय विभाग के निर्णय के आधार पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जाती रही है। इस सहमति के उपरान्त विभागों द्वारा ब्याज मद में (मुख्य शीर्ष 2049) आवंटन की मांग हेतु विभागों द्वारा वित्त विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजा जाता है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में अधिरोपित कॉस्ट (Cost) अथवा शास्ति (Penalty) का भुगतान के लिए निर्धारित व्यय शीर्ष नही होने से विभागों द्वारा पृथक-पृथक व्यय मदों से भुगतान की स्थितियां भी समक्ष में आई हैं।

2. उपरोक्त स्वरूप के भुगतान में एकरूपता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के दृष्टि से मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 60 खण्ड-2(घ) को अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2021 से संशोधित किया गया है। इस संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

अ. (i) ऐसे न्यायालयीन निर्णय जो कि अंतिम हो चुके हैं अर्थात् वरिष्ठ न्यायालयों में अपील/पुनर्विलोकन आदि के उपलब्ध अवसरों के समाप्त (Exhaust) होने पर जिनका अनुपालन ही एक मात्र विकल्प है, में न्यायालय निर्णय के अनुपालन का अंतिम निर्णय प्रशासनिक विभाग के स्तर पर लिया जाए।

(ii) यदि याचिकाकर्ता को देय मूल स्वत्व सुसंगत नियमों, निर्देशों के अधीन देय नहीं रहा है तब वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता रहेगी।

ब. माननीय न्यायालय के आदेश के पालन के लिए ब्याज राशि के भुगतान का प्रशासकीय विभाग के निर्णय अथवा वित्त विभाग की सहमति (जैसी भी स्थिति हो) उपरांत ब्याज भुगतान उसी व्यय मद से किया जाए जिस मद से मूल स्वत्व, जिसके लिए ब्याज का दायित्व उत्पन्न हुआ है, का भुगतान किया जाना है।

...2...

9 Order - 145

(267)

स. न्यायालय आदेश के संबंध में कॉस्ट तथा शास्ति के भुगतान की स्थिति में अन्य आकस्मिक व्यय मद में विकलनीय किया जाए।

द. ब्याज राशि की गणना का सत्यापन विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/मध्यप्रदेश वित्त सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से कराई जाए। यदि विभाग में तदनुसार अधिकारी पदस्थ नहीं है तो वित्त संबंधी कार्य संपादित करने वाला राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी से उक्त कार्य कराया जाये ।

इ. ब्याज, कॉस्ट तथा शास्ति के भुगतान की परिस्थिति के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा उत्तरदायित्व का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से सर्वसंबंधितो को अवगत कराने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

(268)

मध्यप्रदेश शासन, [redacted] री कार्य विभाग, 64

क्रमांक 2720/2014/21-ब(दो), भोपाल, दिनांक 11/08/2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग, म0प्र0 शासन,
मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)

विषय:- उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन करने हेतु राज्य के स्थायी अधिवक्ता/राज्य के विधि अधिकारियों से अन्यथा अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं समिति का गठन।

--00--

उपरोक्त विषयक संबंध में लेख है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु सामान्यतः राज्य के विधि अधिकारियों को ही नियुक्त किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन हेतु सामान्यतः राज्य शासन के स्थाई अधिवक्ताओं को ही नियुक्त किया जायेगा।

यदि किसी अपवाद स्वरूप प्रकरण में तथ्यों/विधि की जटिलता अथवा प्रकरण में निहित विषयवस्तु के मूल्य/महत्व को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासकीय विभाग का यह मत है कि उपरोक्त से अन्यथा किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया जाना समीचीन होगा तो ऐसा प्रस्ताव पर्याप्त समय पूर्व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के द्वारा विस्तृत कारण दर्शाते हुये विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् विधि विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रशासकीय विभाग के द्वारा उस अधिवक्ता का नाम एवं उसकी सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रकरण में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

विधि विभाग के द्वारा प्रस्ताव को प्रसंस्कृत कर एक अंतर्विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त -अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, विधि -सदस्य
3. प्रमुख सचिव, संबंधित प्रशासकीय विभाग -सदस्य

समिति के द्वारा सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार के उपरान्त यदि प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है, तो उसे समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की दशा में संबंधित विभाग के द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी किया जायेगा।

(वरदमूर्ति मिश्र) [signature]
(कन्हैया.जी.सिरपुरकर)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11/08/2014

पृष्ठांकन 2720/2014/21-ब(दो),

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की टीप क्रमांक 2615/मु.स/14 दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता इन्दौर/ग्वालियर, म0प्र0
4. श्री सी0डी0 सिंह, स्थाई अधिवक्ता, 38, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली
5. श्री सौरभ मिश्रा, ए 89, एल.जी. एफ डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110024
6. अपराधिक शाखा/सिविल शाखा/याचिका शाखा/म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर प्राप्त प्रकरणों में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में अग्रेषित।

[signature] 11/10/14
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2018

फा.क्रं. 1843 / 21–ब(एक) / 2018, राज्य शासन, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018" को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है।

मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018

1. परिचय

1.1 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा 24.10.2009 को "लंबित प्रकरणों की संख्या तथा उनके निराकरण में विलंब को कम करने के लिए न्यायपालिका का सुदृढ़ीकरण" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में लिए गए संकल्प के अनुसरण में राष्ट्रीय मुकदमा नीति विरचित की गई थी, जिसने मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा नीति 2011 के प्रख्यापन का मार्ग प्रशस्त किया। परंतु पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि उक्त नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उसका विस्तृत पुर्नविलोकन किया जाना आवश्यक है।

1.2 न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के आंकड़े यह बताते हैं कि लंबित मुकदमों में राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए मुकदमों की एक बड़ी संख्या है। मुकदमा नीति, लंबित प्रकरणों में राज्य के योगदान को कम करने के लिए एक दक्ष तथा उत्तरदायी रीति में, राज्य के मुकदमों को प्रबंधित करने का एक प्रयास है ताकि माननीय न्यायालय अन्य लंबित प्रकरणों के लिए अधिक समय दे सकें। वर्तमान मुकदमेबाजी के परिदृश्य के समीक्षात्मक पूर्वाविलोकन तथा इससे संबंधित विभिन्न मुददों पर एक व्यापक विमर्श से यह अनुभव किया गया कि जिले से लेकर राज्य तक तथा राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर राज्य से संबंधित मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट, व्यापक, प्रभावशाली तथा सशक्त नीति की आवश्यकता है। उपरोक्त प्रयोजन से विद्यमान नीति को पुनर्विलोकित कर एक नई नीति **"मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति–2018"** बनाई गई है।

2. उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीय मुकदमा नीति के अनुरूप, मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2017 राज्य द्वारा मुकदमो के प्रबंधन एवं संचालन की रीति में वांछित सुधार लाने और राज्य सरकार को एक कुशल तथा आदर्श वादकारी में बदलने के लिए प्रभावी रणनीतियो के साथ एक व्यापक योजना तथा तंत्र को विकसित करने की ओर लक्षित है।

2.2 यह नीति, उस रीति में जिसमें राज्य में मुकदमा देखा, प्रबंधित तथा संचालित किया जाता है, एक प्रत्यक्ष तथा स्थायी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाने के लिए राज्य सरकार के संकल्प को दर्शाती है। यह इस राष्ट्रीय सरोकार को समाहित करती है कि हमारे माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या एवं होने वाले विलम्ब को सरकार द्वारा पूरी सक्रियता से कम करना चाहिए।

2.3 उच्चतम न्यायालय ने बार–बार यह विचार अभिव्यक्त किया है कि सरकार तथा कानूनी प्राधिकारियों को आदर्श वादकारी होना चाहिए तथा न्याय के मार्ग को बाधित करने के लिए असत्य, तुच्छ, तंग करने वाले तथा तकनीकी आधारों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तंग करने वाले तथा अनावश्यक मुकदमे सद्भावी तथा जरूरतमंद वादकारियों को सहज तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने में न्यायालयों तथा अधिकरणों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर न्याय व्यवस्था को लंबे समय के लिए बाधित करते रहे हैं। विधिक प्राधिकारी लोक हित में कानूनी कृत्यों के निर्वहन के लिए विद्यमान हैं अतएव उन्हें उत्तरदायी वादकारी होना चाहिए।

2.4 एक कुशल तथा आदर्श वादकारी बनने के लिए राज्य निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा:–

(एक) राज्य अपने मुकदमों को उत्तरदायी, संवेदनशील तथा दक्ष रीति में प्रबंधित एवं संचालित करेगा।

(दो) ऐसे प्रकरण जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अर्थात् मध्यस्थता, आरबीट्रेशन, लोक अदालत आदि के सहारे हल किए जा सकते है, उन्हें केवल ऐसे तंत्र द्वारा हल किया जाएगा। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को कानूनी विवादों को हल करने के लिए किफायती एवं समय बचाने वाले तरीके के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। मुकदमेंबाजी को रोकने के लिए विभागों में शिकायत निवारण फोरम स्थापित किए जाएगें।

(तीन) मुकदमों का प्रबंधन तथा संचालन समन्वित, समयबद्ध तथा सशक्त रीति में किया जाएगा।

(चार) राज्य द्वारा अति तकनीकी प्रकृति की आपत्तियां नहीं उठाई जाएंगी, जब तक कि वे मामले को सारवान रूप से प्रभावित न करती हों।

(पांच) मुकदमे सिर्फ मुकदमेबाजी के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

(छह) लंबित प्रकरणों की समय–समय पर छानबीन कर निष्फल तथा तुच्छ प्रकरणों को वापस लिए जाने का प्रयास किया जाएगा।

(सात) राज्य का प्रतिनिधित्व सुयोग्य अधिवक्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए।

(271)

3. प्रयोज्यता

3.1 यह नीति न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, माध्यस्थमों तथा वैकल्पिक विवाद निराकरण फोरम के समक्ष राज्य अथवा इसके अधिकारियों को अंतर्वलित करने वाले दावे, विवाद तथा मुकदमे पर लागू होगी।

3.2 सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य के कानूनी निकायों, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुकदमेबाजी में अंतर्ग्रस्त हुए हैं या जिनका न्यायालय/अधिकरण आदि के समक्ष लंबित किसी प्रकरण में हित है, के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इस नीति का अनुसरण करें।

3.3 नीति सभी स्तरों तथा मंचों पर मुकदमों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में प्रक्रिया, मानदण्ड तथा निर्वचन के सभी प्रश्नों के लिए प्रामाणिक संदर्भ के रूप में काम करेगी।

3.4 प्रयोज्य प्रशासकीय विनियमन इस नीति के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

3.5 परिवर्तित हो रहे विधिक परिदृश्य के साथ गति बनाये रखने के लिए विधि विभाग नियमावली को सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि के अंदर व्यापक रूप से अद्यतन किया जाएगा, जिसमें नियमावली के सुसंगत भागों को पुनरीक्षित कर उसे विधि एवं इस नीति के अनुरूप बनाया जाएगा।

4. हितधारक

सभी हितधारक अर्थात् शासकीय विभाग और उनके अधिकारी/कर्मचारी, विधि अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता तथा मुकदमें के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन तथा संचालन से संबंधित जिम्मेदारी से न्यस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनी भूमिकाएं अत्यंत गंभीरता एवं निष्ठा से निभानी होगी।

5. विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना

5.1 विभिन्न विभागों में दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों को अक्सर न्यायालयों में चुनौती दी जाती है। ऐसे मुकदमों को कम करने के लिए प्रशासनिक आदेशों को सुसंगत अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं तथा न्यायिक निर्णयों के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त विभाग जिनके लिए लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का प्रबंधन तथा न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही करना आवश्यक होता है, में पृथक से अनुभवी न्यायिक सेवा के अधिकारी या विधिक पृष्ठ भूमि के अधिकारी, जो विधि विभाग द्वारा विहित रीति से

नियुक्त किये जाएंगे की अध्यक्षता में एक विधि प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जो ऐसे लंबित प्रकरणों का प्रबंधन करेगा। राज्य सरकार विभिन्न विभागों के मुकदमों की संख्या एवं गुणवत्ता को देखते हुए पर्याप्त अधोसंरचना प्रदान करके तथा पर्याप्त संख्या में समुचित श्रेणी के अधिकारियों को नियोजित करके विधि प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी।

2 **विधि प्रकोष्ठ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:–**

(एक) जब कभी अपेक्षित हो, दैनिक प्रशासनिक कृत्यों में विधिक बिन्दुओं पर सलाह देना।

(दो) संबंधित विभाग के मुकदमो का पर्यवेक्षण करना और विभाग के नोडल अधिकारी को सहायता प्रदान करना। इनके अतिरिक्त विधिक प्रकोष्ठ प्रकरण के तथ्यात्मक आधार, सुसंगत विधि/विभागीय नियमों, अंतिम रूप से विनिश्चित समान प्रकरणों या लंबित समान मामलों का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

(तीन) विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में पदस्थ सयुक्त आयुक्त (मुकदमो) के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करना।

6. नोडल अधिकारी

प्रत्येक विभाग राज्य स्तर पर तथा विभागों का प्रत्येक जिला प्रमुख जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, जिसमें अधिकरण, जांच, आयोग, माध्यस्थम तथा अन्य वैकल्पिक विवाद निराकरण फोरम सम्मिलित हैं, के समक्ष लंबित अपने मुकदमों की नियमित मानीटरिंग, समन्वय तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। वह अपीलों/याचिकाओं के समय पर दाखिल किए जाने में होने वाले विलंब को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान देगा। मुकदमो के संचालन में समन्वय और लंबित प्रकरणों की प्रगति का पर्यवेक्षण नोडल अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में समाहित होगा। उसका यह विशिष्ट कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रकरणों की पहचान करे, जिनमें निर्देश या जवाब प्रस्तुत करने के लिए बार–बार स्थगन लिया गया है तथा उसकी सूचना विभाग प्रमुख को दे। विभाग प्रमुख ऐसे स्थगनों का कारण पूछने के लिए स्वतंत्र होगा। जंहा बार–बार स्थगन लिए जा रहे हो वहां विभाग प्रमुख या विभाग का विधि अधिकारी सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन कर सुनिश्चित करेगें कि स्थगन के उचित कारण अभिलेख से प्रकट होते है। इस संबंध में संबंधित प्रकरण के भारसाधक अधिकारी की लापरवाही या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाकर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

7. संयुक्त आयुक्त (मुकदमा)

7.1 मुकदमो के उचित तथा कुशल प्रबंधन तथा संचालन के लिए महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता को आवश्यक समन्वय तथा सहायता मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार जबलपुर, इंदौर तथा ग्वालियर में एक संयुक्त आयुक्त (मुकदमा) की नियुक्ति करेगी।

7.2 उक्त कार्यालय का कार्य मामलों की प्रगति की निगरानी के साथ प्रकरणों के सुसंगत अभिलेखों का संधारण, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को न्यायालय से नोटिस की प्राप्ति की सूचना देना, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अद्यतन डेटा संधारित करना, संबंधित शासकीय अधिवक्ता के संपर्क में रहना, अपील प्रस्तुत करने के लिए शासकीय अधिवक्ता से अभिमत प्राप्त करने के लिए तत्परता से कार्य करना, वकालतनामा/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना, वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाहियों में प्रगति के संबंध में सूचित करना तथा राज्य की मुकदमा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

8. अभियोजन संचालनालय

8.1 मध्यप्रदेश राज्य में संचालनालय लोक अभियोजन, संचालक लोक अभियोजन की अध्यक्षता में स्थापित है। संचालनालय लोक अभियोजन मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संस्थित आपराधिक मामलों के अभियोजन के संचालन तथा प्रबंधन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा।

8.2 संचालक, (लोक अभियोजन) का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के किसी भी विभाग द्वारा संस्थित आपराधिक मामलों में प्रत्येक न्यायालय में, लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक की पूर्णकालिक उपस्थिति सुनिश्चित करे।

9. प्रकरण का प्रभारी अधिकारी

9.1 राज्य के विरूद्ध प्रकरण संस्थित होने की सूचना विभाग को प्राप्त होने के, अथवा उसके द्वारा कोई प्रकरण या अपील दाखिल किए जाने के विनिश्चय के पश्चात्, संबंधित कलेक्टर के लिए यथाशीघ्र किसी उपयुक्त अधिकारी को प्रकरण का भारसाधक नियुक्त करना अनिवार्य होगा, जो वकालतनामा/शपथपत्र आदि हस्ताक्षरित करने, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण के बचाव/तथ्यों का सार और सुसंगत दस्तावेज मुहैया कराने तथा विभाग की ओर से विवाद में असर डालने वाले विभागीय कानून तथा नियम/अनुदेश/परिपत्र आदि अधिवक्ताओं को प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा :

परंतु ऐसे मामलों में जिनमे नीति विषयक प्रश्न अंतर्वलित हो संबधित विभाग का सचिव किसी अन्य व्यक्ति को प्रकरण का भारसाधक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

9.2 प्रकरण का प्रभारी अधिकारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति तथा अगली सुनवाई की तारीख के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा। वह समस्त आवश्यक जानकारी भी एकत्रित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि रिटर्न/जवाब समय के भीतर पेश हो। संबधित विधि अधिकारी प्रकरण के भारसाधक अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्युत्तर समय से तैयार हों एवं प्रस्तुत किए जायें।

9.3 प्रकरण में जब किसी अधिकारी को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे आदेश की प्रति संयुक्त आयुक्त (मुकदमा), विधिक प्रकोष्ठ तथा संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवश्यक रूप से अंकित की जाएगी। प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति पत्र में उसके कर्तव्य स्पष्टतः उल्लिखित किए जाएंगे। मामले के प्रभारी अधिकारी के कृत्य तथा कर्तव्य एवं महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता/लोक अभियोजक कार्यालय में उसका आचरण, इस नीति के अनुलग्न–एक में यथा उल्लिखित मानदण्ड के अनुरूप होना चाहिए।

10. महाधिवक्ता का संस्थान

10.1 राज्य का महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय तथा अधिकरणों के समक्ष राज्य से संबंधित लंबित मुकदमों के संपूर्ण नियंत्रण, प्रबंधन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। उपरोक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसे आवश्यक अधोसंरचना तथा अमला उपलब्ध कराया जाएगा। महाधिवक्ता प्रारूपण को व्यवस्थित करने, विधि अधिकारियों के कार्य के मूल्यांकन, मुकदमो की मानीटरिंग एवं प्रबंधन तथा अपने प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंध में समितियां गठित कर सकेगा। उनके मार्गदर्शन के अधीन, जिला एवं राज्य स्तर पर मुकदमो का पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन करने के लिए एक साफ्टवेयर प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।

10.2 महाधिवक्ता कार्यालय में प्रकरणों के भारसाधक अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायता केंद्र (हैल्प–डेस्क) की स्थापना की जाएगी।

10.3 महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय के समुचित प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए तथा कार्यालय के मुकदमेबाजी संबंधी कार्य के प्रबंधन के लिए महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में राज्य की उच्चतर न्यायिक सेवा से सचिव की पद श्रेणी का अधिकारी तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली, ग्वालियर तथा इंदौर में एक अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया जाएगा।

(275)

10.4 प्रकरणों के दक्ष संचालन में महाधिवक्ता की सहायता हेतु पर्याप्त संख्या में विधि अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। महाधिवक्ता कार्यालय में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधि अधिकारियों की संख्या समय–समय पर पुनरीक्षित की जाएगी। मुकदमे की समुचित तैयारी, प्रस्तुति तथा संचालन के लिए विधि अधिकारियों को आधुनिक उपकरण तथा उपयुक्त अधोसरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

10.5 जैसे ही कोई प्रकरण महाधिवक्ता कार्यालय के केस मैनेजमेंट एण्ड ट्रैकिंग सिस्टम में दर्शित होता है तो महाधिवक्ता कार्यालय ऐसे प्रकरण को किसी विधि अधिकारी को सौंपेगा। महाधिवक्ता कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि, किसी प्रकरण के लिए नियुक्त विधि अधिकारी के अनुपलब्ध होने पर भी राज्य का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, प्रत्येक विधि अधिकारी के लिए एक सम्पर्क विधि अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

10.6 महाधिवक्ता कार्यालय के कार्यो के देखरेख एवं पर्यवेक्षण हेतु एक मानीटरिंग समिति निम्नानुसार होगी:–

(एक) महाधिवक्ता – अध्यक्ष।

(दो) प्रमुख सचिव, विधि द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विधि विभाग के सचिव, – सदस्य

(तीन) संचालक, लोक अभियोजन – सदस्य

(चार) अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर, ग्वालियर, नई दिल्ली में से महाधिवक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्तागण – सदस्य

(पाँच) महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त किये गये सचिव/अतिरिक्त सचिव–समिति का सचिव।

10.7 महाधिवक्ता, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में मामलों के भारसाधक अधिकारियों के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले जवाब तथा विवरणियों की तैयारी तथा अन्य कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए समुचित विधिक अधिकारियों से युक्त प्रारूप समितियां भी गठित करेगा। प्रारूप समितियों के समुचित कार्यकरण के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में पर्याप्त संख्या में स्टेनोग्राफर, अन्य कर्मचारीवृन्द और आई.टी./साफ्टवेयर की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

11. शीर्ष न्यायालय स्तरीय मुकदमे

11.1 शीर्ष न्यायालय में लंबित मुकदमों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन तथा संचालन के लिए नई दिल्ली में अतिरिक्त महाधिवक्ता का एक कार्यालय स्थापित किया गया है।

11.2 नई दिल्ली में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय एवं शासकीय अधिवक्ताओं का कार्य महाधिवक्ता के मार्गदर्शन तथा विधि विभाग के सामान्य पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किया जाएगा।

11.3 संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा किसी गंभीर प्रकृति के, गुरुतर हित वाले अथवा जनहित में के किसी प्रकरण में जब कभी भी किसी वरिष्ठ निजी अधिवक्ता को लगाया जाना हो तो प्रकरण राज्य द्वारा अनुमोदित निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार किसी वरिष्ठ निजी अधिवक्ता को सौंपा जा सकता है। वरिष्ठ निजी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए संबंधित विभाग/विधि विभाग, महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता से परामर्श कर सकेगा और उसकी नियुक्ति के लिए निर्बन्धन तथा शर्तें तय करेगा।

12. हितधारकों की जवाबदेही

12.1 विभिन्न स्तरों पर इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए मुकदमे के प्रबंधन तथा संचालन में हितधारकों/कर्तव्य धारकों की जबाबदेही को बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण होगा। विभाग प्रमुख, विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख, विधि अधिकारी, मानीटरिंग समिति के सदस्यों, सशक्त समितियों के सदस्यों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्रकरण के भारसाधक अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता द्वारा उसके संबंध में कारित त्रुटि/चूक को गंभीरता से लिया जाए और उनके विरुद्ध तत्परता से उचित कार्यवाही की जाए। परिव्यय अधिरोपित किए जाने एवं किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा अधिवक्ता के आचरण के संबंध में न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

12.2 जवाबदेही के लिए प्रकरणों के संचालन की आलोचनात्मक समीक्षा होनी चाहिए। अच्छे प्रकरण, जो हारे गए हैं, उनका पुनर्विलोकन होना चाहिए तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत विधिक संवीक्षा कर तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

मानीटरिंग समितियों का गठन एवं उनके कर्तव्य

13. राज्य स्तरीय सशक्त समिति

13.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

(एक) राज्य के मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव, गृह	—	सदस्य
(तीन) प्रमुख सचिव, विधि	—	सदस्य
(चार) प्रमुख सचिव, सा.प्र.वि.	—	सदस्य

(पाँच)	प्रमुख सचिव, वित्त	–	सदस्य
(छः)	प्रमुख सचिव, राजस्व	–	सदस्य
(सात)	महानिदेशक, पुलिस	–	सदस्य
(आठ)	संचालक, अभियोजन	–	सदस्य
(नौ)	महाधिवक्ता द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त महाधिवक्ता	–	सदस्य
(दस)	सचिव, विधि	–	सचिव

13.2 मुख्य सचिव, बैठक में भाग लेने के लिए अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

<u>समिति के कार्यः–</u>

13.3 सभी स्तरों पर इस नीति के क्रियान्वयन तथा मुकदमे के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करना, प्रकरणों के संचालन तथा न्यायालय के बाहर समझौते या छोटे और व्यर्थ प्रकरणों की वापसी के लिए नीतियां तथा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना।

13.4 वैकल्पिक विवाद समाधन तन्त्र को विवाद/शिकायतों को निपटाने के किफायती तथा समय बचाने वाले तरीके के रूप में प्रोत्साहित तथा सुदृढ़ करना।

13.5 शासन को मुकदमों के किसी वर्ग के संबंध में नीति विषयक एवं मुकदमों के संचालन के प्रबंधन तथा अन्य आनुषांगिक विषयों पर परामर्श देना।

13.6 हितधारकों, वैयक्तिक अधिकारियों तथा शासकीय अधिवक्ताओं/लोक अभियोजकों/शासकीय अधिवक्ताओं की जबाबदेही में वृद्धि करना।

13.7 प्रकरणों के किसी वर्ग अथवा महत्व के किसी विशिष्ट मामले के संबंध में किसी विशिष्ट अधिकारी के किसी प्रशासनिक विनिश्चय में घोर कदाचार अथवा कर्तव्य के त्याग अथवा अनुपयुक्ता के मामलों में कार्रवाई की अनुशंसा करना और हितधारकों की जबाबदेही तय करने के लिए उपयुक्त उपाय करना।

13.8 मुकदमेबाजी के प्रमुख कारणों पर विचार करना तथा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करना।

13.9 शासकीय अधिवक्ता, लोक अभियोजकों के चयन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना और उनकी जवाबदेही पुष्ट करने के लिए उपाय सुझाना।

13.10 वर्तमान नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना, मुकदमा प्रबंधन नीति में सुधार की अनुशंसा करना तथा मुकदमे की मानीटरिंग, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

13.11 यह समिति छः मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

14. विभाग स्तरीय सशक्त समिति

14.1 प्रत्येक विभाग में एक विभाग स्तरीय सशक्त समिति होगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

(एक)	विभाग का सचिव	—	अध्यक्ष
(दो)	विधि अधिकारी यदि कोई हो	—	सदस्य
(तीन)	नोडल अधिकारी	—	सदस्य
(चार)	अन्य अधिकारी, जो विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्देशित किए जाएं	—	सदस्य

समिति विभाग से संबंधित सभी मुकदमों का पर्यवेक्षण तथा पुनर्विलोकन करेगी। समिति को किसी प्रकरण/प्रकरणों के वर्ग जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय निहितार्थ न रखते हो की वापसी के लिए अनुशंसा करने की शक्ति होगी। यह किसी नीतिगत मामले को विनिश्चय के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति/सक्षम प्राधिकारी को भी निर्दिष्ट कर सकेगी।

14.2 किसी भी विभाग की नीति से अंतर्वलित किसी मामले में कार्यवाही संबंधित विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों में भार साधक अधिकारी सामान्यतया विभाग अध्यक्ष के कार्यालय या विभाग का कोई अधिकारी होना चाहिए, जो उप सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए।

14.3 यह समिति तीन माह में कम से कम एक बार या जब कभी भी विभाग प्रमुख द्वारा आवश्यक समझा जाए तब बैठक करेगी।

15. जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति

15.1 राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति होगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(एक)	जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर	—	अध्यक्ष
(दो)	पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(तीन)	लोक अभियोजक तथा शासकीय अधिवक्ता	—	सदस्य
(चार)	उप संचालक अभियोजन/डी.पी.ओ.	—	सदस्य
(पांच)	कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी	—	सदस्य सचिव

(279)

न्यायालय में अधिवक्ताओं के ब्यौरों, साथ ही महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के कार्यालय, विधि अधिकारियों आदि के संबंध में सभी सुसंगत जानकारी के डेटा के साथ एक सॉफ्टवेयर वेब सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ प्रकरणों तथा उनकी प्रगति तक पहुँच बनाने एवं उनके पर्यवेक्षण के लिए विकसित किया जाना चाहिए। सभी विभागों के लिए इस व्यवस्था को ऐसी समय सीमा के अंदर, जैसी कि शासन द्वारा विहित की जाए, अपनाना बंधनकारी होगा।

17. शासकीय प्रतिनिधित्व

17.1 विधि विभाग, महाधिवक्ता/संचालक लोक अभियोजन के परामर्श से प्रकरण–विधि अधिकारी अनुपात तथा न्यायालय–लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता अनुपात विनिश्चित करेगा। शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु पैनल अधिवक्ताओं की साख के परीक्षण एवं उनके विधिक ज्ञान तथा सत्यनिष्ठा संबंधी मूल्यांकन के पश्चात तैयार किया जाएगा।

17.2 शासकीय अधिवक्ताओं को कार्योपयोगी सभी उपकरण और पर्याप्त अधोसंरचना प्रदान की जानी चाहिए। जिला स्तर पर शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यालयों को आधुनिक तकनीक के उपकरण जैसे प्रिंटर, फोटोकॉपियर, इन्टरनेट लिंक्स सहित कम्प्यूटर तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ताओं को सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के साथ ही प्रकरणों के संकलन निर्मित करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

17.3 शासकीय अधिवक्ताओं/लोक अभियोजनों के कार्यालयों को, जो श्रम न्यायालयों में शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर्याप्त अधोसंरचना, कर्मचारिवृंद, सूचना तकनीकी सुविधाएं और समुचित शुल्क (फीस) संरचना उपलब्ध कराते हुए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

18. प्रशिक्षण

18.1 लोक अभियोजकों/शासकीय अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनारों, कार्यशालाओं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। शासकीय अधिवक्ताओं के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को पहचानने और उनमें सुधार पर विशेष जोर देते हुए निरंतर विधिक शिक्षा होनी चाहिए। विधि विभाग विशेषज्ञों एवं सभी संबंधितों से विचार विमर्श कर विशेषज्ञता के क्षेत्रों को पहचाने और उनमें सुधार पर विशेष जोर देते हुए शासकीय अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार करेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रभावी शासकीय प्रतिनिधित्व के लिए अपेक्षित मूल्यों को विकसित करने और समाहित करने के प्रयास हों। प्रशिक्षण

कार्यक्रम नियमित अंतराल पर, जब भी अपेक्षित हो, आयोजित किये जाएगें और इसके लिए सभी आवश्यक सहयोग एवं सहायता समस्त अन्य विभागों/राज्य अकादमियों द्वारा, जब कभी आवश्यकता हो, दी जाएगी।

18.2 शासकीय अधिवक्ताओं को यह स्पष्ट करने के लिए कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनसे क्या अपेक्षित है और उनको अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए एक कार्य निर्देशिका तैयार की जा सकेगी।

19. शुल्क संरचना एवं भुगतान

शासकीय अधिवक्ताओं को देय शुल्क को लाभकारी बनाने के लिए उपयुक्त रूप से समय–समय पर पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विहित शुल्क युक्तियुक्त समय के भीतर इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को वरीयता देते हुए संदत्त किया जाए।

20. शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित कर परिहार्य मुकदमेबाजी का निवारण/नियंत्रण

20.1 अधिकांश सेवा मामलों में, यथा प्रवृत्त नियमों, निर्देशों या नीतिगत विनिश्चयों के अनुसार अनुतोष प्रदान नहीं किए जाने के कारण वाद हेतुक उद्‌भूत होता है। यह भी देखा गया है कि अधिकांश मामलों में न्यायालय में मामला पहुंचने से पूर्व प्रभावित पक्षकार अनावश्यक रूप से बहुत सा समय और श्रम सामान्य प्रशासनिक प्रणालियों के माध्यम से अपनी शिकायत के निवारण पर व्यय करता है। इस स्थिति में राज्य सरकार के सभी विभाग परिहार्य मुकदमेबाजी की एक बड़ी संख्या में पूर्व कार्रवाई के प्रयोजन से, प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करेंगे। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा एक पृथक पत्रक के माध्यम से इस निमित्त विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार समय–बद्ध, उचित और निष्पक्ष रीति में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।

20.2 ऐसी शिकायत निवारण समितियां, राज्य स्तर पर, साथ ही जिला स्तर पर, प्रत्येक विभाग में स्थापित की जाएंगी। व्यथित पक्षकार के निवेदन पर समस्त मामले तथा मुद्दे उचित शिकायतों के निवारण के लिए पुनर्विलोकित किए जाएंगे।

20.3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अनुतोष पाने के लिए न्यायालयों में जाने से पूर्व सर्वप्रथम इस प्रणाली के माध्यम से प्रयास करें।

20.4 जिला स्तर पर, समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या उसके नामनिर्देशी द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगी। जहां यह पाया जाता है कि कतिपय शासकीय निर्देशों को पुनर्विलोकित किए जाने की आवश्यकता हैं तो वह उसे राज्य स्तरीय सशक्त समिति या संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगी।

20.5 विभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जाएगी और विभाग में शिकायत निवारण प्रणाली की दक्षता का पुनर्विलोकन करने हेतु एक माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

20.6 ऐसे अभ्यावेदनों को विनिश्चित करने के लिए आठ सप्ताह की एक समय सीमा नियत की जा सकेगी।

21. विधि अधिकारियों के नियमित काडर का विकास

मुकदमो के प्रबन्धन तथा देखभाल के लिए, विभागों को व्यावसायिक रूप से सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से, युक्तियुक्त वेतनमान में, विधि अधिकारियों का एक नियमित केडर विधि विभाग के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन विकसित किया जाएगा। विधि अधिकारी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा न्यायोचित तथा निष्पक्ष रीति में, शिकायतों के निवारण में भी सहायता करेगा।

22. अभ्यावेदनों/विधिक सूचना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई

22.1 किसी विधिक सूचना पत्र का आशय, राज्य को एक न्यायोचित निराकरण प्राप्त करने के लिए सचेत करना है। जब किसी विभाग पर अनुतोष चाहते हुए सूचना पत्र तामील किया जाता है तो उनका प्रचलित नियमों/निर्देशों के अनुसार तथा एक विस्तृत स्पष्ट आदेश द्वारा शीघ्रता से विनिश्चिय किया जाना चाहिए। समय पर प्रतिक्रिया देना जनता के धन के अपव्यय को तथा न्याय व्यवस्था के अवरूध होने को बचा सकता है।

22.2 मूल क्षेत्राधिकार में या अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित अपीलों में आदेश पारित करते समय एक विस्तृत स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह जांच संचालित करने के लिए सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रियाओं का पालन करे ताकि प्रक्रियात्मक भाग में कोई चूक कारित न हो और आदेश इस आधार पर अपास्त न हों तथा मामला नवीन विनिश्चय के लिए वापस प्रतिप्रेषित न हो। अधिकारियों को इन परिपेक्ष्य में समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2.3 जब कभी राज्य का कोई कर्मचारी मध्यप्रदेश शासन के विरुद्व उच्च न्यायालय के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत करता है तब यह संबंधित कलेक्टर का दायित्व होगा कि वह ऐसे विवाद के समाधान का एक प्रयास करे।

23. अन्तर्निहित मामले

मामलों की काफी संख्या समान प्रकृति के दावों की है। यदि दावा न्यायालय / विभाग के किसी अंतिम विनिश्चय के अन्तर्गत आता है तो प्रत्येक शासकीय विभाग आवेदकों / कर्मचारियों / नागरिकों के ऐसे दावों पर विचार करने और उन्हे निपटाने का प्रयास करेगा। समान प्रकृति के बहुत से सेवा मामले वादी को न्यायालय में जाने के लिए बाध्य किए बिना स्वयं विभाग के स्तर पर निराकृत किए जा सकते है। इस रीति मे, शासकीय विभाग दक्ष वादकारियों की तरह कार्य करेगें।

24. स्थगन

24.1 विधि अधिकारी / शासकीय अधिवक्ता को अनावश्यक और बार–बार स्थगनों से बचना चाहिए। सरकारी वकीलों को पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन को भी ध्यान में लाना चाहिये, जिससे कि मामले से असंबद्ध अधिकारी परेशान न हों।

24.2 नवीन मुकदमे में, जहा शासन एक प्रतिवादी या प्रत्यर्थी है, निर्देश अभिप्राप्त करने के लिए एक युक्तियुक्त स्थगन के लिए आवेदन किया जा सकता है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे निर्देश सुनवाई की अगली तारीख से पूर्व उपलब्ध कराए जाएं तथा संसूचित किए जाएं। जहां निर्देश प्राप्त न हो रहें हो वहां मामला नोडल अधिकारी को और यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग के प्रमुख को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए।

24.3 यदि नियत तारीख को न्यायालय में उत्तर फाइल करना संभव नही है तो प्रकरण का प्रभारी अधिकारी उत्तर प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगने के लिए समुचित आवेदन फाइल करने के उद्देश्य से महाधिवक्ता कार्यालय / विधि अधिकारी से संपर्क करेगा। तथापि उपरोक्त प्रक्रिया का नियमित रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा तथा केवल पर्याप्त आधारों पर ही और अधिक समय की प्रार्थना की जानी चाहिए।

24.4 अपीलीय न्यायालयों में, यदि, पेपर बुक्स पूर्ण हैं तो नैत्यिक रीति में अनावश्यक स्थगन नहीं मांगे जाना चाहिए। मामलों में उनकी प्रथम सुनवाई पर ही उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे प्रकरणों में स्थगन तभी मांगा जाना चाहिए जब न्यायालय की विशिष्ट पृच्छा का उत्तर देने के लिए निर्देशों का अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित है ।

24.5 उन प्रकरणों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, जिनमें स्थगन प्रदान करने की एक शर्त के रूप में सरकार से खर्च दिलवाया जाना आदेशित किया गया है। ऐसे सभी मामलों में विभाग का नोडल अधिकारी, विभाग स्तरीय सशक्त समिति को उन कारणों का एक प्रतिवेदन देगा कि ऐसे खर्चे क्यों आदेशित किए गए थे। उन व्यक्तियों की पहचान की जाएंगी जो ऐसे खर्च दिलवाए जाने संबंधी चूक के लिए उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

25. अभिवचन / प्रतिदावा

25.1 उच्च न्यायालय में बहुत अधिक संख्या में ऐसे मामले देखने में आए है जिनमें शासन द्वारा एक प्रतिवादी के रूप में जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री तथा महाधिवक्ता कार्यालय से ऐसे मामलों की एक विभाग वार सूची के लिए अनुरोध किया जा सकता है। उक्त सूचियों का विभाग स्तरीय सशक्त समिति में पुर्नविलोकन किया जा सकता है या उन पर कार्यवाही की जा सकती है। उच्च न्यायालय रजिस्ट्री तथा महाधिवक्ता कार्यालयों की सूचियों के साथ उक्त सूची का समय–समय पर पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

25.2 शासन द्वारा या उसकी ओर से प्रारंभ किए गए वादों या अन्य कार्यवाहियों को परिशुद्धता और स्पष्टतापूर्वक तैयार किया जा चाहिए। न तो तथ्यों के कथन में और न ही आधारों के संबंध में पुनरावृत्ति होनी चाहिए।

25.3 अपील के ज्ञापन सारांश और तारीखों की सूची का विशेष ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किये जाने चाहिए कि उनमें विवाद के तथ्य तथा अंतर्ग्रस्त प्रश्न स्पष्ट रूप से प्रकट हों। अपील मेमो, याचिका आदि का प्रारूपण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।

25.4 अपील पेपर बुक में समस्त आवश्यक तथा सुसंगत दस्तावेज सम्मिलित किए जाने संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि ऐसे कोई दस्तावेज संलग्न नहीं हैं और उस पर कोई स्थगन लिया जाता है या उस पर न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो नोडल अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जाएंगी तथा यथोचित कार्रवाई हेतु विभाग प्रमुख को प्रतिवेदित किया जाएगा।

25.5 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायालय में शासन का दस्तावेज संबंधी कार्य स्पष्ट, व्यवस्थित, पूर्ण, बिना टंकण की त्रुटियों का हो। सिविल अपीलों, विशेष अनुमति याचिकाओं तथा प्रतिदावा शपथपत्रों के लिए विशेष प्रारूप महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा विरचित किए जाएंगे और शासकीय अधिवक्ता नियमावली के मार्गदर्शन तथा निर्देशों के रूप में भेजे जाएंगे। उक्त निर्देशों का सम्यक कर्मठता के

साथ अनुपालन सुनिश्चित करना प्रारूपणकर्ता अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा।

25.6 महत्वपूर्ण प्रकरणों में प्रतिदावा शपथपत्र तब तक फाइल नहीं किए जाएंगे जब तक कि विधि अधिकारी द्वारा उन्हें देखा न जाए एवं उनकी विधीक्षा न कर ली गई हो। तथापि, प्रतिदावा प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

25.7 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिदावा शपथपत्र, अवर सचिव से निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

25.8 जहां प्रतिवादी के रूप में शासकीय विभागों की ओर से पृथक–पृथक जवाब या निवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तो यह देखना कि ऐसे जवाबों/निवेदनों के मध्य कोई टकराव/विरोधाभास नहीं है, संबंधित विभागों के नोडल अधिकारीयों का कर्तव्य होगा। संबंधित विभागों के अभिवचनों में किसी विरोधाभास या असंगतता की दशा में, यह संबंधित विभाग प्रमुखों की जानकारी में लाया जाना चाहिए, जो मामले का समाधान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कोई असंगत क्लेम विभागों के द्वारा पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत न हों जो शासन के हित के प्रतिकूल होकर लोकहित में नही है।

26. अपील संस्थित करने हेतु दिशा निर्देश

26.1 एक पक्षीय अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील फाइल नही की जाएगी जब तक कि बहुत उच्च हित अंर्तवलित न हों या आदेश लोकहित के विरूद्ध न हो। आदेश रद्द कराए जाने का प्रयास पहले किया जाना चाहिए। किसी आदेश के विरूद्ध अपील उसी दशा में करना चाहिए यदि आदेश अपास्त नहीं किया गया है और ऐसे आदेश का जारी रहना महत्वपूर्ण लोक हित के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

26.2 अपील प्रारंभ मे इन्ट्रा (Intra) न्यायालय मे फाइल की जानी चाहिए। असाधारण मामलों के सिवाय सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करना चाहिए।

26.3 यह मान्य करते हुए कि अधिकरण, न्यायालय के भार को कम करने के साधन हैं, उनके आदेशों को चुनौती देना एक अपवाद होना चाहिए, सामान्य अनुक्रम का विषय नहीं।

26.4 सेवा मामलों में, उन मामलों में सामान्यतः अपील फाइल नहीं की जाएगी जहां:–

(एक) मामला व्यक्तिगत व्यथा से संबंधित हो तथा व्यापक प्रभाव उत्पन्न न करता हो।

(दो) मामला, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित है जिसमें कोई सिद्धान्त अन्तर्वलित नहीं है और जो न तो पूर्वोदाहरण स्थापित करता है न ही उसके रूपये पाँच लाख से अधिक के वित्तीय निहितार्थ हों।

26.5 प्रत्येक प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता और भारसाधक अधिकारी द्वारा अपील फाइल करने की आवश्यकता का उचित और शीघ्र प्रमाणन होगा। ऐसे प्रमाणन में उसके समर्थन में संक्षिप्त किन्तु ठोस कारण होंगे। इसी प्रकार उन कारणों को भी अभिलिखित करना होगा जिनके आधार पर अपील फाइल करना उपयुक्त या उचित नहीं समझा गया।

26.6 ऐसें प्रकरणों में जिनमें सामान्यतः अपील तभी होती है जब विधि का सारवान प्रश्न अंतरबलित हो न कि तथ्यों पर, महाधिवक्ता/विधि परामर्शी के कार्यालय अपील फाईल करने का अभिमत देते समय, प्रकरण में निहित विधि के सारवान प्रश्न का उल्लेख करेगें।

26.7 न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन यदि महाधिवक्ता कार्यालय या किसी विभाग की राय में राज्य के हित में या न्याय के हित में आवश्यक हो, तो विधि विभाग से पृथक अनुज्ञा की आवश्यकता नही होगी और प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता की सम्यक् अनुज्ञा के अधीन पुनरविलोकन प्रस्तुत करने की तत्काल कार्यवाही कर सकेगा।

26.8 कलेक्टर/जिला प्राधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन शासकीय भूमि/सम्पत्तियों से संबंधित मामलों में जहां न्यायालय द्वारा सरकार के दावे को अस्वीकार करते हुए कोई आदेश या निर्णय दिया जाए वहां कलेक्टर/जिला प्राधिकारी शासकीय अधिवक्ता के परामर्श से ऐसे निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की अनुमति देने मे सक्षम होगा। जहां कलेक्टर/जिला प्राधिकारी शासकीय अधिवक्ता के परामर्श उपरांत यह पाता है कि अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है तब वह इस बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन जो कि शासकीय अधिवक्ता के मत से सम्यक रूप से समर्थित होगा विभाग प्रमुख को उचित निर्णय लेने हेतु प्रेषित करेगा। कलेक्टर/ जिला प्राधिकारी संबंधित विभाग प्रमुख को शासकीय भूमि/सम्पत्तियों के संबंध में पारित विपरित निर्णयों/आदेशों के संबंध में स्वंय द्वारा अपील/पुनरीक्षण/एस.एल.पी. प्रस्तुत किये जाने संबंधी लिए गए निर्णयों से सम्यक रूप से संसूचित रखेगा।

27. परिसीमा अपील/पुनर्विलोकन/एस.एल.पी. को समय पर संस्थित करने हेतु दिशा निर्देश

27.1 यह देखा जाता है कभी–कभी अच्छे मुकदमे हारे जाते हैं क्योंकि अपीलें/पुनर्विलोकन/एस.एल.पी. परिसीमा कालावधि के पश्चात और ऐसे विलम्ब के उचित स्पष्टीकरण के बिना फाइल की जाती हैं। यह हो सकता है कि ऐसे विलम्ब, विशेष रूप से जब उच्च हित नीहित हों, हमेशा सद्भावनापूर्ण न हों इसलिए समय से अपील/पुर्नविलोकन/एस.एल.पी. का प्रस्तुत किया जाना महत्वपूर्ण है।

27.2 विधि विभाग, महाधिवक्ता के परामर्श से, एक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा जिससे कि प्रभावी रूप से विलम्ब नियंत्रित हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मामलों में, जहां अपीलें/पुर्नविलोकन/एस.एल.पी. किए जाने का विनिश्चय किया गया है, अपीलें/पुर्नविलोकन/एस.एल.पी. समय सीमा में फाइल हो, पृथक से अनुदेश जारी किए जाएंगे। यदि बिना समुचित स्पष्टीकरण के विलम्ब पाया जाता है तो जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

27.3 जब कभी भी किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता हैं, तो प्रभारी अधिकारी उस पर शासकीय अधिवक्ता की राय अभिप्राप्त करेगा और मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाएगा। अपीलें, पुर्नविलोकन/एस.एल.पी. प्रस्तुत किए जाने के विनिश्चय की दशा में ऐसा विनिश्चय उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। बिना उचित कारण के अपीलें/पुर्नविलोकन/एस.एल.पी. फाइल करने में विलंब करने अथवा न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने में असफल रहने की स्थिति में जिसके परिणामस्वरूप अवमानना याचिका फाइल की गई हो, ऐसे विलंब/असफलता के कारणों का पता लगाने एवं उनके लिए जिम्मेदार त्रुटिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी की पहचान करने के लिए तथा उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भी मामले का संबंधित विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

27.4 यदि विलंब की माफी के लिए आवेदन को खारिज करके अतिविलंब के आधार पर उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई रिट अपील/पुर्नविलोकन/विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है तो संबंधित विभाग जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मामले की निरपवाद रूप से जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि त्रुटिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी/अधिवक्ता के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

28. वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र

28.1 वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र के उपयोग को प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे वाणिज्यिक प्रकृति के प्रकरणों में जिनमें शासकीय विभाग या सार्वजनिक लोक उपक्रम एक पक्षकार है वहां मध्यस्थम् को वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में अधिमान्यता दी जानी चाहिए। प्रभावी और शीघ्र मध्यस्थम् को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक संविदाओं के प्रारूपण के समय मध्यस्थम् खण्ड पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

28.2 वैकल्पिक विवाद समाधान की किफायती और समय बचाने वाली रीति के रूप में, मध्यस्थता को शासन या शासकीय उपक्रमों के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायतों से उद्भूत समस्त यथोचित मामलों में प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विवादों के समझौते लोक अदालतों और विभागीय शिकायत निवारण समितियों में किए जाने को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

28.3 सभी विभाग/राज्य प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा निष्पादित संकर्म संविदाओं में यह प्रावधान हो कि उसके पक्षकारों के बीच विवाद की दशा में ऐसे विवादों को मध्यस्थता हेतु मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

29. लोकहित मुकदमेबाजी (पी.आई.एल.)

29.1 लोक अनुबंधों को चुनौती देने वाली लोकहित मुकदमेबाजी को गंभीरता से प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए। यदि उनमें अंतरिम आदेश, जैसे कि परियोजनाओं के कार्य को रोके जाने, संबंधी प्रार्थना की जाती है तब लोकहित मुकदमेबाजी के अंततः अस्वीकृत होने की दशा में याचिकाकर्ता से क्षतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने संबंधी प्रार्थना की जाना चाहिए।

29.2 अनेकों लोकहित मुकदमे इसलिए दर्ज होते हैं क्योंकि संबंधित प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते या शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं। विभागीय शिकायत निवारण प्रणाली के प्रभावी कियान्वयन द्वारा ऐसे प्रकरणों को कम किया जाएगा।

30. अवमानना प्रकरणों पर कार्यवाही

अवमानना प्रकरण की सूचना या अवमानना याचिका प्राप्त होने पर, विभाग/अधिकारी, पदधारित न करने आदि संबंधी तकनीकी आपत्तियां दर्शित करने के बजाए, प्रकरण के गुण दोष, अनुपालन की स्थिति तथा क्या आदेश को किसी अपील या पुनरीक्षण में चुनौती दी गयी अथवा किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा उसे अपास्त कर दिया है और यदि नहीं तो उक्त आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है पर टीप तैयार करेगा।

31. अन्तर विभागीय/पी.एस.यू. स्तरीय मुकदमा

राज्य सरकार के विभागों एवं/या लोक उपकमों के मध्य परस्पर कोई मुकदमा संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे मामले का परीक्षण, एक उच्च सशक्त समिति जो कि मुख्य सचिव एवं संबंधित विभागों के सचिवों/संबंधित लोक उपकमों के उच्चतम प्राधिकारियों से मिलकर बनेगी, द्वारा कर ऐसा मुकदमा संस्थित करने के बारे में निर्णय न कर लिया जाए।

२८८

अनुलग्न–एक

प्रकरण के प्रभारी अधिकारी के कृत्य एवं कर्तव्य

प्रकरण के प्रभारी अधिकारी का आचरण निम्नलिखित मापदंडो के अनुरूप होना चाहिए:–

(एक) नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात्, प्रभारी अधिकारी प्रकरण की फाइल का अध्ययन करेगा, तथ्यों की संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करेगा और महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क के पूर्व अंतर्वलित सामग्री से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं, दस्तावेज/डाटा, परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि संग्रहीत करेगा।

(दो) प्रभारी अधिकारी विभाग के विधिक प्रकोष्ठ के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय यह सुनिश्चित करने के लिए बनाएगा कि वह प्रकरण के संबंध में सुसंगत सूचनाओं एवं दस्तावेजों से अच्छी तरह से सुसज्जित है।

(तीन) महाधिवक्ता कार्यालय पहुँचने के पूर्व प्रकरण का प्रभारी अधिकारी विभाग के नोडल अधिकारी से संपर्क करेगा, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा तथा महाधिवक्ता कार्यालय से फाइल चिन्हित कराने के पूर्व प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात करेगा।

(चार) प्रभारी अधिकारी उस विधि अधिकारी से जिसे फाइल चिन्हित की गई है, उसी दिन संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/अपील/संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाईल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

(पांच) प्रभारी अधिकारी कार्यालय छोड़ने के पश्चात् अपनी अभिरक्षा में अनावश्यक रूप से महाधिवक्ता कार्यालय की फाइल नहीं रखेगा।

(छह) प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के माध्यम से संबंधित विभागीय प्राधिकारी से तत्काल संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(सात) प्रभारी अधिकारी को विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख से यह सुनिश्चित करने के लिए सीधी पहुंच उपलब्ध होगी कि प्रकरणों के तेजी से निपटाने को सुगम बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को सूचना/दस्तावेजों के प्रसारण में अनावश्यक देरी न हो।

(आठ) प्रभारी अधिकारी मुकदमे के पूरी तरह से समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। वह नियमित रूप से उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण (मॉनीटरिंग) करेगा और मासिक रूप से संबंधित विभाग के विधिक प्रकोष्ठ को इस संबंध में प्रास्थिति प्रतिवेदन भेजेगा।

(नौ) यह सुनिश्चित करने का प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्रकरण में न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद किया गया है।

(दस) प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लिखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा/सौंपेगी जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा/रहेगी। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक् सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।

(ग्यारह) किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित किये जाने की दशा में, आदेश की प्रमाणित/प्रमाणिक प्रति के साथ आवश्यक मत लेने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से शीघ्र ही संपर्क करने की व्यक्तिगत जिम्मदारी प्रभारी अधिकारी की होगी और वह उक्त मत के अनुसार परिसीमा के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा।

(बारह) प्रभारी अधिकारी की उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में किसी चूक को कर्तव्य से कदाचार/लापरवाही माना जाएगा और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1966 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार उसके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

290

19 FEB 2020
DS(T)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 18.02.2020

क्रमांक 6619/21-ब(दो)

प्रति,

म. प्र. शासन
लो. स्वा. या. विभाग
आवक क्र. 483/2020
दिनांक 22 FEB 2020

समस्त,
अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल

समस्त कलेक्टर,
जिला ....

विषय:- Ensuring implementation of M.P. State Litigation Policy, 2018

उपरोक्त विषयक महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.12.2019 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के समस्त बिन्दुओं पर समय-समय पर समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

567/प्रम/लो.स्वा.
दिनांक 19/02/2020

पृष्ठांकन क्र. 6619/21-ब(दो),

भोपाल, दिनांक 18.02.2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. CS/Gen-Co/10041 दिनांक 19.12.2019 ।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 18.12.2019

के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

FAX NO.

18 Dec. 2019

6619/2101/2

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

D.O.

Date 18-12-19

To

Chief Secretary
State of M.P.
Vallabh Bhawan
Bhopal (M.P.)

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Co/ 10041
Date 19/12/19

Sub :- Ensuring implementation of M.P. State Litigation Management Policy, 2018

Sir,

I am writing this letter to bring to your kind attention that various Departments of the State Government are not following the M.P. State Litigation Management Policy 2018 (hereinafter referred to as the "State Litigation Policy").

In various matters permission is sought from the Law & Legislative Affairs Department, State of M.P. for filing of Writ Appeal in cases where the Hon'ble High Court has issued directions for considering the Representation of the Petitioner. In such cases, the Hon'ble High Court has not expressed any opinion on the merits of the case and therefore instead of filing an appeal, the representation of the Petitioner should be decided by the Department.

Various cases are filed before the Hon'ble High Court solely because the representation has not been decided by the concerned officials. Clause 22 of the State Litigation Management Policy provides that such representation should be decided as expeditiously as possible. Extract of Clause 22 is reproduced hereunder :-

"22. **QUICK ACTION ON REPRESENTATIONS/LEGAL NOTICES**

22.1 *A legal notice is intended to alter the State to seek a just settlement. When such a legal notice is served upon any Department asking for the relief, the same should be decided expeditiously in accordance with prevalent Rules, Instructions and by a detailed speaking order. Timely response would avoid waste of public money and clogging of the wheels of Justice.*

22.2 *While passing orders in original jurisdiction or in appeals in respect of disciplinary proceedings, a detailed speaking order should be passed. It is the bounden duty of the enquiry officer/ disciplinary authority to follow the relevant rules and prescribed procedure for conducting the enquiry so that no lapse occurs in the procedural part and orders are not set aside or remanded back for fresh decision on that ground. The officers should be trained periodically in these aspects.*

22.3 *Whenever an employee of the State Government files a Petition in the High Court against the Government of Madhya Pradesh, it shall be incumbent upon the Collector concerned to make an effort to settle the Dispute*

CS
PS Law
ACS GAD

CR
37557

गोपाल श्रीवास्तव
सचिव, विधि

RAVINDRA SINGH CHHABRA

ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

(O) 0731-2610...
0731-2616...
(Fax) 0731-2536...
Mob : 94250 5....
E-mail : aaagindi@...

Date : ....

Various Petitions can be avoided if Internal Grievance Redressal Committee established in all the Departments of the State Government in compliance of Clause 20 of the State Litigation Policy. In cases where the dispute is already covered by the judgment/order of the Hon'ble Supreme Court or the Hon'ble High Court, the Department shall strive to resolve the dispute in accordance with Clause 23 of the State Litigation Policy.

Clause 26 of the State Litigation Policy provides that in service matters Appeals should not be filed in cases where resolution of individual grievances does not cause any major repercussion or where the cases does not lay down a new precedent in cases of pension/retirement benefits and financial implications are not more than Rs. 5 Lacs.

I, therefore, request your goodself to ensure that State Litigation Policy is implemented in its true spirit by all the Departments of the State Government.

RAVINDRA SINGH CHHABRA
ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL

CC: Principal Secretary, Law & Legislative Department, Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)

(293)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 584 / 2023 / 21-ब(दो) भोपाल, दिनांक 08 / 02 / 2023

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषयः-माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन करने हेतु राज्य के स्थायी अधिवक्ता / राज्य के विधि अधिकारियों से अन्यथा अधिवक्ताओं को नियुक्त किए जाने के संबंध में ।

संदर्भः- इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2740 / 2014 / 21-ब (दो) दिनांक 11.8.2014

....

उपरोक्त विषयक संबंध मे प्रायः यह देखा जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन करने हेतु राज्य के स्थायी अधिवक्ता / विधि अधिकारियों से अन्यथा अधिवक्ताओं को नियुक्त किए जाने के संबंध मे कई विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करते हुए कार्यवाही विवरण सीधे प्रमुख सचिव, विधि के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिससे विभागों द्वारा प्रेषित ऐसे प्रस्तावों का विधि विभाग द्वारा समुचित परीक्षण नहीं हो पा रहा है तथा यह प्रक्रिया इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र में उल्लेखित प्रक्रिया के विपरीत है।

अतः इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 11.08.2014 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 584 / 2023 / 21-ब(दो), भोपाल, दिनांक 08 / 02 / 2023 (09)

प्रतिलिपि-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की टीप क्रमांक 346 / मु.स / 23 दिनांक 31.01.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर / ग्वालियर, म०प्र०,
4. श्री पशुपतिनाथ राजदान, म.नं. 18, श्याम एन्कलेव, दिल्ली -110092,
5. श्री सन्नी चौधरी, एस-222, एल.जी.एफ., ग्रैटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-48,
6. श्री गोपाल झा, सी-47, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110092,
7. श्रीमती मृणाल एलकर मजूमदार, ए-18, एल.जी.एफ.,जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014,
8. आपराधिक शाखा / सिविल शाखा / याचिका शाखा, म०प्र० शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर प्राप्त प्रकरणों में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में अग्रेषित।
9. आई.टी. प्रकोष्ठ, विधि विभाग की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सतीश चन्द्र शर्मा)
सचिव
म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

08/02/2023

letters 2022

(224)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 10707 विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि/2011 भोपाल, दिनांक 24/11/11
प्रति,

गुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र–भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/(वि./यां.) भोपाल।

विषय :– श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी (कार्यपालन यंत्री) की नियुक्ति हेतु।

संदर्भ :– शासन को प्रेषित टीप क्र. 657/FILE/EinC/FUS दिनांक 09.11.2011

उक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि श्रम एवं औद्योगिक न्यायालयीन प्रकरणों में प्रायः कलेक्टर द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु आदेश जारी करने, सहायक यंत्री को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया जाता है, व न्यायालयीन प्रकरण में सहायक यंत्री द्वारा शासकीय हित/वास्तविक बिन्दुओं को प्रस्तुत जबावदावे में समाहित नहीं किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायालय में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु सहायक यंत्री के स्थान पर कार्यपालन यंत्री को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव/अनुशंसा की जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक /विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि/2011 भोपाल, दिनांक :
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर संदर्भित टीप के परिपेक्ष्य में अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।

(वि/यां) 5798 28-11-11

T/S R/S	E/S	G/S	A/S
A.E.		S.E.	C.E.

sd/-
प्रमुख अभियंता

Letter Format

अति आवश्यक

295

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन भोपाल

क्रमांक 9115 /प्र.अ./विधि- /लो.स्वा.यां./भोपाल, 2018 दिनांक 22-10-18

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/
ग्वालियर/(वि/यां) भोपाल

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में सिविल अपील क्रमांक 974/2012 एमपीआरआरडीए विरूद्ध श्री एल.जी.चौधरी-सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय का प्रदेश के समस्त कार्य विभागों में माध्यस्थम की प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव के संबंध में।

संदर्भः- अवर सचिव म0प्र0शासन सा0प्र0विभाग का पत्र क्र0 918/1283/2018/1/8 भोपाल, दिनांक 04.04.2018 (छायाप्रति संलग्न)

--0--

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से म0प्र0शासन सा0प्र0विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 974/2012 (एमपीआरआरडीए विरूद्ध श्री एल.जी.चौधरी) में पारित निर्णय दिनांक 8.3.18 की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय विभागीय निर्माण कार्यों के दौरान ठेकेदारों एवं विभाग के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे हेतु अपनाई जाने वाली माध्यस्थम (Arbitration) की प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव डालता है।

लेख है कि मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1983 से ही "म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983" (M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983) लागू है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 में पूरे देश में "मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996" (Arbitration and Conciliation Act 1996) लागू किया गया है। "म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983" (M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983) में यह प्रावधान है कि ठेकेदारों एवं विभाग के बीच उत्पन्न होने वाले निर्माण कार्यों से संबंधित विवादों को, उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित ट्रिब्युनल (Tribunal) के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए, जबकि "मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996" (Arbitration and Conciliation Act 1996) में इस तरह के विवादों को निपटाने हेतु आर्बिट्रेटर्स की नियुक्ति के प्रावधान हैं

8933
दिनांक 23/10/18

22/10/2018

सामान्य तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये अधिनियम, राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये अधिनियमों के ऊपर प्रभावशील माने जाते है, किन्तु विषयांकित निर्णय में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कार्य संविदा निरस्त किए जाने पर श्री म0प्र0 राज्य के संबंध में, यहाँ पूर्व से ही लागू "म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983" (M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983) के अंतर्गत गठित ट्रिब्युनल में ही वाद चालाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए "मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996" (Arbitration and Conciliation Act 1996) के Section 11 (छायाप्रति संलग्न) में निहित दोनो पक्षों द्वारा आर्बीट्रेटर्स की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को, म0प्र0राज्य के संबंध में पूर्व से ही विशेष अधिनियम (म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम–1983) होने के कारण, लागू नहीं माना है। विषयांकित निर्णय में मान0 न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि राज्य शासन द्वारा बनाया गया कानून, "मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996" (Arbitration and Conciliation Act 1996) के Section 2(4) के ऊपर भी अधिकारिता रखता है। आपके सुलभ संदर्भ हेतु "मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996" (Arbitration and Conciliation Act 1996) Section 11 and Section 24 की प्रतियाँ भी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अंतर्गत चल रहे आर्बीट्रेशन के प्रकरणों में यदि "म0प्र0 माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983" (M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983) के अंतर्गत गठित ट्रिब्युनल की बजाय दोनो पक्षों द्वारा स्वतंत्र आर्बीट्रेटर्स के माध्यम से विवादों को हल करने की कार्यवाही की जा रही हो तो, उन्हें समाप्त कर, आर्बीट्रेशन ट्रिब्युनल भोपाल के समक्ष वाद दायर करने की कार्यवाही करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

प्रमुख अभियंता

पृष्ठांक /प्र.अ./विधि- /लो.स्वा.यां./भोपाल, 2018 दिनांक

प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर उनके द्वारा दिनांक 16.10.18 को न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

हस्ता/-

प्रमुख अभियंता